

— |

| —

— |

| —



सत्यमेव जयते

इस्पात मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट
2005-06



विषय – सूची

अध्याय I वर्ष 2005-2006 की उपलब्धियां	3
अध्याय II संगठनात्मक ढाँचा	6
अध्याय III सार्वजनिक क्षेत्र	8
अध्याय IV निजी क्षेत्र	20
अध्याय V अनुसंधान एवं विकास	25
अध्याय VI पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन एवं ऊर्जा संरक्षण	31
अध्याय VII सूचना तकनीकी का विकास	39
अध्याय VIII सुरक्षा	41
अध्याय IX समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण	44
अध्याय X सतर्कता	48
अध्याय XI परिवेदना निवारण तंत्र	50
अध्याय XII निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का क्रियान्वयन	52
अध्याय XIII हिन्दी का प्रगामी उपयोग	56
अध्याय XIV महिला सशक्तिकरण	60
अध्याय XV नवीन पहल/अभिनव योजनाएं	62
अध्याय XVI मान्यता और पुरस्कार	66
अध्याय XVII इस्पात के उपयोग में वृद्धि	68
अध्याय XVIII निगमित सामाजिक दायित्व	70
अध्याय XIX इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन तकनीकी संस्थान	74
अध्याय XX राष्ट्रीय इस्पात नीति	76
अध्याय XXI सूचना अधिकार अधिनियम, 2005	84

विशेष उपलब्धियां 2005-06 (1.4.2005 से 31.12.2005)

संक्षिप्त परिदृश्य

- भारत आज विश्व में अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन में नौवें स्थान पर हैं।
- वर्ष (अप्रैल-दिसम्बर, 2005) के दौरान परिष्कृत (कार्बन) इस्पात का उत्पादन लगभग 31.425 मिलियन टन (अस्थायी अनुमान) हुआ, जो पिछले वर्ष के इसी अवधि से 7.2 प्रतिशत अधिक है।
- इसी कालावधि (अप्रैल-दिसम्बर, 2005) के दौरान कच्चे लोहे का मर्चेन्ट उत्पादन 2.987 मिलियन टन (लगभग) हुआ, जो वर्ष 2004-05 के इसी कालावधि के उत्पादन की तुलना में 34 प्रतिशत अधिक है। कच्चे लोहे के व्यापारिक उत्पादन में अधिकतर मात्रा में द्वितीयक उत्पादकों का योगदान है।
- तैयार (कार्बन) इस्पात के निर्यात की कुल मात्रा इस वर्ष (अप्रैल-दिसम्बर, 2005) के दौरान 3.225 मिलियन टन रही, जो पिछले वर्ष की इसी कालावधि के निर्यात से 2 प्रतिशत अधिक है।
- इस वर्ष (अप्रैल-दिसम्बर, 2005) के दौरान 2.7 मिलियन टन तैयार (कार्बन) इस्पात (अस्थायी अनुमान) का आयात किया गया, जो पिछले वर्ष की इसी कालावधि से 84.9 प्रतिशत अधिक है।
- तैयार (कार्बन) इस्पात की प्रकट खपत इस वर्ष (अप्रैल-दिसम्बर, 2005) के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 9.4 प्रतिशत बढ़कर 27.6505 मिलियन टन (लगभग) पहुँच गई।
- इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/संगठनों के प्रस्ताव, योजना आयोग के साथ हुए विचार-विमर्श और 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के अप्रोच पेपर में स्पष्ट योजना प्राथमिकताओं को देखते हुए, इस्पात मंत्रालय के लिए 10वीं योजना परिव्यय 11,044 करोड़ रुपये मंजूर किये गये थे, जिसमें सकल बजटीय मदद 65 करोड़ रुपये थी। परंतु 2002-03 तक इस्पात उद्योग में विद्यमान मंदी के कारण, मध्यावधि-मूल्यांकन के बाद इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान के संबंध में मंजूर 10वीं योजना परिव्यय को 11044 करोड़ रुपये से कम कर 8476.68 करोड़ रुपये कर दिया गया (8411.68 करोड़ रुपये आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से और 65 करोड़ रुपये बजटीय मद से)।
- इस्पात मंत्रालय देश में अनुसंधान एवं विकास प्रयासों और खर्च में मदद करने के लिए इस्पात विकास कोष से मिले ब्याज से वित्तीय मदद करता रहा है। इस उद्देश्य के लिए और इस्पात विकास कोष से वित्तीय मदद के साथ विशेष अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की मंजूरी/समीक्षा करने के साथ-साथ अनुसंधान एवं विकास मामलों में समग्र निर्देश देने के लिए सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है। इस समिति ने अब तक 221.56 करोड़ रुपये लागत की 40 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें इस्पात विकास कोष ने 101.8129 करोड़ रुपये का योगदान किया है। अब तक 80.2763 करोड़ रुपये प्रदान किये गये हैं और अनेक परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं, जिनमें उद्योग को लाभ मिला है।

इस्पात मंत्रालय के अधीन प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

- सेल ने 2005-06 के दौरान (दिसम्बर तक) 21330 करोड़ रुपये का विक्रय कारोबार दर्ज किया।
- कंपनी ने 2005-06 के दौरान (दिसम्बर तक) 4473 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ दर्ज किया जबकि विगत वर्ष यह राशि 5739 करोड़ रुपये थी।
- सेल को 2005-06 के दौरान (दिसम्बर तक) 2935 करोड़ रुपये का कर उपरांत लाभ हुआ, जबकि विगत वर्ष यह राशि 4139 करोड़ रुपये थी।
- कंपनी ने चुकता इक्विटी पूंजी पर 12.5 प्रतिशत की दर से अंतरिम लाभांश अदा किया।
- कंपनी ने 9.46 मिलियन टन अपरिष्कृत इस्पात और 8.27 मिलियन टन विक्रय इस्पात का उत्पादन किया।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

- राष्ट्रीय इस्पात निगम के वाइज़ाग स्टील प्लांट ने 2004-05 में 2008 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ (कर उपरांत) कमाया। वर्तमान वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान, दिसम्बर, 2005 तक अनुमानित आंकड़ों के आधार पर, कंपनी ने 863 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ (कर पूर्व) दर्ज किया।
- वर्ष 2004-05 के दौरान वाइज़ाग ने 8181 करोड़ रुपये का विक्रय किया, जो पिछले वर्ष की इसी कालावधि की तुलना में 33 प्रतिशत वृद्धि है। अप्रैल से दिसम्बर, 2005 के दौरान विक्रय 5563 करोड़ रुपये पहुँचा, जो पिछले वर्ष का इसी कालावधि की तुलना में 3 प्रतिशत की वृद्धि है। इस अवधि के दौरान घरेलू बाजार में विक्रय 5249 करोड़ रुपये का विक्रय एवं 314 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया।

मैंगनीज़ अयस्क (इंडिया) लिमिटेड

- मैंगनीज़ ओर (इंडिया) लिमिटेड ने 2004-05 के दौरान 202.27 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ कमाया, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 45.29 करोड़ रुपये थी।
- वर्ष 2005-06 (दिसम्बर तक) के दौरान इस कंपनी ने 76.59 करोड़ रुपये के वार्षिक एमओयू लक्ष्य की तुलना में 100.78 करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ कमाया।



नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

- नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी) ने 2005-06 (दिसम्बर तक) के दौरान 15.73 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया, जबकि पिछले वर्ष की इसी कालावधि में 14.10 मिलियन टन उत्पादन हुआ था।
- कंपनी ने 2005-06 (दिसम्बर तक) के दौरान जापान, दक्षिण कोरिया और चीन आदि को 774.34 करोड़ रुपये मूल्य का 4.03 मिलियन टन लौह अयस्क निर्यात किया, जबकि पिछले वर्ष को इसी कालावधि में 706.88 करोड़ रुपये मूल्य का 5.28 मिलियन टन लौह अयस्क निर्यात किया गया था।
- वर्ष 2005-06 (दिसम्बर तक) के दौरान 13.44 मिलियन टन लौह अयस्क का घरेलू विक्रय हुआ जो इस अवधि के दौरान कुल विक्रय का 77 प्रतिशत है, जबकि पिछले वर्ष का इसी कालावधि के दौरान 11.30 मिलियन टन लौह अयस्क की घरेलू बिक्री हुई जो इस अवधि में कुल विक्रय का 68 प्रतिशत था।
- एनएमडीसी ने 2005-06 (दिसम्बर तक) के दौरान 35,305 कैरेट्स हीरा का उत्पादन किया, जबकि पिछले वर्ष की इसी कालावधि में 53,401 कैरेट्स का उत्पादन हुआ था।
- कंपनी ने 2004-05 के दौरान 151.32 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी पर 114.5 प्रतिशत का सर्वाधिक लाभांश अदा किया। लगातार 15वें वर्ष लाभांश दिया गया है।

कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड

- कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड ने जुलाई, 2005 माह के दौरान 5,02,999 डीएमटी पेलेट्स का निर्यात किया जो अब तक किसी भी महीने में निर्यात की गई मात्रा से अधिक है और जुलाई, 2004 माह के दौरान किये गये 4,96,085 डीएमटी पेलेट्स (पेलेट्स चूर्ण समेत) के सर्वाधिक प्रेषण से अधिक है।
- दिसम्बर, 2005 तक पेलेट्स (पेलेट चूर्ण समेत) का उत्पादन एवं प्रेषण लक्ष्य का क्रमशः 109 प्रतिशत और 107 प्रतिशत हुआ।
- पहली बार 1000 करोड़ रुपये की सीमा पार करते हुए, अब तक का सर्वाधिक 1111.91 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ दर्ज किया गया। 406.40 करोड़ रुपये का पिछला सर्वाधिक लाभ 2003-04 में दर्ज किया गया था।
- पहली बार 600 करोड़ रुपये की सीमा पार करते हुए, अब तक का सर्वाधिक 649.84 करोड़ रुपये का कर उपरांत लाभ। पिछला सर्वाधिक 300.70 करोड़ रुपये का कर उपरांत लाभ 2003-04 में हुआ था।
- 1500 करोड़ रुपये की सीमा पार करते हुए, 1853.77 करोड़ रुपये का अब तक सर्वाधिक करोबार। 1029.38 करोड़ रुपये का पिछला सर्वाधिक लाभ विगत वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया था।

भारत रेफ्रेक्टरीज लिमिटेड

- कंपनी ने अप्रैल-दिसम्बर, 2005 की अवधि के लिए निर्धारित 56,736 टन उत्पादन लक्ष्य से अधिक 59,406 टन उत्पादन किया। यह पिछले वर्ष की इसी कालावधि की तुलना में 11.67 प्रतिशत की वृद्धि है।
- कंपनी ने विक्रय लक्ष्य भी पार किये। निर्धारित 8764.56 लाख रुपये के विक्रय लक्ष्य के मुकाबले अप्रैल-दिसम्बर, 2005 के दौरान 11502.05 लाख रुपये का विक्रय हुआ। यह पिछले वर्ष की इसी कालावधि की तुलना में 28.5 प्रतिशत की वृद्धि है।
- वर्ष 2004-05 में उत्पादन 65,435 टन हुआ, जो 2003-04 की तुलना में 23.19 प्रतिशत की वृद्धि है।

स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड

- कंपनी ने 2005-06 (दिसम्बर तक) 82 प्रतिशत क्षमता का उपयोग करते हुए 36,686 टन उत्पादन किया।
- 2005-06 (दिसम्बर तक) के दौरान प्रति टन स्पंज आयरन की औसत विक्रय प्राप्ति 9,238 रुपये प्रति टन रही।
- 2005-06 (दिसम्बर तक) के दौरान 29.28 करोड़ रुपये का विक्रय कारोबार किया गया।
- विवेच्य अवधि में 3.48 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ हुआ।


मेकॉन लिमिटेड

- मेकॉन ने श्रीहरिकोटा स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के “द्वितीय लांच पैड परियोजना” को स्थापित किया।
- भारतीय नौसेना का प्रतिष्ठित परियोजना, “प्रोजेक्ट सीबर्ड” में मेकॉन ऑनशोर बुनियादी सुविधाओं के लिए परामर्शदाता था, कंपनी ने यहां संबंधित नगर एवं बुनियादी सुविधाओं समेत नौसेना को जहाज मरम्मत की अत्यंत परिष्कृत सुविधाएं तैयार की हैं।
- मेकॉन ने मैसर्स नीपाज मेटलिक्स लिमिटेड के लिए 262 घन मीटर धमन भट्टी का देशज डिजाइन एवं अभिकल्पन किया।
- मेकॉन, ढांचा के उच्च अनुसंधान एवं विकास प्रभाग ने उच्च स्तरीय तापमान या रेगिस्तान में कार्यरत सैनिकों के लिए “मिनिचराइज्ड सौलिड स्टेट कूलिंग यूनिट” का सफलता पूर्वक डिजाइन, विकास एवं प्रदर्शन किया। इस कूलिंग यूनिट को एमबीटी अर्जुन टैंक में लगाया गया है।

एम एस टी सी लि.

- अप्रैल-दिसम्बर, 2005 में एमएसटीसी का कुल कारोबार 5740 करोड़ रु. रहा जबकि इससे पूर्व वर्ष यह 5796 करोड़ रु. था।
- चालू वित्त वर्ष में दिसम्बर, 2005 तक एमएसटीसी का कारोबार 3208.17 करोड़ रु. रहा जबकि गत वर्ष में यह 4960.03 करोड़ रु. था।
- अप्रैल-दिसम्बर, 2005 में कम्पनी का कर-पूर्व लाभ 56.14 करोड़ था जबकि पूर्व वर्ष में कर-पूर्व लाभ 66.77 करोड़ रु. था।

**इस्पात मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट
(31.12.2005 की स्थिति के अनुसार)**



*अतिरिक्त प्रभार (वित्त)



संगठन—ढांचा इस्पात मंत्रालय

इस्पात मंत्रालय, रसायन, उर्वरक एवं इस्पात मंत्री के अधीन है।

मंत्रालय लौह एवं इस्पात उद्योग, आवश्यक कच्चे माल यथा—लौह अयस्क, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइट, फेरो मिश्रित धातु, स्पॉन्ज आयरन इत्यादि एवं इनसे संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है। 10 सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्यम और सरकार के एक कंपनी सीधे प्रबन्धन में है, इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत है (संगठनात्मक चार्ट देखें चाट पृष्ठ 5 पर)

इस्पात मंत्रालय के अन्य संबंधित कार्यालय

संयुक्त संयंत्र समिति : संयुक्त संयंत्र समिति (ज्वाइंट प्लांट कमेटी) की स्थापना सरकार के द्वारा 29 फरवरी, 1964 की अधिसूचना से. आयरन एण्ड स्टील (नियंत्रण) आदेश, 1956 के तहत, आवश्यक उपयोगी वस्तु एक्ट, 1955 के तहत की गई। तब लौह एवं इस्पात नियंत्रक समिति का चेयरमैन था एवम् इस्पात उत्पाद के उत्पादन, वितरण, मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी था। यह समिति इस्पात विकास कोष के सचिवालय के रूप में भी काम करती है जिसकी स्थापना इस्पात उद्योग के आधुनिकीकरण उनके पुनर्वसन एवम् विकास के लिए की गई थी। तत्पश्चात् विनियंत्रण एवम् उदारीकरण के उदय के बाद, इसके आरम्भिक कार्य समाप्त कर दिए गए हैं और अब समिति को मुख्य रूप से इस्पात उद्योग के विभिन्न स्त्रोतों से आंकड़े एकत्र करने, विश्लेषण करने और ये इस्पात उद्योग को प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। संयुक्त संयंत्र समिति के दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यालय हैं। आंकड़े एकत्र करने और उन्हें उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, यह देश में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ संवर्धनात्मक कार्य भी करता है। इसका प्रबंधन एक शीर्षस्थ समिति द्वारा किया जाता है जिसमें सेल, आरआईएनएल, टिस्को जैसे मुख्य उत्पादकों और भारतीय रेल के और प्रतिनिधि हैं।

लौह और इस्पात विकास आयुक्त कक्ष

खर्च सुधार कमीशन के सुझावों की स्वीकृति के परिणामस्वरूप, एक प्रशासनिक निर्णय लिया गया, जिसके तहत लौह और इस्पात विकास आयुक्त का कार्यालय कोलकाता एवं चेन्नई, मुंबई, कोलकाता एवं नई दिल्ली में स्थित, इसके चार क्षेत्रीय कार्यालयों को 23.05.2003 से बंद कर दिया गया। सभी बचे कार्य, सिर्फ द्वितीयक क्षेत्रों से आंकड़ों के एकत्रीकरण छोड़कर, नवगठित लौह और इस्पात विकास आयुक्त कक्ष (इस्पात मंत्रालय में) को सुपुर्द कर दिए गए। डीसीआई एंड एस कक्ष निम्नांकित कार्य कर रहा है—

अ स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन/नेशनल स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन के जरिये छोटे पैमाने के उद्योगों को लौह एवं इस्पात मदों के आबंटन से संबंधित मामले :

स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज यूनिट में वितरण के लिए लौह एवं इस्पात मद स्टेट स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन को दिए गए हैं। जिन राज्यों में स्टेट स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन नहीं है या बेकार हैं वहाँ नेशनल स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज को ये मदें दी जा रहीं हैं।

छोटे पैमाने के उद्योगों को कच्चा माल वाजिब दामों पर मिल सके, इसलिए सरकार कॉरपोरेशनों को नामात्र हैंडलिंग प्रभार, लगभग 500 रु. प्रतिटन प्रदान करता है ताकि कॉरपोरेशन इस्पात सामग्री को छोटे पैमाने के उद्योगों के द्वार तक पहुँचा सके। पिछले तीन वर्षों में, छोटे पैमाने के उद्योगों में वितरण के लिए लौह एवं इस्पात मदों का आवंटन निम्नवत है :—

(मात्रा '000 मीट्रिक टन में)

कॉरपोरेशन	2003-04	2004-05	2005-06
स्टेट स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन	540	861	562
नेशनल स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन	-	428	164
कुल	540	1289	726

वर्ष 2005-06 के लिए वितरण नीति इस्पात मंत्रालय के वेबसाइट www.steel.nic.in में दी गई है।

ब डीसीआई एंड एस कार्यालय के प्रशासन/संस्थापन से संबंधित मामले

डीसीआई एंड एस कार्यालय बंद करने से इसके कोलकाता में कार्यरत कर्मचारियों में भारी रोष पैदा हुआ। परंतु कर्मचारियों को अधिशेष करने और इसके बाद पुनः तैनाती के लिए पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के रिट्रेनिंग और रिडिप्लायमेंट विभाग द्वारा जारी विस्तृत निर्देशानुसार शर्तों में आवश्यक प्रक्रिया का अनुसरण किया गया। डीओपीटी के दिशा निर्देश के अनुसार सभी अधिशेष कर्मचारी अपने वेतन तब तक लेते रहेंगे जब तक वे पुनः दूसरे पद पर तैनात न कर दिए जाएँ या फिर कार्यालय न छोड़ दें, पद न त्याग दें, या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति न ले लें। डीसीआई एंड एस को बंद करते समय संस्था की कुल संख्यात्मक शक्ति 226 थी। इनमें से :

- 215 कर्मचारी, डीसीआई एंड एस संस्था के, अधिशेष घोषित किए गए एवं पुनः तैनाती के लिए डीओपीटी की पंजिका में हैं।
- 11 अधिकारी अभी भी डीओपीटी के द्वारा अधिशेष घोषित होने हैं।
- संस्था के 109 अधिशेष कर्मचारी अब तक भारत सरकार के विविध कार्यालयों में डीओपीटी द्वारा नामांकित/पुनः तैनात किए गए हैं।

वार्षिक रिपोर्ट : 2005-2006

■ 12 अधिशेष कर्मचारियों ने डीओपीटी के विशिष्ट स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना/विद्यमान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है।

■ 17 अधिशेष कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति/मृत्यु आदि की वजह से कार्यालय छोड़ा।

20 अधिशेष कर्मचारियों का पुनः तैनाती आदेश विचाराधीन है और उन्हें स्वीकार करने वाले विभागों/कार्यालयों से नियुक्ति प्रस्ताव मिलने पर सेवामुक्त कर दिया जायेगा। इस तरह से डीओपीटी द्वारा अभी भी 67 अधिशेष कर्मचारियों की पुनः तैनाती करने की जरूरत है।

इस्पात मंत्रालय ने बाकी अधिशेष कर्मचारियों की पुनः तैनाती के मामले को डीओपीटी के साथ उच्च प्रशासनिक स्तर पर उठाया है।

इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची	
कंपनी का नाम	सहायक इकाई
1. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड चन्दा मुल रोड, चन्द्रपुर-442401, महाराष्ट्र
2. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, विशाखापत्तनम-530031 आंध्र प्रदेश	
3. मेकॉन लि., मेकॉन बिल्डिंग, राँची-834002 झारखंड	
4. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि. II-ब्लॉक, कोरमंगल, बंगलौर-560034, कर्नाटक	
5. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. खनिज भवन 10-3-311/ए, कैसल हिल्स, हैदराबाद-500028, आंध्र प्रदेश	जे एण्ड के मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 19/9, त्रिकुट नगर, जम्मू-180012 जम्मू एण्ड कश्मीर
6. हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि. नं.-1, शैक्सपियर सारनी, आठवां तल, कोलकाता-700071 पश्चिम बंगाल	
7. भारत रिफ्रेक्टरीज लि. सेक्टर-IV, सेंट्रल एवेन्यू, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो-827004, झारखंड	
8. स्पंज आयरन इंडिया लि., खनिज भवन, 10-3-311/ए, कैसल हिल्स, हैदराबाद-500023, आंध्र प्रदेश	
9. एमएसटीसी लि., 225-एफ, आचार्य जगदीश बोस रोड कोलकाता-700020, पश्चिम बंगाल	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, एफएसएनएल भवन, पोस्ट बैग नं. 37, इक्विपमेंट चौक, सेंट्रल एवेन्यू, मिलाई- 490001, छत्तीसगढ़
10. मैग्नीज ओर इंडिया लि., 3 माऊंट रोड एक्सटेंशन, पोस्ट बैग नं.-34, नागपुर-440001, महाराष्ट्र	
सरकार के प्रबन्धन में कंपनी बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज एफडी-350, सेक्टर-III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700106, पश्चिम बंगाल	



अध्याय-III

सार्वजनिक क्षेत्र


इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों का सभी क्षेत्रों में निष्पादन सामान्य तौर पर अच्छा रहा है। इस अध्याय में उनके कार्य निष्पादन पर प्रकाश डाला गया है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

(सहायक इकाइयों को छोड़कर)

1. सामान्य

- 1.1 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल), इंडिया कम्पनी एक्ट, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है और यह भारत सरकार का एक उद्यम है। यह भिलाई (छत्तीसगढ़), बोकारो (झारखंड), दुर्गापुर (पं. बंगाल) एवं राउरकेला (उड़ीसा) में स्थित चार-एकीकृत इस्पात संयंत्रों का प्रचालन एवं प्रबन्धन करती है। इसके अतिरिक्त, इण्डियन ऑयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, जो सेल के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है, के स्वामित्व में बर्नपुर में इसका एक और एकीकृत इस्पात संयंत्र है।
- 1.2 सेल के दुर्गापुर (पं. बंगाल), सेलम (तमिलनाडु) और भद्रावती (कर्नाटक) में स्थित विशेष और मिश्र इस्पात के तीन इस्पात कारखाने भी हैं। इसके अतिरिक्त चंद्रपुर स्थित संयंत्र महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड, जो फ़ैरो मिश्र का उत्पाद करने वाला संयंत्र है, भी सेल की सहायक कम्पनी है। इस्को की सहायक कम्पनी इस्को-उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कम्पनी लिमिटेड, अपने उज्जैन (म.प्र.) स्थित कारखाने में कास्ट आयरन स्पंज पाइपों का उत्पादन करती थी, का परिसमापन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सेल की सात केन्द्रीय इकाइयाँ हैं। लोहा और इस्पात अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (आर.डी.सी.आई.एस.), इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी.ई.टी.), प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान (एम.टी.आई.) रांची में स्थित हैं। धनबाद में केन्द्रीय कोयला आपूर्ति संगठन, कच्चा माल प्रभाग विकास प्रभाग तथा पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग



सेल प्लांट का एक मनोरम दृश्य।

हैं सभी कोलकाता में स्थित हैं। सेल का परामर्शदात्री प्रभाग (सेलकॉन) दिल्ली में कार्य करता है। सेल के संयंत्रों में उत्पादित मर्दों का विपणन कार्य कोलकाता स्थित केन्द्रीय विपणन संगठन करता है जिसके देशभर में विपणन तंत्र है।

2. पूंजीगत ढाँचा

- 2.1 सेल की प्राधिकृत पूंजी 5000 करोड़ रुपए है। 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की चुकता पूंजी 4130.40 करोड़ रुपए थी, जिसमें 85.82 प्रतिशत भारत सरकार की तथा शेष 14.18 प्रतिशत वित्तीय संस्थाओं/जी.डी.आर. धारकों/बैंकों/कर्मचारियों/व्यक्तियों आदि की थी।

वित्तीय कार्य निष्पादन

कंपनी ने 2004-05 में 31,800 करोड़ रुपये का विक्रय कारोबार किया। वर्ष 2004-05 का कर उपरांत शुद्ध लाभ 6817 करोड़ रुपये था। कंपनी ने चुकता इक्विटी पूंजी पर 12.5 प्रतिशत की दर से वर्ष 2005-06 के लिए अंतरिम लाभांश अदा किया। 31 दिसम्बर, 2005 को समाप्त नौ माह में विक्रय कारोबार और शुद्ध लाभ क्रमशः 21330 करोड़ रुपये और 4473 करोड़ रुपये (कर पूर्व लाभ) था।

उत्पादन कार्य निष्पादन

चार एकीकृत इस्पात कारखानों की उत्पादन योजना एवं उपलब्धि का विवरण नीचे दिया जा रहा है।



नई दिल्ली में 4 फरवरी, 2005 को सेल द्वारा भारत सरकार को अंतरिम लाभांश का भुगतान।



श्री राम विलास पासवान, माननीय रसायन एवं उर्वरक और इस्पात मंत्री को सेल के अध्यक्ष श्री वी. एस. जैन अंतिम लाभांश चेक देते हुए, दृश्य में सचिव (इस्पात) डा. मनो रंजन दिखाई दे रहे हैं।

(मिलियन टन में)

मद	2004-05			अप्रैल-दिसम्बर 2005		
	लक्ष्य	वास्तविक	प्राप्ति (%)	लक्ष्य	वास्तविक	प्राप्ति (%)
तप्त धातु	12.59	12.35	98	9.34	10.15	109
कच्चा इस्पात	11.77	11.83	101	8.78	9.46	108
बिक्री योग्य इस्पात	10.60	10.65	100	7.90	8.27	105

कच्चा माल

कंपनी ने अपनी खानों में 2004-05 के दौरान 19.90 मिलियन टन का कुल लौह अयस्क उत्पादन किया। फ्लक्स उत्पादन और प्रेषण वर्ष के दौरान क्रमशः 2.35 मिलियन टन और 2.31 मिलियन टन था। एकीकृत इस्पात कारखानों की संपूर्ण लौह अयस्क जरूरत को निजी (कैप्टिव) स्रोतों से पूरा किया गया। अप्रैल-दिसम्बर, 2005 की अवधि के दौरान लौह अयस्क एवं फ्लक्स का उत्पादन क्रमशः 14.9 मिलियन टन और 1.65 मिलियन टन था।

जनशक्ति

सेल की जनशक्ति 31 मार्च, 2005 को 1,26,857 थी जिसमें से 14,329 कार्यपालक और 1,12,528 गैर-कार्यपालक कर्मी थे। वर्ष के दौरान जनशक्ति में कुल कटौती 5053 हुई, जिसमें 1440 स्वेडिचक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मी शामिल हैं। श्रम उत्पादकता पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत सुधार के साथ 144 टन कच्चा इस्पात/प्रति व्यक्ति/प्रतिवर्ष हुई।

कंपनी की जनशक्ति 31.12.2005 को लगभग 1,23,982 थी (इसमें 14,188 कार्यपालक एवं 1,09,794 गैर-कार्यपालक कर्मी शामिल हैं)।

अप्रैल-दिसम्बर, 2005 के दौरान इस्को का भौतिक एवं वित्तीय कार्य निष्पादन

अप्रैल-दिसम्बर, 2005 के दौरान इस्को ने 581,000 टन तप्त धातु का उत्पादन किया जो पिछले वर्ष की इसी कालावधि की तुलना में 22 प्रतिशत की वृद्धि है। अप्रैल-दिसम्बर, 2005 के दौरान कच्चे इस्पात का उत्पादन 313,000 टन था जो पिछले वर्ष की इसी कालावधि से 17 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल-दिसम्बर, 2005 के दौरान बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन 216,000 टन था, जो पिछले वर्ष की इसी कालावधि से 3 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल-दिसम्बर, 2005 के दौरान कच्चे लोहे का उत्पादन 168,000 टन हुआ और इसमें पिछले वर्ष की इसी कालावधि की तुलना में 39 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई।

अप्रैल-दिसम्बर, 2005 के दौरान, इस्को को पिछले वर्ष की इसी कालावधि में 111.21 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ का अपेक्षा 25.42 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि हुई।


सहायक

कंपनियां महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड

महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड चंद्रपुर, महाराष्ट्र में स्थित है और यह सेल के इस्पात संयंत्रों में के उपयोग के लिए फेरोमैंगनीज एवं सिलिको मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक है।

वित्तीय कार्य निष्पादन

कंपनी की प्राधिकृत एवं चुकता शेयर पूंजी 30 करोड़ रुपए एवं 24 करोड़ रुपए थी। सेल की धारिता चुकता 31.03.2005 की स्थिति के अनुसार क्रमशः पूंजी का 99.12 प्रतिशत है। वर्ष 2004-05 के दौरान कंपनी ने 262.39 करोड़ रुपए का कारोबार किया (जिसमें 190.95 करोड़ रुपए की कनवर्जन आय शामिल हैं) और कंपनी ने 52.23 करोड़ रुपए का निवल लाभ अर्जित किया है। अप्रैल से दिसम्बर, 2005 तक कंपनी का कारोबार एवं निवल लाभ क्रमशः 171.28 करोड़ रुपए (अंतिम) एवं 13.47 करोड़ रुपए (अंतिम) (कर पूर्व) रुपए रहा।



उत्पादन कार्य निष्पादन

वर्ष 2005-06 के दौरान फेरो एलॉइज की सभी श्रेणियों का उत्पादन (अनंतिम) नीचे दिया गया है।

(मीट्रिक टन)

माल	2004-2005	अप्रैल-दिसम्बर 2005 (अनंतिम)
हाई कार्बन फ़ैरी मैंगनीज़	5345	3902
सिलिको मैंगनीज़	1567	3186
मीडियम कार्बन फ़ैरो मैंगनीज़	217	167

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र)

परिचय

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र प्रथम तटीय अवस्थित एकीकृत संयंत्र विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में है। संयंत्र अगस्त 1992 में 3 मिलियन टन वार्षिक तरल इस्पात की क्षमता से चालू हुआ। डिजाइन और इंजीनियरिंग में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, उच्चतम टेक्नोलॉजी जिसमें भारी ऊर्जा बचत और प्रदूषण नियंत्रण उपाय किए गए हैं, बनाया गया। वीएसपी का शानदार ले-आउट है, जो संयंत्र की क्षमता विस्तार को 10 मिलियन प्रति टन तक करने की सुविधा प्रदान करता है। अपने एकीकृत प्रचालन के वर्ष से ही वीएसपी ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद के साथ धाक जमा ली है। कम्पनी को सभी तीन अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र-ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 और OHSAS 18001:1999 प्राप्त हो चुके हैं। आरआईएनएल, वीएसपी एक अच्छे कारपोरेट सिटिजन के रूप में उभरा है और इसने क्षेत्र के विकास में अपना अंशदान किया है।



कोक ओवन बैटरी का मनोरम दृश्य।

उत्पादन कार्य निष्पादन

मर्दे	2003-04	2004-05	2005-06 (दिस. 2005 तक)		
उत्पादन (मिलियन टन में)			लक्ष्य	वास्तविक	प्रतिपूर्ति %
तप्त धातु	4.055(119%)	3.920(115%)	2.985	3.068	103
तरल इस्पात	3.508(117%)	3.560(119%)	2.584	2.642	102
बिक्री योग्य इस्पात	3.169(119%)	3.173(119%)	2.293	2.358	103
* कोष्टक में क्षमता उपयोग का प्रतिशत है					

वित्तीय कार्य निष्पादन

मर्दे	2003-04	2004-05	2005-06 (दिस. 2005 तक) (अनंतिम)
वित्तीय (करोड़ रुपए में)			
बिक्री	6169	8181	5563
सकल लाभ	2073	3271	1670
कर-पूर्व लाभ	1547	2253	1315
कर उपरांत लाभ	1547	2008	863

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

सामान्य

भारत सरकार के उद्यम, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 15 नवम्बर, 1958 को हुई। यह देश के खनिज स्रोतों के विकास एवं दोहन (कोयला, तेल, नेचुरल गैस आदि एटमी खनिज के अलावा)में संलग्न हैं। वर्तमान में इसकी गतिविधियाँ लौह अयस्क, हीरे एवं सिलिका चूर्ण के खनन पर केंद्रित हैं। एनएमडीसी बैलाडिला (छत्तीसगढ़) और दौगिमले (कर्नाटक) स्थित देश में सबसे बड़ी यंत्रिकृत खानों का प्रचालन करती हैं। सिलिका सैंड प्रोजेक्ट, लालपुर, इलाहाबाद में और हीरा खान, पन्ना (मध्य प्रदेश) में स्थित है। एनएमडीसी की सभी लौह अयस्क उत्पादन इकाइयों को आईएसओ 9000 और आईएसओ 14000 प्रमाणपत्र प्राप्त है और आर एण्ड डी सेंटर को भी आई एस ओ 9000 प्रमाणपत्र मिल चुका है।

लौह अयस्क

उत्पादन

एनएमडीसी ने 2005-06 के दौरान (दिसम्बर, 2005 तक) 15.73 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया।

निर्यात

एनएमडीसी द्वारा उत्पादित लौह अयस्क का निर्यात खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम.एम.टी.सी.) के माध्यम से किया जाता है। लौह अयस्क का निर्यात मुख्य रूप से जापान, द. कोरिया और चीन को किया जाता है। वर्ष 2005-06 (दिसम्बर, 2005 तक) में एनएमडीसी ने लगभग 777.34 करोड़ रुपए मूल्य का 4.03 मिलियन टन लौह अयस्क निर्यात किया।

घरेलू बिक्री

वर्ष 2005-06 (दिसम्बर, 2005 तक) के दौरान लौह अयस्क की घरेलू बिक्री 13.44 मिलियन टन हुई।

हीरा

वर्ष 2005-06 (दिसम्बर, 2005 तक) के दौरान 35,305 कैरेट्स हीरा का उत्पादन हुआ।


सिलिका सैंड

वर्ष 2005-06 (दिसम्बर, 2005 तक) के दौरान परिष्कृत सिलिका सैंड का उत्पादन 44,899 टन और बिक्री 44,365 टन रही।

वित्त

पूंजीगत ढाँचा

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपये है। चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 132.16 करोड़ रुपये थी। भारत सरकार से बकाया ऋण शून्य है।



वित्तीय कार्य निष्पादन

कंपनी का वर्ष 2004-05 और 2005-06 (अप्रैल-दिसम्बर, 2005) का वित्तीय कार्य निष्पादन नीचे दिया जा रहा है :-

(करोड़ रुपए में)

माल	2004-2005	2005-2006 (दिस. 2005 तक) (अनंतिम)
विक्री/कारोबार	2229.99	2572.18
सकल लाभ	1291.29	2003.74
करपूर्व लाभ/हानि	1223.65	1915.15

एमएसटीसी लिमिटेड

भूमिका

एमएसटीसी लिमिटेड (जो पहले मेटल स्क्रेप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी) को 9 सितम्बर, 1964 को कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित किया गया था। कम्पनी की स्थिति फरवरी 1974 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) की सहायक इकाई के रूप में बदल गई। वर्ष 1982-83 में यह सेल के शेयरों को राष्ट्रपति को हस्तांतरित कर भारत सरकार की कम्पनी के रूप में बदल गई। इस समय यह कम्पनी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सरकारी विभागों से फ़ैरस तथा गैर-फ़ैरस स्क्रेप का निपटान करती है तथा अन्य प्राइवेट ट्रेडर्स के समान ही स्पर्धा में प्राप्त फ़ैरस और गैर-फ़ैरस स्क्रेप, कोक, परिष्कृत इस्पात और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात भी करती है।

पूंजीगत संरचना

कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 31.12. 2005 के अनुसार 5 करोड़ रुपए एवं प्रदत्त पूंजी 2.20 करोड़ रुपए थी, जिसमें से लगभग 90 प्रतिशत भारत के राष्ट्रपति के पास और शेष 10 प्रतिशत स्टील फर्नेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑयरन एण्ड स्टील स्क्रेप एसोसिएशन ऑफ इंडिया तथा अन्य के पास हैं। प्रदत्त पूंजी 2.20 करोड़ रुपए है, जिसमें वर्ष 1993-94 में 1:1 अनुपात में जारी किए गए बोनस शेयर भी शामिल हैं।

यूनिटों का क्षेत्र

कंपनी का पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय कोलकाता में स्थित है एवं इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई एवं मुम्बई, तीन शाखा कार्यालय विशाखापत्तनम बंगलोर एवम् बडोदरा और चार निवासी कार्यालय भोपाल, गोवा, हजीरा एवं त्रिची में हैं।

भौतिक एवम् वित्तीय कार्य निष्पादन

वर्ष 2005-06 (दिसम्बर, 2005 तक) एवं पिछले दो वर्षों में वास्तविक एवम् वित्तीय कार्य निष्पादन नीचे दिया जा रहा है :-

(करोड़ रुपए में)

	2003-04	2004-05	2005-06 (दिसम्बर, 2005 तक)
क. भौतिक			
(i) विक्रय एजेंसी/घरेलू	738	1076	2195
ii) विपणन	3427	4720	3545
iii) कारोबार की कुल मात्रा	4165	5796	5740
ख. वित्तीय			
(i) कारोबार	3344.02	4960.03	3208.17
(ii) प्रचालन लाभ (ब्याज, मूल्यहास और अन्य प्रावधान से पूर्व)	34.11	65.26	57.29
(iii) ब्याज, मूल्यहास और प्रावधान	0.42	0.49	1.15
(iv) कर पूर्व लाभ	33.69	64.77	56.14
(v) लाभांश	171%	349%	-

फ़ैरो स्क्रेप निगम लिमिटेड

भूमिका

फ़ैरो स्क्रेप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) पूर्ण रूप से एमएसटीसी लिमिटेड की सहायक कम्पनी है जिसकी प्रदत्त पूंजी 200 लाख रुपए है।

कार्यकलाप एवं उद्देश्य

यह कंपनी राउरकेला, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो, विशाखापत्तनम, दुर्गापुर, डोलवी, टुबरी और राजगढ़ में स्थित नौ इस्पात संयंत्रों में बनने वाले और कचरे से स्क्रेप प्राप्ति और उसे संसाधित करने का कार्य करती है। प्राप्त स्क्रेप को इस्पात संयंत्रों के पास पुनश्चक्रण/निपटान के लिए लौटा

वार्षिक रिपोर्ट : 2005-2006

दिया जाता है। कम्पनी को स्क्रैप की श्रेणी के आधार पर विभिन्न गुणवत्ता वाली दरों के आधार पर संसाधन प्रभार प्राप्त होता है। स्क्रैग का सृजन इस्पात तैयार करने में और रोलिंग मिलों में भी होता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी स्लैबों की स्क्रफिंग, बीओएफ स्लैग की हैंडलिंग आदि कार्य भी करती है।

भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन


एफएसएनएल का पिछले दो वर्षों और वर्ष 2005-06 (दिसम्बर, 2005 तक) का उत्पादन कार्य निष्पादन नीचे दिया जा रहा है :-

मर्दे	2003-04	2004-05	2005-06 (दिसम्बर, 2005 तक)
भौतिक स्क्रैप की पुनर्प्राप्ति (लाख मी. टन) उत्पादन का बाजार मूल्य (करोड़ रुपए में)	19.36	21.74	16.27
वित्तीय कुल करोबार (प्राप्त सेवा शुल्क विविध आय समेत) ब्याज एवं मूल्यहास से पूर्व सकल लाभ ब्याज एवं मूल्यहास कर पूर्व लाभ	851.84 8816.34 1671.41 840.40 831.01	956.56 9818.22 1678.79 830.14 848.65	715.88 6758.10 1087.58 795.20 292.38

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड

भूमिका

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल) की स्थापना 1962 में की गई थी। यह भारत में मैंगनीज अयस्क का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कम्पनी है। स्थापना के समय इसके 49 प्रतिशत शेयर सेंट्रल प्रोविंस मैंगनीज ओर कम्पनी लिमिटेड (सीपीएमओ) एवं बचे 51 प्रतिशत शेयर समान अनुपात में भारत सरकार, मध्य प्रदेश राज्य सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार के पास थे। इसके बाद वर्ष 1977 में सीपीएमओ के मॉयल में जो शेयर थे वे भारत सरकार द्वारा हस्तगत कर लिए गए एवं मॉयल अक्टूबर 1977 से पूर्णतः सरकारी कम्पनी हो गई। 31 मार्च, 2005 को मॉयल में भारत सरकार के पास 81.87 प्रतिशत शेयर और 9.62% तथा 8.81% शेयर क्रमशः महाराष्ट्र तथा मध्यप्रदेश सरकार इसके अतिरिक्त कंपनी स्लैब स्क्रफिंग, बेसिक आक्सीजन फर्नेस स्लैग उठाने-रखने आदि स्टील मिल सेवाएं भी उपलब्ध करा रही है।




एक मनोरम दृश्य : बालाघाट खान।

भौतिक एवं वित्तीय कार्य निष्पादन

एफएसएनएल का गत दो वर्ष और 2005-06 (31 दिसम्बर, 05 को) में उत्पादन निष्पादन नीचे दिया गया है।

मॉयल मैंगनीज की निम्नलिखित श्रेणियों का उत्पादन तथा बिक्री करता है:

- फ़ैरो मैंगनीज के उत्पादन के लिए उच्च श्रेणी का अयस्क
- सिलिको मैंगनीज के लिए उत्पादन के लिए मध्यम श्रेणी का अयस्क
- तप्त धातु के उत्पादन के लिए आवश्यक घमनभट्टी श्रेणी का अयस्क; और
- रसायन उद्योगों तथा ड्राई बैटरी सैल में प्रयोग किया जाने वाला डायोक्साइड अयस्क



पूँजीगत ढांचा

कम्पनी की प्राधिकृत पूँजी 31 मार्च, 2005 की स्थिति अनुसार 30 करोड़ रुपए और प्रदत्त पूँजी 15.33 करोड़ रुपए है।

उत्पादन एवं वित्तीय कार्य निष्पादन

वर्ष 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 (अप्रैल से दिसम्बर, 2005) के दौरान भौतिक एवं वित्तीय कार्य निष्पादन नीचे दिया जा रहा है :-

मर्दे	2003-04	2004-05	2005-06 (दिसम्बर, 2005 तक)
1. उत्पादन क) मैंगनीज ओर (हजार टन) ख) ईएमडी (टन) ग) फ़ैरो मैंगनीज (टन)	799.00 975.00 10899.00	943.00 1123.00 10325.00	598.88 943.00 3825.00
2. कारोबार (करोड़ रुपए)	228.74	378.78	230.73
3. कर से पूर्व लाभ (करोड़ रुपए)	45.29	202.27	100.78

कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लि.

प्रस्तावना

कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लि. देश में सबसे बड़ी 100 प्रतिशत EU, ISO 9001:2000 और ISO 14001 कम्पनी है जो ईरान की दीर्घावधि जरूरतों को पूरा करने के लिए अप्रैल 1976 में स्थापित की गई थी। इसका एक लौह अयस्क पैलेट छिद्राल संयंत्र 75 लाख टन क्षमता का कुद्रेमुख में स्थापित किया गया था। इस परियोजना के लिए पूरा धन ईरान को देना था। यद्यपि ईरान ने 255 मिलियन डॉलर ऋण देने के बाद बाकी का ऋण रोक दिया था, लेकिन परियोजना भारत सरकार द्वारा वित्त मुहैया कराने पर यथासमय पूरी हो गई।

परियोजना यथा समय पूरी हो गई, लेकिन ईरान में राजनीतिक घटनाओं के कारण उसने यहां से कोई उत्पादन नहीं लिया। वैकल्पिक उपाय के रूप में मई 1981 में सरकार ने मंगलौर में 3 मिलियन टन क्षमता के एक संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी। पैलेट प्लांट की क्षमता विभिन्न बदलाव/परिवर्तन के साथ बढ़ाकर 3.5 मिलियन टन कर दी गई। संयंत्र में व्यावसायिक उत्पादन 1987 में प्रारम्भ हुआ और यह अब ब्लास्ट फर्नेस ग्रेड पेलेट्स चीन को निर्यात कर रहा है और घरेलू इकाइयों यथा इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को भी मुहैया कर रही है लौह अयस्क पैलेट जापान और चीन को निर्यात किया जाता है।

उत्पादन

वर्ष 2004-05 के दौरान लौह अयस्क छिद्री और लौह ऑक्साइड पैलेट्स के उत्पादन के लिए क्रमशः 4 मिलियन टन और 3.5 मिलियन टन का लक्ष्य निश्चित किया गया था। वास्तविक उत्पादन 4.350 मिलियन टन संकेद्रण एवं 3.795 मिलियन टन पैलेट्स का था।



पैलेट प्लांट, मंगलूर का एरियल दृश्य



श्री राम विलास पासवान, माननीय रसायन एवं उर्वरक और इस्पात मंत्री कुद्रेमुख में प्लांट का निरीक्षण करते हुए।

वर्ष 2005-06 के दौरान 3.1 मिलियन टन लौह अयस्क संकेन्द्रण और 3.05 मिलियन टन पैलेट्स का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया। अप्रैल से दिसम्बर, 2005 की अवधि के लिए निश्चित 3.1 मिलियन टन लौह अयस्क संकेन्द्रण लक्ष्य के मुकाबले, वास्तव में 2.922 मिलियन टन उत्पादन हुआ जो 94 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति है। अप्रैल से दिसम्बर, 2005 के दौरान पैलेट्स का उत्पादन लक्ष्य 2.23 मिलियन टन था और इस अवधि में वास्तविक उत्पादन 2.434 मिलियन टन हुआ, जो लक्ष्य की 109 प्रतिशत प्राप्ति का सूचक है। उक्त अवधि में 7000 टन पैलेट चूर्ण सृजित हुआ। वर्ष 2005-06 के दौरान दिसम्बर, 2005 तक लौह अयस्क संकेन्द्रण के उत्पादन में कमी अयस्क के कड़े होने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश कि खनन केवल पहले से ही तोड़े गये क्षेत्र में किया जाये, में लगाये गये प्रतिबंधों के चलते रॉम (ROM) की खराब प्राप्ति की वजह से हुई है।

वित्तीय कार्य निष्पादन

वर्ष 2005-06 (दिसम्बर, 2005 तक) के दौरान कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लि. के कार्य-निष्पादन को पिछले तीन वर्ष के वास्तविक कार्य-निष्पादन के साथ नीचे दिया गया है।

(लाख रुपए में)

विवरण	2005-06 (दिसम्बर, 2005 तक)	2004-05	2003-04	2002-03
कुल बिक्री का मूल्य	109103	185377	102938	72714
सकल मार्जिन	60832	120863	45945	17303
कर उपरांत लाभ	30878	64984	30070	8753
माल सूची (तैयार माल को छोड़कर)	10514	8720	7616	7721

बर्ड ग्रुप की कम्पनियाँ

भूमिका

बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड के उपक्रम का 1980 में राष्ट्रीयकरण किए जाने के परिणामस्वरूप निम्नलिखित सात कम्पनियाँ इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आई :-

- (क) उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (ओ.एम.डी.सी.)
- (ख) बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लिमिटेड (बी.एस.एल.सी.)
- (ग) करनपुरा डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (के.डी.सी.एल.)
- (घ) स्कॉट एण्ड सक्सबी लिमिटेड (एस.एस.एल.)
- (ङ) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ई.आई.एल.)
- (च) बुराकर कोल कम्पनी लिमिटेड (बुराकर)
- (छ) बोरिया कोल कम्पनी लिमिटेड (बोरिया)

कम्पनियों की स्थिति नीचे दर्शाई गई है :-

- (क) बुराकर और बोरिया कोयला कम्पनियाँ कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद परिचालन में नहीं हैं। इन कम्पनियों की समापन प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण हो जायेगी।
- (ख) ईआईएल एक निवेश कम्पनी है। बर्ड ग्रुप के अंतर्गत प्रचालनरत कम्पनियों के इक्विटी शेयरों में ईआईएल का एक प्रमुख हिस्सा है।
- (ग) ओ.एम.डी.सी., बी.एस.एल.सी., के.डी.सी.एल. एवं एस.एस.एल. इस ग्रुप के अंतर्गत प्रचालन कर रही कम्पनियाँ हैं।

राष्ट्रीयकरण के समय कम्पनियों की स्थिति

जब बर्ड ग्रुप की कम्पनियाँ, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आई, उस समय सभी कम्पनियाँ वित्तीय रूप से रूग्ण थीं और उनके ऊपर विभिन्न समस्याओं का भारी बोझ था। भारत सरकार से वित्तीय सहायता मिलने से ये समस्याएँ, जो मुख्यतया अधिक जन शक्ति, कार्यपूँजी के हास तथा बकाया देनदारियाँ थीं, काफी हद तक निपटायी जा सकीं।

प्रचालनरत कम्पनियों का पृथक-पृथक कार्य निष्पादन

उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (ओएमडीसी)

खानों की क्षेत्र स्थिति, कार्यकलाप एवम् पूँजी संरचना

कम्पनी की खानें क्यांझर जिले के बारबिल के आसपास स्थित हैं। इसके कार्यकलाप लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क के खनन और विपणन से संबंधित हैं। इसकी अधिकृत एवं चुकता पूँजी 60 लाख रुपए है।


कार्य निष्पादन

इस्पात बाजार में उछाल की वजह से, लौह अयस्क की मांग में वृद्धि आई है। अधिक उत्पादन एवं बेहतर प्राप्ति की वजह से कम्पनी का वर्ष 2002-03 में कायापलट हो गया।

कम्पनी का निष्पादन नीचे दिया गया है :-

(लाख रुपए में)

	2003-04	2004-05	2005-06 (अंतिम) (अप्रैल-दिसम्बर, 2005)
उत्पादन ('000 टन)	3130	3232	1791
बिक्री	22382	28346	18092
सकल मार्जिन			
सरकारी ऋणों पर ब्याज एवं मूल्यहास में पूर्व	15849	23342	14200
शुद्ध लाभ/हानि	10424	14555	9216



विविधीकरण

कंपनी ने अपने कारोबार में विविधता लाने के प्रयास किए हैं। स्पंज लोहे की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए इसने ठाकुरानी में 100 टन प्रतिदिन क्षमता का स्पंज लोहा संयंत्र चालू किया है। व्यावसायिक उत्पादन जून 2004 में शुरू हुआ। कारोबार में और विविधता लाने के बारे में विचार कर रही है।

बिरसा स्टोन लाइम कम्पनी लिमिटेड (बीएसएलसी)

खानों की क्षेत्र स्थिति, कार्यकलाप एवं पूंजी संरचना

कम्पनी की खानें सुंदरगढ़ जिले के बीरमित्रपुर के आसपास स्थित हैं। लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट का खनन और विपणन कम्पनी के मुख्य कार्यकलाप हैं। कम्पनी की अधिकृत एवं चुकता पूंजी 50 लाख रुपए हैं।

कार्य-निष्पादन

इस्पात बनाने की प्रौद्योगिकी में बदलाव आने से बीएसएलसी के उत्पादों की मांग में तेजी से गिरावट आई है और कम्पनी को भारी नुकसान हुआ है। योजना ऋण एवं गैर योजना ऋण के रूप में भारत सरकार की वित्तीय सहायता से कम्पनी अपने अस्तित्व को बनाये रखने और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुछ उपाय करने की स्थिति में आई। उत्पादक मिश्र बदलने एवं गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उपाय किए गए। वैगनों में लदान पर होने वाली देरी को रोकने के लिए एक रेक 58 Box N वैगनों को दो भाग में रखने के लिए संशोधन कार्य किया गया। कंपनी ने सेल कारखानों को लाइम स्टोन और डोलोमाइट सप्लाय करने के लिए सेल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं इस तरह के उपायों से कंपनी के कार्यनिष्पादन में थोड़ा सुधार आया है और कंपनी से सकारात्मक सकल मार्जिन दर्ज करना शुरू कर दिया है।

कम्पनी का निष्पादन नीचे दिया जा रहा है :-

(लाख रुपए में)

	2003-04	2004-05	2005-06 (अंतिम) (अप्रैल-दिसम्बर, 2005)
उत्पादन ('000 टन)	916	796	735
बिक्री	1990	2254	2040
सकल मार्जन			
सरकारी ऋणों पर ब्याज			
एवं मूल्यहास में पूर्व	(-) 303	(-) 215	37
शुद्ध लाभ/हानि	(-) 4874	(-)5495	(-)4715

करनपुरा डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (केडीसीएल)

खानों की क्षेत्र स्थिति, कार्यकलाप एवं पूंजी संरचना

कम्पनी की खानें झारखंड के सिरका के आसपास स्थित हैं। यह कम्पनी सीमेंट उत्पादन के लिए उपयुक्त चूना-पत्थर का उत्पादन करती है। इसकी अधिकृत एवं चुकता पूंजी क्रमशः 40 लाख रुपए एवं 20 लाख रुपए है।

कार्य निष्पादन

कम्पनी अपने उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड एवं बिहार राज्यों में बेचती है। इन राज्यों में सीमेंट ग्रेड के चूना-पत्थर की मांग में कुछ अधिक उतार-चढ़ाव है। इसके फलस्वरूप कम्पनी का कार्य निष्पादन प्रभावित होता है।

कम्पनी का कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है:-

(लाख रुपए में)

	2003-04	2004-05	2005-06 (अंतिम) (अप्रैल-दिसम्बर, 2005)
लाइमस्टोन का उत्पादन ('000 टन)	73	79	51
बिक्री	164	185	125
सकल मार्जन			
सरकारी ऋणों पर ब्याज			
एवं मूल्यहास में पूर्व	2	4	(-)7
शुद्ध लाभ/हानि	(-) 108	(-) 135	(-)133

भावी परिदृश्य

जहाँ कम्पनी की खानें स्थित हैं, उन क्षेत्रों के सीमेंट संयंत्रों के मालिकों ने विलंकर प्लांट स्थापित कर लिये हैं। आशा है कि केडीसीएल और विलंकर प्लांट मालिकों के मध्य सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होंगे और तब कुछ हद तक मांग की स्थिति में सुधार हो जाएगा।

स्कॉट एण्ड सक्सबी लिमिटेड (एसएसएल)

खानों की क्षेत्र स्थिति, कार्यकलाप एवं पूंजी संरचना

कम्पनी कोलकाता में है। यह कम्पनी मुख्यतः गहरे ट्यूबवेल लगाने एवं खनिज की खोज कार्य में लगी हुई है। कम्पनी की अधिकृत एवं चुकता पूंजी 5 लाख रुपए है।

कार्य निष्पादन

मांग के अभाव, पुरानी एवं जीर्ण मशीनों तथा अधिक जन शक्ति स्त्री समस्याओं के कारण कम्पनी का कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं है। कम्पनी का कार्य निष्पादन नीचे दिया जा रहा है :-

(लाख रुपए में)

	2003-04	2004-05	2005-06 (अंतिम) (अप्रैल-दिसम्बर, 2005)
बिक्री	157	161	123
सकल मार्जन			
सरकारी ऋणों पर ब्याज			
एवं मूल्यहास में पूर्व	1	(-) 6	(-)4
शुद्ध लाभ/हानि	(-) 585	(-) 721	(-)651

स्कॉट एण्ड सक्सबी लिमिटेड (एसएसएल) का पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में योगदान

एसएसएल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में कुछ भूमिका अदा की है। भूमिगत जल का सदुपयोग कर असम के चाय बागानों के विकास में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कम्पनी ने इस राज्य में चाय बागानों के लिए लगभग 600 गहरे ट्यूबवेल लगाये हैं।

तत्पश्चात कम्पनी ने अपने कार्यकलापों का विस्तार त्रिपुरा राज्य में किया है और 30 नवम्बर, 2005 तक राज्य में लगभग 131 गहरे ट्यूबवेल लगाए गए। कम्पनी को इस राज्य में और भी आर्डर मिले हैं। त्रिपुरा में गहरे ट्यूबवेल लगाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग की ग्रामीण विकास परियोजना का एक हिस्सा है। विपरीत कानून एवं व्यवस्था के बावजूद कम्पनी ने अपने कार्यकलापों को इन राज्यों में जारी रखा है।

स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड

परिचय

कम्पनी का स्पंज आयरन संयंत्र यूएनडीपी/यूनिडो की सहायता से 30,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता के साथ प्रारम्भ में एक प्रदर्शन इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य लौह अयस्क सम्प और 100 प्रतिशत गैर कोकिंग कोयले से स्पंज के तौर पर लोहा तैयार करने (इन्डक्शन और वैद्युत आर्क भट्टियों के आंशिक विकल्प आयरन इन्डक्शन तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता स्थापित करना था।


सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड (एसीसीएल) से प्राप्त गैर-कोकिंग कोयला और लौह अयस्क जो आंध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों और पड़ोसी राज्यों में उपलब्ध है, पर आधारित इस इकाई का नियमित परिचालन नवम्बर 1980 में हुआ। रोटरी भट्टी प्रक्रिया पर आधारित स्पंज आयरन संयंत्र में अनेक सुधार और तब्दीली की गयी जो स्थानीय कच्चे माल और परिचालन परिस्थितियों के उपयुक्त हो, जिसके परिणामस्वरूप इसने सिल्ल तकनीक के विकास में ही मदद नहीं की बल्कि देश में स्पंज आयरन उद्योग के विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया।

दिसम्बर, 2005 तक कार्य निष्पादन के महत्वपूर्ण बिन्दु :-

- 2005-06 के दौरान अब तक उत्पादन 36,686 टन हुआ, उत्पादन क्षमता का 82 प्रतिशत उपयोग हुआ।
- 2005-06 के दौरान 31.12.2005 तक स्पंज आयरन की प्रति टन औसत बिक्री से प्राप्ति 9,238/- रुपए हुई।
- 2005-06 के दौरान 31.12.2005 तक बिक्री कारोबार 29.28 करोड़ रुपए रहा।
- 31.12.2005 तक परिचालन लाभ 3.48 करोड़ रुपए हुआ।

वित्त

भारत सरकार के पत्र सं. 11(5)/2000-केडीएम दिनांक 28.03.2001, के पश्चात भारत सरकार के 32.51 करोड़ रु. के बकाया ऋणों (योजना और गैर-योजना) को इक्विटी में बदलने और 36.78 करोड़ के संचित ब्याज (जिसमें 01.04.2000 से 13.23 करोड़ रु. का जुर्माना ब्याज की शामिल है) बट्टे खाते में डाल दिए जाने को मंजूरी दिए जाने पर (ऋण भारत सरकार के लिए गए थे) राशि जो 32.51 करोड़ की इक्विटी और संचित ब्याज वृद्धि की राशि 36.78 करोड़ रुपए (जिसमें 01.04.2000 के प्रभाव से ब्याज दंड की राशि 13.23 करोड़ रुपए शामिल हैं) को माफ कर दिया गया। कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 66.00 करोड़ रुपए थी (31.03.2005 को)। चुकता पूंजी 65.10 करोड़ रुपए थी (64.27 करोड़ रुपए भारत सरकार और शेष 0.83 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश सरकार के हैं)।



3.0 उत्पादन

3.1 विगत दो वर्षों के दौरान कम्पनी का उत्पादन और वित्तीय कार्य निष्पादन, 31.12.2005 तक 2005-06 के अनंतिम आंकड़ों के साथ नीचे तालिका में दिया गया है :-

	2003-04	2004-05	2005-06 (अनंतिम) (अप्रैल-दिसम्बर, 2005)
उत्पादन			
- स्पंज आयरन (टन)	69,509	57,501	36,686
विद्युत उत्पादन (ला किलोवाट)	88	89	36
- क्षमता उपयोग (%) विक्रय	116	96	82
- स्पंज लोहा (टन)	68,072	58,174	31,696
- बिक्री कारोबार (शुद्ध) लाख रुपए में	5,886	6,197	2,928
- आन्तरिक संसाधनों का सृजन (लाख रुपए में)	2,296	1,656	528
- शुद्ध लाभ (लाख रुपए) (कर पूर्व लाभ)	2,053	1,424	348

मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन देश में पहला परामर्शदात्री एवं इंजिनियरी संगठन है जिसे आईएसओ : 9001 प्रमाण पत्र मिला है। इस कंपनी का राँची, झारखंड में पंजीकृत कार्यालय एवं बंगलौर व दिल्ली में इंजीनियरी कार्यालय हैं। इसके मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता में संपर्क/विपणन कार्यालय के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में परियोजना कार्यालय हैं। इसके अलावा देश से बाहर इसका लाओस, नाइजीरिया में भी एक कार्यालय है।

इस्पात मंत्रालय के अधीन, 32 वर्ष से अधिक समय के लम्बे सफर में मेकॉन ने न केवल परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, बेसिक इंजीनियरी, विस्तृत इंजीनियरी, डिजाइनर के पर्यवेक्षण, इत्यादि जैसी परामर्शदात्री सेवाओं के क्षेत्र में, वरन फेरस, नॉन-फेरस, तेल एवं प्राकृतिक गैस, पेट्रो-रसायन, विद्युत, बुनियादी क्षेत्रों को डिजाइन, उपकरणों की आपूर्ति, परियोजनाओं को लगाने-चलान (टर्न-की) में भी काफी अधिक विशेषज्ञता विकसित कर ली है। इस्पात कारखानों के साथ लम्बे समय तक काम करने से मेकॉन को अपना एक सुदृढ़ प्रौद्योगिकीय आधार बनाने में मदद मिली है। फेरस और नॉन-फेरस मैटलर्जिकल प्लॉट्स के अपने प्रमुख व्यवसाय को कायम रखते हुए आज मेकॉन, खान एवं खनिज, विद्युत उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण परियोजनाओं, द्रुत गति से विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी), औद्योगिक समूहों, औद्योगिक विकास केंद्रों, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, तेल एवं प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों व टर्मिनलों, सामग्री संचालन परियोजनाओं, बुनियादी परियोजनाओं, पत्तन एवं बंदरगाहों, जल आपूर्ति एवं सफाई परियोजनाओं, सड़क मार्गों, पुलों, पलाईओवरों और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं, सूचना टेक्नोलॉजी, रक्षा, अंतरिक्ष इंजीनियरी से जुड़ी परियोजनाओं एवं पर्यावरण इंजीनियरी से संबंधित परियोजनाओं से जुड़ गया है।

पूंजी संरचना

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 400 लाख रुपये है और इसके विपरीत चुकता पूंजी 242 लाख रुपए है। चुकता पूंजी 242 लाख रुपए में से 40.31 लाख रुपए के बोनस शेयर 1996-97 में जारी किये गये थे।

व्यवसाय विविधीकरण

इस्पात को अपने कार्यकलाप का प्रमुख क्षेत्र कायम रखते हुए, हमारी कंपनी ने अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में, विशेष रूप से तेल एवं प्राकृतिक गैस, विद्युत एवं बुनियादी क्षेत्र में अपनी धाक जमायी है। इससे कंपनी को भविष्य में अधिक अवसरों वाले क्षेत्रों की ओर स्वयं को मोड़ते हुए, क्षेत्रगत बाजार उतार-चढ़ाव में सामंजस्य बिठाने में मदद मिलेगी। कंपनी को इनमें से कुछ क्षेत्रों में भारी अनुभव एवं मान्यता मिली है और यह अपने ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सेवाओं का एक सशक्त आधार बनाना चाहेगी।

कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस, विद्युत और बुनियादी विविध क्षेत्रों में अनेक प्रतिष्ठित परियोजनाओं से जुड़ने में गौरवान्वित है। तेल और गैस क्षेत्र में, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के लिए दिल्ली शहर में विश्व के सबसे बड़े सीएनजी नेटवर्क को सफलतापूर्वक चालू करने के बाद, कंपनी ने विजयवाड़ा, लखनऊ, आगरा, बरेली, बड़ोदरा और अहमदाबाद जैसे अनेक अन्य शहरों में सीएनजी के लिए इंजीनियरी एवं पीएमसी सेवाएं प्रदान करने और सिटी गैस वितरण के लिए अपने पंख फैला दिये हैं। कंपनी ने विद्युत संयंत्रों, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन क्षेत्र (93.6 किलोमीटर) पाइपलाइन-96.3 किलोमीटर) के औद्योगिक उपभोक्ताओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्राकृतिक गैस की सप्लाई के लिए गेल की अनेक प्रतिष्ठित पाइपलाइन परियोजनाओं को भी सम्पन्न किया है।

अप्रैल-दिसम्बर, 2005 के दौरान, विविध क्षेत्रों (इस्पात के अलावा) से काफी अच्छा व्यवसाय मिला है, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि कंपनी को विविध क्षेत्रों में मान्यता मिली है।

कंपनी ने तेल और गैस क्षेत्र में एक नया मोर्चा खोला है। कंपनी को ओएनजीसी से एक ऑर्डर मिला है जिसके अनुसार नजीरा, आसाम में ऑटोमेटिक स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम (एएस एंड आरएस) से युक्त मॉडल स्टोर की स्थापना के लिए इंजीनियरी एवं परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करेगी।

कंपनी अनेक ग्राहकों को विशेषीकृत जांच सेवाएं प्रदान कर रही है— दिल्ली जल बोर्ड, दक्षिणी हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम, उत्तरी हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और हरियाणा विद्युत निगम लिमिटेड।

तकनीकी परामर्श के परम्परागत क्षेत्रों के अलावा कंपनी प्रबन्ध परामर्श और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों के व्यवसाय जगत में नये कीर्तिमान बनाने में भी कामयाब रही है। बाजार सर्वेक्षण, वित्तीय पुनर्गठन, कार्याकल्प अध्ययन, सामाजिक-आर्थिक प्रभाव आकलन (एसईआईए) अध्ययन, पुनर्वास एवं पुनर्वसन (आर एण्ड आर) अध्ययन जैसे कुछ क्षेत्रों के नाम गिनाये जा सकते हैं, जहां इस कंपनी ने अपनी उपस्थिति का अहसास कराया है।

हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल) की स्थापना जून 1964 में की गई थी। आरंभिक उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में एक ऐसे संगठन की स्थापना करना था जो आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्रों के पूर्ण निर्माण में सक्षम हो। एचएससीएल बोकारो इस्पात संयंत्र, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र और सेलम इस्पात संयंत्र की स्थापना और चालू करने तक और भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, इस्को (बर्नपुर) और भद्रावती इस्पात संयंत्र के विस्तार और आधुनिकीकरण से भी जुड़ा हुआ था। इस्पात संयंत्रों में निर्माण गतिविधियां कम हो जाने से कंपनी ने दूसरे क्षेत्रों जैसे— विद्युत, कोयला, तेल और गैस में अपनी गतिविधियां तेज कर दी। इसके अतिरिक्त, एचएससीएल, प्राथमिक संरचना क्षेत्र जैसे सड़कें/राष्ट्रीय राजमार्गों, पुलों, बांधों, जमीन के भीतर संचार और परिवहन तंत्र एवं औद्योगिक और टाउनशिप कॉम्प्लेक्स जिसमें उच्च स्तर की योजना, समन्वय और आधुनिक परिष्कृत तकनीकों की जरूरतें होती हैं, में अपना विविधीकरण कर दिया।

कंपनी ने पाइलिंग, मुदा अन्वेषण, व्यापक स्थापना कार्य, गगनचुम्बी ढांचों, संरचनात्मक निर्माण और इरेक्शन रिफ्रेक्टरी, प्रोद्योगिकी ढांचों और पाइपलाइनों, परीक्षण एवं चालू करने समेत इक्विपमेंट इरेक्शन इंस्ट्रुमेंटेशन जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता विकसित की है।

पूंजी संरचना

कंपनी की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी आज की तारीख में क्रमशः 150 करोड़ रुपए और 117.10 करोड़ रुपए है। भारत सरकार की कुल बकाया ऋण राशि आज की तारीख में 518.20 करोड़ रुपए (योजना ऋण 26.50 करोड़ रुपए और गैर-योजना ऋण 491.70 करोड़ रुपए) है। कंपनी ने सरकार से 222.44 करोड़ रुपए गैर-योजना सहायता के रूप में वेतन तथा पारिश्रमिक व कानूनी बकाया राशि के भुगतान के लिए प्राप्त किए। किये, यह राशि 1999 में पुनर्गठन पैकेज के कार्यान्वयन समय मिली थी।

कार्य निष्पादन की विशेष उपलब्धियाँ

कंपनी का वित्तीय कार्य निष्पादन 2004-05 और 2005-06 के दौरान निम्नवत रहा है :-

(करोड़ रुपए में)

	2003-04	2004-05	2005-06 (अप्रैल-दिसम्बर, 2005)
कारोबार	306.95	322.31	223.76
परिचालन लाभ (+)/हानि(-)	18.40	28.68	4.49
शुद्ध लाभ(+) हानि(-)	(-)88.50	(-)94.21	(-)38.56

बैंकों से लिए गए ऋण पर ब्याज को भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है।

* हानि में 69.50 करोड़ रुपए शामिल है, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर खर्च का 1/5 भाग है।

भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड

भारत सरकार के उपक्रम का गठन भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड 22 जुलाई 1974 में स्थापित किया गया था इस समय रुप से इसकी निम्न चार इकाइयाँ है :-

- भंडारीडह रिफ्रेक्टरीज संयंत्र,
- सैंची रोड रिफ्रेक्टरीज संयंत्र, रामगढ़
- भिलाई रिफ्रेक्टरीज संयंत्र, भिलाई और
- इफको रिफ्रेक्टरीज संयंत्र, रामगढ़

कंपनी विभिन्न प्रकार के रिफ्रेक्टरीज के निर्माण और आपूर्ति में सिर्फ एकीकृत इस्पात संयंत्रों के लिए ही नहीं, बल्कि मिनी इस्पात और मिडी इस्पात संयंत्रों के लिए भी संलग्न है।

पूंजी संरचना

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 31 मार्च, 2005 को 24600 लाख रुपए थी, और चुकता पूंजी 21579.42 लाख रुपए थी।

वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2004-05 के दौरान, ब्याज और मूल्यहास से पूर्व बीआरएल को 1488.21 लाख रुपए का घाटा हुआ था। लेकिन ब्याज मूल्यहास और पूर्व अवधि समायोजन/वीआर के मद में क्रमशः 1484.09 लाख रुपए, 302.11 लाख रुपए, 219.95 लाख रुपए और 2.47 लाख रुपए देने के बाद इसे शुद्ध हानि 521.30 लाख रुपए की हुई। 2005-06 के दौरान कंपनी ने बिना 17.5 प्रतिशत ब्याज को ध्यान में रखे, जो गैर-योजना ऋण में 55 करोड़ रुपए मंजूर किया गया था और विधिक बकाए की समाप्ति के लिए पुनर्बहाली योजना के अधीन था, 158.48 लाख रुपए का शुद्ध लाभ कमाया।



अध्याय-IV

निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्र भारतीय इस्पात उद्योग में व्यापक तथा महती भूमिका अदा कर रहा है। इस अध्याय में उसके योगदान, भूमिका और कार्य-निष्पादन पर प्रकाश डाला गया है।

टाटा स्टील लिमिटेड

टाटा स्टील ने चार चरणों में अपना आधुनिकीकरण पूर्ण करने के बाद, 2004-05 में 3.51 मिलियन टन तैयार इस्पात और 4.10 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में तनिक कम है। टाटा स्टील का कम उत्पादन प्रमुख रूप से धमन भट्टी-जी को आधुनिकीकरण के लिए बंद कर दिये जाने की वजह से हुआ।

वर्ष 2004-05 का उत्पादन

टाटा स्टील की वर्ष 2004-05 की उत्पादन योजना एवं वास्तविक उत्पादन नीचे दिया जा रहा है :-

(यूनिट '000 टन में)

मद/संयंत्र	उत्पादन लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन #
तप्त धातु	4400	4347
कच्चा इस्पात	4000	4103
बिक्री योग्य इस्पात	3784	4110

वास्तविक उत्पादन आंकड़ों को "राउंड ऑफ" कर दिया गया है।

वर्ष 2005-06 की उत्पादन योजना

टाटा स्टील की वर्ष 2005-06 की अनंतिम सूचनापरक उत्पादक योजना नीचे दी जा रही है। बाजार परिस्थितियों के अनुरूप उत्पादन योजना में परिवर्तन हो सकता है :-

मद/संयंत्र	उत्पादन लक्ष्य '000 टन में
तप्त धातु	5200
कच्चा इस्पात	5000
बिक्री योग्य इस्पात	4835

एस्सार स्टील

एस्सार एक एकीकृत इस्पात निर्माता है जो मूल्यवान उत्पादन तैयार करता है। एस्सार स्टील अपने हाजिरा, गुजरात स्थित अधुनातन इस्पात कारखाने में विश्व के कुछ सर्वोत्तम इस्पात उत्पाद तैयार करता है। यह भारत का सपाट उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है तथा अपना आधा उत्पादन विदेशों में, विशेषकर उच्च गुणवत्ता की मांग करने वाले पश्चिमी और दक्षिण-पूर्व एशिया के विकास बाजारों और मध्य-पूर्व के देशों को भेजता है। एस्सार अपने आधुनिक वितरण नटवर्क के माध्यम से उत्कृष्ट ग्राहक सेवा सुनिश्चित करता है।

एस्सार स्टील की मुख्य उत्पादन सुविधाएं इसके हाजिरा, गुजरात स्थित कारखाने में हैं। हाजिरा काम्प्लेक्स में 20 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता का हॉट ब्रिक्यूटेड आयरन (एचबीआई) संयंत्र और एक इनसे प्राप्त उत्पादन से उत्पाद तैयार करने वाला काम्प्लेक्स है। इस सुविधाओं के साथ इसके संयुक्त उद्यम: विशाखापत्तनम् में 33 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता था। एक पैलेट संयंत्र और इन्डोनेशिया में 200,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता का एक कोल्ड रोलड कॉयल संयंत्र भी है।

उत्पाद

एस्सार के सभी उत्पाद विश्व श्रेणी के हैं तथा उच्चतम अन्तराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। साथ ही, इसकी वितरण और सेवाएं भी उत्कृष्ट हैं :

- लौह अयस्क पैलेट
- हॉट ब्रिक्यूटेड (स्पंज) लोहा (एचबीआई)
- हॉट रोलड कॉयरा (एचआरसी)
- कोल्ड रोलड कॉयल (सीआरसी)
- प्लेट
- शीट

इस्पात इन्डस्ट्रीज

कम्पनी की स्थापना 31 मई, 1984 को उड़ीसा में हुई। यह कम्पनी श्री एम.एल. मित्तल की अध्यक्षता में इस्पात समूह का अंग है। कम्पनी ने मध्यप्रदेश में बैलाडिला में लौह अयस्क के खनन के लिए नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन के साथ एवं संयुक्त उद्यम समझौता किया।

इस्पात इन्डस्ट्रीज लिमिटेड इस्पात ग्रुप की अग्रणी कम्पनी है। यह रायगढ़ जिले में जेलवी गीतापुरम और नागपुर जिले में कलमेशवर के अपने एकीकृत इस्पात कारखाने में इस्पात तैयार करती है। ये दोनों कारखाने महाराष्ट्र में हैं। जेलवी काम्पलेक्स में स्पंज लोहा और एच आर कॉयल तैयार किए जाते हैं जबकि कलमेशवर कॉम्पलेक्स में जस्ता चढ़ी शीटें और उत्पाद के अलावा कोल्ड रोल्ड कॉयल बनाए जाते हैं जिसके लिए देश में उपलब्ध उच्च कोटि की टेक्नॉलोजी का इस्तेमाल होता है। इस्पात इंडस्ट्रीज लि. राष्ट्रीय विशेषता-प्राप्त इस्पात व्यापार का नेतृत्व कर रहा है। इसकी उत्पादन सुविधाएं महाराष्ट्र में सपाट इस्पात के प्रमुख उपभोक्ता के निकट होने के कारण यह बाजार में अपनी परिस्थिति और अधिक सुदृढ़ करने की आशा करता है तथा इसे उम्मीद है कि बन्दरगाह के पास होने के कारण यह अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी उपस्थिति भी बढ़ा सकेगा। कम्पनी के पास 12 लाख टन प्रतिवर्ष डायरेक्ट रिड्यूस्ड लोहा तैयार करने की क्षमता है। साथ ही इसके पास 3 लाख टन प्रतिवर्ष कोल्ड रोल्ड उत्पादों तथा 2 लाख 20 हजार टन प्रतिवर्ष जस्ता चढ़ी कॉयलों/शीटों के विधायन की भी सुविधा है। कम्पनी ने अपने 30 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली हॉटस्ट्रिप मिल का प्रथम चरण भी चालू किया है। यह वर्ष 2000 तक पूर्ण रूप से चालू हो जाएगी। जेलवी काम्पलेक्स में 12 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता का स्पंज लोहा (डीआरआई) संयंत्र तथा 30 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता का एच आर कॉयल संयंत्र है। इसके पास 20 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता का एक कच्चा लोहा/ तप्त धातु संयंत्र (इस्पात मैटलिक्स के नाम से) और एक प्रस्तावित 367 मेगावाट निजी बिजलीघर (इस्पात एनर्जी लि. के नाम से) भी है।

इस्पात इन्डस्ट्रीज के अधीन कलमेशवर कॉम्पलेक्स में 2.25 लाख टन जस्ता चढ़ी सादा/गोल्वेनाइज्ड कारुगेटेड शीटें, एक 3 लाख टन क्षमता का कोल्ड रोल्ड कॉयल संयंत्र, 0.50 लाख टन रंगीन शीटें तैयार करने वाला एक संयंत्र है। जेलवी कॉम्पलेक्स में 367 मेगावाट क्षमता का प्रस्तावित बिजलीघर निजी उपभोग के लिए है।

जे एस डब्ल्यू स्टील लिमिटेड

जे एस डब्ल्यू आज एक पूर्ण रूप से एकीकृत इस्पात कारखाना है जिसकी यूनिटें कर्नाटक और महाराष्ट्र में हैं तथा पैलेट से रंगीन कोटेड इस्पात तैयार करती हैं। जे. एस. डब्ल्यू का इतिहास 1982 से देखा जा सकता है जब जिन्दल ग्रुप ने पीरामल स्टील लि. का अधिग्रहण किया। यह महाराष्ट्र में तारापुर में एक छोटी सी मिल के तौर पर चलाई जा रही थी। जिन्दल, जिनके पास इस्पात का विशाल अनुभव था, इसका नाम बदल कर जिन्दल आयरन एण्ड स्टील क. लि. (जीस्को) रख दिया और अब इसे जे एस डब्ल्यू स्टील लि. (डाउन स्ट्रीम) के नाम से जाना जाता है। 1994 में अधिक मूल्य वाले उत्पादन तैयार करने के स्वप्न तथा एक सुदृढ़ परिपक्व कम्पनी बनाने के उद्देश्य से जिस्को ने जिन्दल विजयनगर स्टील लि. (जे वी एस एल) की शुरुआत की। इसका कारखाना कर्नाटक के बेल्लारी-हास्पेट क्षेत्र में तोरांगल्लु में स्थित है। इस क्षेत्र में उच्च श्रेणी का लौह अयस्क उपलब्ध है। कारखाना 3,700 एकड़ जमीन में फैला है। यह बंगलूर से केवल 340 कि.मी. दूर और गोवा तथा चैन्नई बंदरगाह से अच्छी तरह से जुड़ा है।

उस समय इस्पात उद्योग नई टेक्नॉलोजी अपनाने की कगार पर ही थी, और जिन्दल ग्रुप ने इसमें पहल की। इसने आस्ट्रिया की वोएस्ट एल्पाइन द्वारा विकसित 'कोरेक्स' टेक्नॉलोजी अपनाई। जेवीएसएल यह टेक्नॉलोजी अपनाने वाला पहला नया कारखाना था। (विश्व के अन्य देशों में यह टेक्नॉलोजी पहले से चल रहे कुछ कारखानों जैसे दक्षिण अफ्रीका में 'इस्कॉर' और दक्षिण कोरिया में 'पोस्को' में ही प्रयोग की गई थी।)

इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस उद्योग


देश में इस समय 38 इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस आधारित इस्पात संयंत्र हैं (जिनकी कुल उत्पादक क्षमता 8.15 मिलियन टन है। प्रचालन कर रही इन यूनिटों के अलावा लगभग 13 यूनिटें बंद हो गई हैं। इन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस यूनिटों, जो संयुक्त संयंत्र समिति को अपनी रिपोर्ट दे रही हैं, ने 2004-05 के दौरान 7.77 मिलियन टन इनगट्स/ककास्ट बिलेट्स का उत्पादन किया, जबकि 2003-04 में यह 6.13 मिलियन टन था। इस तरह विगत वर्ष की तुलना में उत्पादन में 21 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह क्षेत्र कच्चे माल की बढ़ती कीमतों, बढ़ती हुई बिजली दरों, बिजली की किल्लत और संसाधनों की कमी से निरंतर झूझता रहा है।

इंडक्शन फर्नेस उद्योग

वर्ष 2004-05 के दौरान, यह अनुमान है कि 12.35 मिलियन टन की क्षमता के साथ 719 यूनिटें प्रचालन कर रही थीं। इंडक्शन फर्नेस यूनिटों के कुल उत्पादन में 2004-05 के दौरान 27 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई। संयुक्त संयंत्र समिति को मिली रिपोर्ट के अनुसार 2003-04 में 6 मिलियन टन की तुलना में विवेच्य वर्ष में 8.25 मिलियन टन उत्पादन हुआ।

स्पंज आयरन उद्योग

भारत विश्व में सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक है। क्षमता और उत्पादन की दृष्टि से विशेषरूप से पिछले 5-6 वर्षों में स्पंज आयरन का भारी विकास हुआ है। स्पंज आयरन की 1990-91 में 1.52 मिलियन टन की स्थापित क्षमता बढ़कर 2004-05 में 12.37 मिलियन टन हो गई है। 1990-91 में 0.9 मिलियन टन उत्पादन बढ़कर 2004-05 में 10.30 मिलियन टन हो गया है। वर्तमान रूप से देश में 18.65 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की 227 स्पंज आयरन यूनिटें स्थापित हो गई हैं। इसमें से, 12.55 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की 204 कोयला आधारित यूनिटें प्रचालन में हैं। तीन गैस आधारित यूनिटें 6.10 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की हैं।



अपने उत्पादन की रिपोर्ट देने वाले स्पंज आयरन यूनिटों का पिछले चार वर्षों और वर्तमान वर्ष का उत्पादन नीचे दिया जा रहा है :-

('000 टन में)

	2001- 02	2002 - 03	2003 - 04	2004- 05	अप्रैल-दिसम्बर,05 (अनंतिम)
कुल सूचित	5444.0	6908.4	8085.0	10296.0	9900.0
कुल अनुमानित	---	---	---	---	---
सकल योग	5444.0	6908.4	8085.0	10296.0	9900.0

कच्चा लोहा उद्योग

इंजिनियरी क्षेत्र में विभिन्न किस्म की कास्टिंग्स का विनिर्माण करने के लिए फाउंड्री एवं कास्टिंग उद्योग को कच्चे लोहे की एक मूल कच्चे माल के रूप में जरूरत पड़ती है। मैसर्स ऊषा मार्टिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और मैसर्स इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास एकीकृत मिनी ब्लास्ट फर्नेस (एमबीएफ) हैं और ये इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के जरिये इस्पात का उत्पादन करने के लिए सीधे ही चार्ज-मिक्स में तप्त धातु का इस्तेमाल कर रहे हैं। कल्याणी और मुकुंद का एक संयुक्त उद्यम, मैसर्स हॉस्पेट स्टील और मैसर्स सदरन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड ने इस्पात उत्पादन के लिए अपनी मिनी ब्लास्ट फर्नेस को ऊर्जा किफायती फर्नेस से एकीकृत किया है। इनके द्वारा उत्पादित अतिरिक्त तप्त धातु का इस्तेमाल कच्चे लोहे के इस्तेमाल में किया जाता है।

पिछले 4 वर्षों के दौरान कच्चे लोहे का उत्पादन नीचे दिया जा रहा है :-

(मिलियन टन में)

यूनिट की किस्म	2002-03	2003-04	2004-05	अप्रैल-दिसम्बर,05 (अनंतिम)
प्राइवेट/सेकेंडरी	4.178*	2.798	2.603	2.200
उत्पादक	(79%)	(74%)	(81%)	(74%)
कुल	4.178	2.798	2.603	2.200

* सेकेंडरी उत्पादकों यथा इस्पात इंडस्ट्रीज, उषा मार्टिन, जेएसपीएल, कल्याणी-हॉस्पेट, सदरन आयरन एवं स्टील कंपनी इत्यादि का तप्त धातु उत्पादन शामिल हैं।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिये गये आंकड़े संबंधित क्षेत्रों का प्रतिशत योगदान दर्शाता है।

इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस आधारित इस्पात संयंत्रों का कार्य निष्पादन

i) स्थिति (संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा 2004 में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस यूनिटों पर किये गए सर्वेक्षण के आधार पर अद्यतन)।

	संख्या	क्षमता (टन में)
कमीशन्ड यूनिट	51	8486000
बंद यूनिट	13	334790
कार्यशील यूनिट	38	8151210

i) उत्पादन

ज्वाइंट प्लांट कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का उत्पादन निम्नलिखित है :

('000 टन में)

श्रेणी	2002 - 03	2003- 04	2004- 05	अप्रैल-दि.2005 (अनंतिम)
मृदु इस्पात	1652.2	3473.1	4368.7	3342.0
मध्यम/उच्च कार्बन इस्पात	874.6	909.5	1345.9	1030.0
मिश्रित इस्पात	793.6	622.2	953.0	729.0
स्टेनलैस इस्पात	594.0	666.8	843.5	645.0
अन्य	313.4	342.8	48.7	37.0
कुल सूचित	4227.8	6014.4	7559.8	5783.0
कुल अनुमानित	960.1	170.7	283.8	217.0
सकल योग	5187.9	6185.1	7843.6	6000.0

हॉट रोल्ल स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/प्लेट्स यूनिट्स

(i) स्थिति

	संख्या	क्षमता (टन में)
कमीशन्ड यूनिट	1920	24895000
बंद यूनिट	670	6085893
कार्यशील यूनिट	1250	18809107

(ii) उत्पादन

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार हॉट रोल्ल स्टील शीट्स संयुक्त संयंत्र समिति/स्ट्रिप्स का उत्पादन निम्नवत है :-

श्रेणी	2002 - 03	2003 - 04	2004 - 05	अप्रैल-दि.2005 (अनंतिम)
मृदु इस्पात	2862.4	3084.7	4181.8	3405.5
मध्यम/उच्च कार्बन इस्पात	70.2	67.5	105.0	85.4
उच्च कार्बन इस्पात	---	---	---	-
मिश्रित इस्पात	0.5	0.5	0.4	0.3
स्टेनलैस इस्पात	169.6	198.0	161.0	131.0
अन्य	129.8	535.1	70.8	57.8
कुल सूचित	3232.5	3885.8	4519.0	3680.0
कुल अनुमानित	141.7	124.4	33.5	26.0
सकल योग	3374.2	4010.2	4552.5	3706.0

जीपी/जीसी, पीवीसी/विनायल कोटेड शीट्स/स्ट्रिप्स यूनिट्स

(i) स्थिति


	संख्या	क्षमता (टन में)
कमीशन्ड यूनिट	18	423550
बंद यूनिट	1	43750
कार्यशील यूनिट	17	379800

(ii) उत्पादन

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कोल्ड रोल्ल स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स यूनिटों का उत्पादन संयुक्त संयंत्र समिति निम्नवत है :-

('000 टन में)

श्रेणी	2002 - 03	2003 - 04	2004 - 05	अप्रैल-दि.2005 (अनंतिम)
जीपी/जीसी शीट्स/स्ट्रिप्स (कलर कोटेड समेत)	2124.0	2561.0	2868.2	2231.0
कुल सूचित	2124.0	2561.0	2868.2	2231.0



टिन प्लेट यूनिट्स

(i) स्थिति

	संख्या	क्षमता (टन में)
कमीशनड यूनिट	3	171638
बंद यूनिट	2	31638
कार्यशील यूनिट	1	140000

(ii) उत्पादन

टिन प्लेट यूनिटों का उत्पादन विगत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में निम्नवत है :-

(000 टन में)

श्रेणी	2002 - 03	2003 - 04	2004-2005	अप्रैल-दि.2005 (अंतिम)
ऑयल कैन साइज	108.0	123.5	140.7	120.0
नॉन ऑयल कैन साइज	---	---	---	-
कुल सूचित	108.0	123.5	140.7	120.0

अनुसंधान और विकास

अनुसंधान और विकास पर अधिकार प्राप्त समिति

लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य प्रमुख रूप से इस्पात कारखानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक सस्थानों द्वारा किया जाता है। लौह और इस्पात एवं संबंधित कंपनियों द्वारा अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर वार्षिक रूप से लगभग 80 करोड़ रुपये लगाया जाता है जो कि इस्पात कंपनियों के कारोबार का मुश्किल से 0.2% है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय इस्पात कंपनियाँ अपने कारोबार का 2.3% लगाती हैं।

भारत सरकार ने 1997 में इस स्थिति पर पुनर्विचार किया और लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बल देने के लिए इस्पात विकास कोष से प्राप्त ब्याज से 150 करोड़ रुपये वार्षिक लगाने का निश्चय किया।

भारत सरकार के इस निर्णय के अनुसरण में सचिव, भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 24.2.1998 को एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, निजी तथा सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के इस्पात उत्पादक, आईआईटी खड़गपुर, राष्ट्रीय धातुकर्मीय प्रयोगशाला, जमशेदपुर, मीकॉन लि., सचिव, एस.डी.एफ. प्रबंधन समिति और अन्य सदस्य के रूप में शामिल हैं, इस समिति की निम्न संदर्भ शर्तें हैं :-

- लौह और इस्पात क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी आयामों का परीक्षण।
 - सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के लौह और इस्पात संयंत्रों में चल रहे अनुसंधान कार्यक्रमों का समायोजन और प्रगति की निगरानी।
 - इस्पात विकास फंड से प्राप्त ब्याज से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से वित्तीय सहायता प्राप्ति के लिए सामने लाए गए अनुसंधान प्रस्तावों पर निर्णयों का मूल्यांकन।
 - लौह और इस्पात उद्योग में राष्ट्रीय महत्व के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों की प्रगति का समय-समय पर पुनरावलोकन।
 - इस्पात मंत्रालय को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान में घरेलू क्षमताएं बढ़ाने में अपना योग्य नीतियों एवं कार्यक्रमों, डिजाइन विकास, लौह और इस्पात प्रक्रियाओं व उत्पादों में अनुसंधान और इंजीनियरी परामर्श देना।
- प्रारम्भ से लेकर अब तक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की 14 बैठकें हुई हैं और 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन 40 परियोजनाओं की कुल लागत 221.56 करोड़ रुपए है। इसमें 101.8129 करोड़ रुपए एसडीएफ से प्राप्त होने हैं। वर्षवार एसडीएफ से रकम की अदायगी निम्नवत है :-

(करोड़ रुपए में)

सं.	वर्ष	आर एंड डी व्यय			
क	9वीं प्लान (1997-2002) सब कुल (क)	58.06707			
ख	10वां प्लान (2002-2007)	(2002-2003)	(2003-2004)	(2004-2005)	2005-06 (30.11.05 की स्थिति अनुसार)
		0.40603	13.92800	07.36500	0.2402
	सब कुल (ख)	21.93923			
	कुल (क+ख)	80.0063			

पूर्ण की गई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की उपलब्धियां/फायदे

अब तक जो 40 अनुसंधान परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, उसमें 20 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। कुछ परियोजनाओं के अनुसंधान निष्कर्षों का क्रियान्वयन पहले ही कर दिया गया है और उनके फायदे लौह और इस्पात निर्माण की प्रक्रिया कच्चे माल के उन्नयन, उत्पाद विकास, उत्पादकता में वृद्धि, इस्पात उत्पादन के दौरान रिफ्रेक्टरी खपत में कमी, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस/इंडक्शन फर्नेस रूट में ऊर्जा खपत में कमी, वेल्ड अवयवों के लिए नई विधि का विकास करने और अवशिष्ट पदार्थों आदि उपयोग में मिल रहे हैं। वित्तीय सहायता लेने के लिए, निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप 5 प्रतिलिपियों में इस्पात मंत्रालय के वेबसाइट (<http://steel.nic.in>) पर उपलब्ध है। इसे औद्योगिक सलाहकार, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 के पास जमा कराना है।


सशक्त समिति का सचिवालय (ईसी)

सशक्त समिति को सचिवालय सुविधाएं उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व इस्पात मंत्रालय की तकनीकी शाखा को सौंपा गया है। तकनीकी शाखा एक मूल्यांकन दल (ईजी) से विचार विमर्श के पश्चात आवेदनों पर आगे की कार्यवाई करता है। मूल्यांकन दल में इस्पात मंत्रालय में औद्योगिक सलाहकार, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग तथा विज्ञान एवं टैक्नोलोजी विभाग का एक-एक प्रतिनिधि शामिल होता है। यदि आवश्यक हो तो क्षेत्र विशेष में अन्य विशेषज्ञों की सहायता भी ली जाती है। मूल्यांकन दल की सिफारिशें सशक्त समिति के समक्ष अन्तिम निर्णय के लिए प्रस्तुत की जाती हैं।

तकनीकी शाखा मूल्यांकन दल और कुछ उच्च मूल्य की परियोजनाओं के लिए विशेषज्ञों के सशक्त मंडल अनुसंधान कार्य में प्रगति पर नजर रखते हैं और सशक्त समिति को इसकी सूचना देते हैं। सशक्त समिति की सिफारिश पर संयुक्त कारखाना समिति पैसा जारी करती है। वह परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पैसे के उचित उपयोग पर भी नजर रखती है। यदि गड़बड़ी नजर आती है तो वह सशक्त समिति के ध्यान में लाई जाती है।

वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट <http://steel.nic.in> पर उपलब्ध फार्म में 5 प्रतियों में आवेदन इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 में औद्योगिक सलाहकार के पास भेजने होते हैं।

लोहे और इस्पात के क्षेत्र में आधुनातन अनुसंधान के लिए कार्यदल



यद्यपि भारत सरकार ने 150 करोड़ रुपये वार्षिक परिव्यय की मंजूरी दी है, वास्तविक खर्च काफी कम है क्योंकि उद्योगों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक संस्थानों से पुख्ता एवं विकास प्रस्ताव नहीं मिल रहे हैं। अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए, इस्पात मंत्रालय 23 दिसम्बर, 2004 को सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में एक विचार मंथन सत्र का आयोजन किया। इस विषय पर गहन विचार-विमर्श के बाद, इस्पात मंत्रालय ने एक कार्य दल का गठन किया, जो लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों के संबंध में अंतराल और उद्योग का वर्तमान/भावी जरूरतों की पहचान करेगा एवं एक अत्याधुनिक लौह और इस्पात अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना के लिए एक ब्लू प्रिंट का सुझाव देगा, जिससे कि एक अभिनव/अलग विशेष टेक्नोलॉजी मिले जो लौह और इस्पात उत्पादन के लिए संसाधनों समेत देश में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करें।

इस कार्यदल ने गहन विचार-विमर्श के बाद सिफारिश की है कि :-

- लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास प्रयास को बढ़ावा देने के लिए, विद्यमान अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों में नया बल डालकर, केन्द्रित परियोजनाओं और कार्यक्रमों के जरिये मानवीय एवं अनुसंधान एवं विकास ढाँचे का विस्तार कर एक "वर्चुअल सेंटर" का सृजन किया जा सकता है और इस तरह लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देकर भारतीय लौह और इस्पात उद्योग के सामने आ रही विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। प्रस्तावित वर्चुअल सेंटर एक पंजीकृत सोसाइटी होगा और एक गवर्निंग काउंसिल द्वारा शासित होगा एवं इस सेंटर की दिन प्रतिदिन के कामकाज का प्रबंधन एक निदेशक करेंगे। निदेशक के अलावा, प्रतिष्ठित इंजिनियरों/वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों को भी रखा जायेगा जो विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर काम करेंगे और उनके परिणामों का विपणन करेंगे।
- पहले तीन वर्षों के दौरान मंजूर कार्यक्रम के अनुसार अनुसंधान एवं विकास खर्च को उठाने के लिए एसीएएफ से 50 करोड़ रुपये की एकमुश्त राशि अनुदान स्वरूप दी जा सकती है। इसके अलावा तीन वर्षों की अवधि में "वर्चुअल सेंटर" का पूर्ण संस्थापन खर्च एसडीएफ द्वारा उठाया जा सकता है और तीन वर्ष के अंत में समाप्त की जा सकती है।
- प्रस्तावित "वर्चुअल सेंटर मेमोरेण्डम ऑफ एसोसियेशन, नियमों व विनियमों और उपनियमों, संगठनात्मक ढाँचे एवं जनशक्ति का जरूरतों, आवास/प्राथमिक सुविधाओं की जरूरतों, पूर्ण संस्थापन खर्च आदि तैयार करने के लिए मीकॉन लिमिटेड को नियुक्त किया जा सकता है। इस्पात मंत्रालय उक्त "वर्चुअल सेंटर" की स्थापना के लिए आगे की कार्रवाई करने की प्रक्रिया में है।

व्यक्तिगत लौह और इस्पात संयंत्रों द्वारा अनुसंधान और विकास

लौह और इस्पात उत्पादकों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को अपना अनुसंधान और विकास कार्य अपने संयंत्र केन्द्रित समस्याओं का हल ढूँढने नई प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने व अविष्कार करने, भारतीय खनिज और कच्चे माल का बड़े अनुपात में उपयोग, प्रदूषण कम करने, ऊर्जा संरक्षण और उत्पादन लागत को कम करने के लिए जारी रखा है। लौह और इस्पात संयंत्रों और अन्य संबंधित उद्योगों द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास पर किया गया कुल खर्च निम्न है :-

	2003-04	2004-05	(करोड़ रुपए में) 2005-06 (सित.'05 तक)
(a) सार्वजनिक क्षेत्र			
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.	71.91	60.50	30.30
राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	2.50	6.25	0.10
नेशनल मिनरल डेवलपमेंट का.	6.51	6.03	5.12
कुद्रेमुख आयरन इंडिया लि.	3.50	0.20	0.58
मैंगनीज (ओरि) इंडिया लि.	1.08	1.71	0.89
स्पांज आयरन इंडिया लि.	7.70		
भारत रिफ्रेक्टरी लि.	0.18	0.19	0.10
मीकॉन लि.	0.25	0.24	0.09
उप-योग (क)	93.64		
(ख) निजी क्षेत्र			
टाटा स्टील लि.	24.26		
मुकंद लि.	0.26	0.27	0.30
जिंदल स्टील वर्क्स लि.	2.40	3.55	3.60
जिंदल स्टील एण्ड पावर लि.	0.80	0.91	0.80
एस्सार स्टील लि.	0.26	0.26	
उप-योग (ख)	27.36		
सकल योग (क+ख)	121.00		

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

वर्ष 2005-06 में सेल के लौह और इस्पात अनुसंधान विकास केन्द्र ने 126 अनुसंधान और विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें से 73 परियोजनाएं इस वर्ष के दौरान पूरी की जाती हैं। इन परियोजनाओं ने लागत में कमी, मूल्य वृद्धि, गुणवत्ता सुधार और नए उत्पादों के विकास पर विशेष जोर देते हुए सेल के संयंत्रों/इकाइयों को नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई है। अप्रैल से सितम्बर 2005 तक पंद्रह परियोजनाएं पहले ही पूर्ण कर ली गई हैं।

सितम्बर 2005 तक केन्द्र ने 4 पेटेंट फाइल किए। इस कालावधि में 21 पेटेंट और 15 कॉपीराइट जो पहले फाइल किए गए थे, वे भी पेटेंट कार्यालय द्वारा सील मंजूर कर दिए गए हैं। 19 तकनीकी पेपर प्रकाशित और 24 पेपर प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा, लौह-इस्पात के लिए अनुसंधान और विकास केन्द्र ने सेल के बाहर संगठनों को अनुसंधान कार्य और महत्वपूर्ण परामर्श सेवाएं व तकनीकी जानकारी देने का कार्य भी किया है। जिससे सेल सितम्बर 2005 लाख रुपए की बाहरी आमदनी हुई।

विगत तीन वर्षों में अनुसंधान एवं विकास पर व्यय उत्पाद विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के लिए अनुसंधान एवं विकास केन्द्र को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने नए मैटीरियल्स में अनुसंधान एवं विकास उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित 'डीएसआईआर राष्ट्रीय पुरस्कार 2005 से सम्मानित किया। इसके अलावा केन्द्र ने राष्ट्रीय धातुविद दिवस समारोह 2005 के पांच पुरस्कारों समेत सप्त प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किये हैं।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

वर्ष 2005-06 में सम्पन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की विशेष उपलब्धियां नीचे दी जा रही हैं :-

वर्ष	क्रम सं.	परियोजना	परिणाम
2005-06	01	चार्ज कोल की बलक डेंसिटी पर मॉडिफिकेशन और ग्रेनूलोमीट्री का अध्ययन	सर्वेक्षण किया। परीक्षण चल रहे हैं। अब तक एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है।
	02	कनवर्टर की लाइनिंग मियाद बढ़ाने के लिए स्टेनलैस स्टील फाइबर रिइन्फोर्सड रिफ्रैक्टरीज से चार्ज पैड का सुदृढीकरण।	सर्वेक्षण किया। आर्डर देने के लिए मंजूरी दी गई। आर्डर प्रस्तुत किया जा रहा है।
	03	लांस टिप की ज्योमीट्रीकल डायमेंशनों में अंतर करते हुए ब्लोइंग प्रोसेस पैरामीटरों में सुधार।	सर्वेक्षण किया। संशोधित लांस टिप के लिए ए.टी. जारी। 31 मार्च, 2006 को डिलीवरी मिल जाने की आशा है।
	04	रोल का दक्षतापूर्ण उपयोग के लिए रोलिंग मिल रोल्स की एनडीटी पद्धति का नवीकरण।	सर्वेक्षण किया। इसी तरह के संयंत्रों का अध्ययन करने के लिए कार्य दल गया। जांच-पड़ताल हुई और खरीद कार्रवाई शुरू की गई मांगपत्र टी आर स्टेज में भेजा गया।


गत तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास पर व्यय

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	कारोबार	आर एण्ड डी व्यय	आर एण्ड डी व्यय कारोबार का प्रतिशत
2003-04	5000	2.5	0.05
2004-05	8181	6.25	0.08
2005-06 (सित.'05 तक)	3737	0.1	0.005



एनएमडीसी आरएण्डडी सेंटर, हैदराबाद में आयर्न ओर लमस और एग्लोमिरेट्स के रिड्यूसिबिलिटी घटकों का मूल्यांकन।



एनएमडीसी

वर्ष 2005-06 के दौरान एनएमडीसी द्वारा किए गये मुद्दे मुख्य अनुबंध में काम की प्रक्रिया/पूर्ण की सूची नीचे दी गई है :

- 300 टीपीए क्षमता के पायलट प्लांट की स्थापना के लिए कार्बन मुक्त स्पंज आयरन पाउडर और मूल्य संबंधित उत्पादों का उत्पादन
- विभिन्न ग्रेडों के फ़ैराइट पाउडर और ब्ल्यू डस्ट कंक्रीट से पाउडर फ़ैराइट का उत्पादन
- सीमेंट उद्योग में किंबरलाइट टैलिंग की उपयोगिता के लिए अध्ययन
- किंबरलाइट टैलिंग से सोडियम सिलिकेट, डिपोलाइट-ए और प्रेसीपिटेड सिलिका का उत्पादन
- थर्मल प्लाज्मा तकनीक का प्रयोग करके घरेलू तकनीक द्वारा सिंथेटिक रूइटिल, पिग आयरन और उच्च शुद्ध आयरन आक्साइड का निर्माण
- विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र कम्पनियों द्वारा प्रायोजित परियोजना का सम्पादन

पेटेंट्स

- (i) दबाव और ताप में नीली धूलि का विलगन – प्राप्त
- (ii) नीली धूलि स पिगमेंट ग्रेड फ़ैरिक ऑक्साइड का विकास – मंजूर
- (iii) पन्ना टैलिंग्स से कॉस्टिक मैगनीशिया का विकास – पंजीकृत
- (iv) किंबरलाइट टैलिंग्स से फ्लोराइड को हटाने के लिए एक एब्जॉर्बेंट के रूप में फिल्टर कैडल्स का विकास – पंजीकृत
- (v) विशाखापत्तनम में रासायनिक प्रक्रिया से एफ्लूयेंट के उपयोग की नई प्रक्रिया – पंजीकृत शीतबंध टाइल्स में किंबरलाइट का उपयोग – पंजीकृत ज्योलएट ए को तैयार करने के लिए सिलिका के स्रोत के रूप में किंबरलाइट सॉलिड वेस्ट के उपयोग की प्रक्रिया – दाखिल
- (viii) प्रेसिपिटेड सिलिका तैयार करने के लिए सिलिका के स्रोत के रूप में किंबरलाइट सॉलिड वेस्ट के उपयोग की प्रक्रिया – दाखिल



एनएमडीसी आरएण्डडी सेंटर, हैदराबाद में हाई टेंशन इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेटर।

गत तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास पर व्यय

(लाख रु. में)

वर्ष	कारोबार (करोड़ रु. में)	आर एण्ड डी	आर एण्ड डी व्यय कारोबार का प्रतिशत
2003-2004	1453.69	651.00	0.45
2004-2005	2229.99	603.43	0.27
2005-2006 (दि. '2005 तक)	2572.18	512.59	0.20

कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि. (केआईओसीएल)

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि. (केआईओसीएल) द्वारा अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यकलाप बहु उत्पाद संबंधी आवश्यकताओं के अनुकूल प्रक्रिया विकास/संशोधनों के जरिए गुणवत्ता में सुधार करने और मौजूदा लौह अयस्क की विशिष्टताओं, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलते रहते हैं पर ध्यान देने के लिए प्रक्रिया प्रवाह चार्ट में संशोधन के ध्येय से किये जा रहे हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास पर व्यय

(करोड़ रु. में)

वर्ष	कारोबार (करोड़ रु. में)	आर एण्ड डी	आर एण्ड डी व्यय कारोबार का प्रतिशत
2003-04	1029.38	3.50	0.34
2004-05	1853.77	0.20	0.01
2005-06 (नवम्बर, 2005 तक)	909.41	0.58	0.06

मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (एमओआईएल)

यह कंपनी मैंगनीज अयस्क के अनवेषण, दोहन, प्रसंस्करण एवं विपणन में लगी है। यह भूमिगत एवं खुली दोनों किस्म की खानों का प्रचालन करती है। कुल मैंगनीज अयस्क के उत्पादन का प्रमुख अंश भूमिगत खानों से आता है। मैंगनीज अयस्क भंडार अधिकांश रूप से विभिन्न भू-परिस्थितियों में कच्ची चट्टानों में पाये जाते हैं। कंपनी अत्याधुनिक बेनीफिकेशन तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए पुराने डेक्स से मैंगनीज अयस्क की फिर से प्राप्ति के लिए कार्य कर रही है। यह खानों में उत्पादित मैंगनीज अयस्क का प्रसंस्करण करते हुए इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड (ईएमडी) और फेरोमैंगनीज का भी उत्पादन कर रही है।

गत तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास पर व्यय

(करोड़ रु. में)

वर्ष	कारोबार	आर एण्ड डी	आर एण्ड डी व्यय कारोबार का प्रतिशत
2003-04	228.74	1.08	0.47
2004-05	378.78	1.71	0.45
2005-06 (सितम्बर, 2005 तक)	230.73	0.89	0.39

भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड (बीआरएल)

गत तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास पर व्यय

(करोड़ रु. में)

वर्ष	कारोबार	आर एण्ड डी	आर एण्ड डी व्यय कारोबार का प्रतिशत
2003-04	110.97	0.18	0.16
2004-05	137.03	0.19	0.14
2005-06 (सितम्बर 2005 तक)	87.89	0.10	0.11

मीकॉन लिमिटेड

- नॉन रिकवरी कोक ओवंस के लिए कोक झाई कूलिंग टेक्नोलॉजी का विकास
 - उच्चदक्षता उच्चतापीय टॉपफायर्ड स्टोव्स
 - लौह अयस्क अल्ट्राचूर्ण के उपयोग के लिए 0.5 मीट्रिक टन/ प्रतिवर्ष क्षमता के मिनी पेलेट प्लांट का देश में विकास।
 - धमन भट्टी के लिए उच्च दक्षता कॉपर स्टाव कूलर्स
- उपरोक्त परियोजनाएं अभी शुरू ही हुई हैं और इनको इस्पात विकास कोष, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रायोजित किया है।

गत तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास पर व्यय


(करोड़ रु. में)

वर्ष	कारोबार	आर एण्ड डी	आर एण्ड डी व्यय कारोबार का प्रतिशत
2003-04	271.14	0.25	0.095
2004-05	173.86	0.24	0.142
2005-06 (सितम्बर 2005 तक)	123.06	0.09	0.08

जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

कंपनी ने निम्न विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास किया है :

- आठ नए उत्पादों का विकास किया गया जो कुल उत्पादन का 5.5% अंश है।
- बेहतरीन गुणवत्ता के कोक का उत्पादन करने के लिए वाइब्रो कांपैक्टेड नॉन रिकवरी ओवंस में कोयला मिश्रण अनुकूलतम किया गया; सीएसआर > 65% सीआरआई < 25% और एम 10 < 6%
- कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क (एएनएन) का उपयोग कर, पेलेट का आरडीआई, धमन भट्टी तप्तधातु में सिलिका (Si) और तप्त धातु तापमान पता लगाने के लिए मॉडल विकसित किये गये हैं।
- एल्यूमिन 17.5 से 18.5% और Mgo > 13% कर कॉरेक्स स्लेग रेजीम को अनुकूलतम किया गया है।
- बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (बीओएफ) में प्रयुक्त सुधरी स्लैग स्पलैशिंग पद्धति और फेरोट्रॉन लेजर रिफ्रेक्टरी की मोटाई मापक प्रणाली के साथ अनुकूलित स्लैग रेजीम के फलस्वरूप बीओएफ कनवर्टर लाइनिंग की मियाद बढ़कर 9000 हीट्स हो गई है (अभी और बढ़ रही है), जो एक राष्ट्रीय बेंचमार्क है।



(करोड़ रु. में)

वर्ष	कारोबार	आर एण्ड डी	आर एण्ड डी व्यय कारोबार का प्रतिशत
2003-04	3596.28	2.40	0.07
2004-05	5726.51	3.55	0.06
2005-06 (सितम्बर 2005 तक)	3028.60	3.60	0.12

जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड

कंपनी ने निम्न विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास किया है :-

- खानों में नई कोल वाशरी केबेनिफिकेशन की प्रक्रिया को उच्च राख कोयला के साथ मानवीकृत किया गया।
- ट्रांसवर्स इंपैक्ट प्रोपर्टीज युक्त उच्च तन्यता श्रेणियों में 700x300 मि.मी. तक वाइड पैरालल पलांज ब्रिक्स के लिए स्टील मेकिंग
- रोलिंग मानकों का मानकीकरण।
- ट्रांसफरशूट जैमिंग की समस्या खत्म करने के लिए रोटरी किलन के किलन सेगमेंट और कूलिंग सेगमेंट के बीच ट्रांसफर शूट के डिजायन में सुधार।
- नई डीआरआई किलन (500 टन/प्रतिदिन क्षमता) के प्रचालन मानकों का मानकीकरण।
- प्रोड्यूसर गैस के सृजन की सकल प्रणाली के मानकीकरण और ब्लास्ट फर्नेस गैस के साथ मिक्सिंग एवं बूस्टिंग एवं रिहीटिंग फर्नेस में इसके उपयोग से ऊर्जा की बचत हुई है।
- सीएसआर, सीआरआई निर्धारण उपकरण की स्थापना और एमबीएफ फर्नेसों की उत्पादकता में सुधार के लिए कोक की प्रोपर्टीज का मानकीकरण।
- नई विकसित श्रेणियां
- एन-80 (1% Cr), P110, एसएई 5120 एच, सीमलेस स्टील ट्यूब्स बनाने के लिए एपीआई 5एल एस-60 का विकास।
- शून्य से नीचे तापमान पर बेहतर इंपैक्ट प्रोपर्टी युक्त स्ट्रक्चरल के लिए उच्च तन्यता श्रेणियों का विकास। एचटी और सेलम 350 एचआई, बैने डियम एवं न्योबियम युक्त माइक्रो अलॉइंग श्रेणिया शामिल।
- रेल्स में रेजीडुअल स्ट्रैस की कमी करने में भारी सुधार हुआ।
- कास्टिंग पावडर के मानकीकरण और टंडिश डिजायन में संशोधन से बीम ब्लैक्स में सर्फेस इंपफैक्शन की समस्या खत्म हुई।

गत तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास पर व्यय

(करोड़ रु. में)

वर्ष	कारोबार	आर एण्ड डी	आर एण्ड डी व्यय कारोबार का प्रतिशत
2003-04	1261.61	0.80	0.06
2004-05	2253.60	0.91	0.04
2005-06 (सितम्बर 2005 तक)	1250.87	0.80	0.06

एस्सार स्टील लिमिटेड

कंपनी ने निम्न विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास किया :-

- प्रेसीपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील हेतु हीट ट्रीटमेंट साइकिल्स का सक्षमता अध्ययन। यह दिखाने के लिए कि उपचारित (ट्रीटेंड) सॉल्यूशन में मेकनिकल प्रोपर्टीज और प्रेसीपिटेशन हार्डनिंग परिस्थितियां लाई जा सकती हैं।
- विभिन्न श्रेणियों के स्टेनलेस स्टील हेतु हीट ट्रीटमेंट साइकिल्स का अनुकूलन।
- प्रेशर उपकरण मानदंडों को पूरा करने की दिशा में एक कदम के रूप में स्टेनलेस स्टील बार्स हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करना।

पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन एवं ऊर्जा संरक्षण

पर्यावरण प्रबंधन तथा ऊर्जा बचत के लिए प्रयास किसी भी क्षेत्र अथवा कम्पनी के मूल्यांकन के लिए, चाहे वह विश्व स्तर पर हो या स्वदेशी स्तर पर, महत्वपूर्ण मानदण्ड होते हैं। इस संदर्भ में इस्पात मंत्रालय तथा इसके सार्वजनिक उपक्रम प्रशासनीय भूमिका निभा रहे हैं।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

पर्यावरण प्रबंधन

सेल की निगमित पर्यावरण नीति इस बात पर बल देती है कि "हमें अपना प्रचालन पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी रहते हुए लागू नियमों का पालन और उससे भी बढ़कर करना है।" सेल अपनी ऊर्जा दक्षता में निरंतर सुधार करने एवं कच्चे माल, कोक, लौह और इस्पात उत्पादन, सृजित उप-उत्पादों का पुनः प्रयोग पुनःचलन और ऊर्जा व जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों की प्रक्रिया टेक्नॉलोजी में सुधार के लिए विभिन्न उपायों के जरिये संसाधन खपत को अनुकूल तय करने की जिम्मेदारी को समझता है।

■ सेल ने विधान द्वारा स्थापित मानकों की समरूपता के लिए बेहतर प्रयास किए हैं तथा यह जहां भी उचित हो समान मानकों का अनुपालन करता है। इसने पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्पोरेट जिम्मेदारियों पर चार्टर (सीआरईपी) से शामिल स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएं की हैं। एमओईएफ द्वारा भागीदारिता विचार इसके एकीकृत स्टील प्लांटो पर लागू है।

■ पर्यावरण प्रदर्शन में और अधिक सुधार करते हुए इसने लगातार प्रयास किए हैं जो निम्नलिखित दिशानिर्देशकों द्वारा प्रमाणित होते हैं :-



सेल टाउनशिप का विहंगम दृश्य।

सूचक	2004-05	2003-04
विशिष्ट कच्चा माल खपत (टन/प्रति टन कच्चा इस्पात)	3.06	3.27
विशिष्ट ऊर्जा खपत (मीगा कैलरीज/प्रति टन कच्चा इस्पात)	7.29	7.46
पर्टिकुलेट मैटर (पी एम) उत्सर्जन (कि.ग्रा./प्रति टन कच्चा इस्पात)	2.70	3.12
विशिष्ट जल खपत (घन मीटर/प्रति टन कच्चा इस्पात)	5.75	6.26
विशिष्ट एफ्ल्युएंट डिस्चार्ज (घन मीटर/प्रति टन कच्चा इस्पात)	3.45	5.11


■ सभी सेल कारखाने एफ्ल्यूसेंट डिस्चार्ज और प्राणवायु की गुणवत्ता के संबंध में पर्यावरणीय गुणवत्ता मानकों को पूरा कर रहे हैं। इस्पात कारखानों की प्रमुख यूनितों से पर्टिकुलेट मैटर (पीएम) उत्सर्जन के सम्बन्ध में, 85% सांविधिक संस्थाओं द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा कर रहे हैं। जिन यूनितों में अनुपालन नहीं हुआ है, संबंधित कारखानों ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

■ सेल ने अनवरत प्रयास करते हुए, सृजित सभी ठोस अपशिष्ट पदार्थों का 60% उपयोग प्राप्त कर लिया है, जिनका कारखानों में या तो पुनः चलन या व्यावसायिक निपटान किया जा रहा है। पहले इनका कारखानों के अंदर ढेर लगा दिया जाता था।

■ सेल के अधीन सभी कारखानों और खानों में पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ई एम एस) आई एस ओ 14001 को विभिन्न चरणों में अंगीकार किया जा रहा है। वर्ष 2004-05 के दौरान बोकारो इस्पात कारखाने के हॉर डिप गैल्वेवाइजिंग कॉम्प्लेक्स, राउरकेला इस्पात कारखाने के हॉट स्ट्रिप मिल और प्लेट मिल एवं इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, बर्नपुर के ब्लूमिंग मिल, बिलेट मिल, मर्चेंट और रॉड मिल, हैवी स्ट्रक्चरल मिल एवं लाइट स्ट्रक्चरल मिल को आई एस ओ 14001 प्रमाण पत्र मिले हैं। पहले से प्रमाणित कारखानों और यूनितों को आई एस ओ 14001 : 2000 संस्करण से पुनः प्रमाणित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भिलाई इस्पात कारखाने की इस्पात नगरी तक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित कर रही है।

■ सम्पूर्ण सेल में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए, विश्व पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, ओजोन दिवस, पर्यावरण माह, खान और खनिज संरक्षण सप्ताह जैसे आयोजनों को एक धर्म की तरह मनाया जाता है। इसके अलावा, सेल परिवार में जागरूकता लाने के लिए इन अवसरों पर कर्मचारियों, स्कूली बच्चों और आम जनता को शामिल करते हुए व्यापक वृक्षारोपण, पर्यावरण से जुड़े विषयों पर पर्यावरण प्रश्नमंजरी, पेंटिंग, निबंध प्रतियोगिताएँ जैसी अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।

■ पर्यावरण नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए सेल सभी स्तरों पर प्रशिक्षण के महत्व को समझता है। प्रत्येक सेल यूनित के मानव संसाधन विकास केन्द्रों में पर्यावरण से जुड़े पहलुओं पर नियमित रूप से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान, राँची, केन्द्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, राउरकेला में विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यहाँ की फ़ैकल्टी उद्योग जगत, नियामक संस्थाओं, सेल यूनितों एवं शैक्षणिक व अनुसंधान संस्थाओं से ली जाती हैं।



महत्वपूर्ण पहल

- भारत मांट्रियल प्रॉटोकॉल को मान्यता देने वाले 165 देशों में है, जिसके अंतर्गत ओजोन को कमजोर करने वाले तत्वों को खत्म एवं कम करने के लिए समय सारणी निश्चित की गई है। साल्वेंट क्षेत्र के लिए, जो प्रमुख रूप से सी टी सी का उपयोग करता है, यह समय सीमा दिसम्बर 2005 है। इस्पात क्षेत्र की सी टी सी के एक प्रमुख उपभोक्ता के रूप में पहचान की गई है और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ओजोन कक्ष ने इस्पात क्षेत्र में सी टी सी खत्म करने के लिए सेल कारखानों को चिन्हित किया है। इसी के अनुसार, मांट्रियल प्रॉटोकॉल मल्टीलेटरल फंड (एम पी एम एफ) से 3.45 यू एस डॉलर की कुल लागत से यू एन डी पी ने एक परियोजना तैयार की है। सेल पर इस परियोजना का कोई वित्तीय भार नहीं है। यू एन डी पी ने पहले ही इस परियोजना का लाभ प्राप्त करने वाले सेल के कारखानों का दौरा कर लिया है और इसके कार्यान्वयन के लिए तकनीकी मानदंडों को अंतिम रूप दे दिया गया है।
- इसी तरह से भूमंडलीय तापमान बढ़ने और उसके मौसम बदलाव पर प्रभाव की समस्या के निदान के लिए यू एन एफ सी सी सी द्वारा कयोटो प्रॉटोकॉल के फलस्वरूप क्लीन डेवलपमेंट मैकनिज्म (सी डी एम) है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लाना है, जो ग्रीन हाउस गैसों से सबसे बड़ा कारण है। विश्व में लौह और इस्पात उद्योग सबसे अधिक ऊर्जा खपत करने वाला विनिर्माण क्षेत्र है। इसके निदान के लिए, सेल ने अपनी यूनिटों में सी डी एम परियोजनाओं को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सेल की यह सहभागिता कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास है जो इस बात का प्रमाण है कि कंपनी की समग्र पर्यावरण में स्थायी सुधार लाने के लिए नई प्रौद्योगिकियों और अभिनव तकनीकों को अपनाने में गहरी आस्था है।

पर्यावरणीय वृक्षारोपण

पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरणीय संतुलन में वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले एक दशक से सभी कारखानों और खानों में गहन वृक्षारोपण कार्यक्रम परम धरम से चलाये गये हैं। वृक्षों की प्रजातियों का चयन प्रमुख रूप से स्थानीय मिट्टी की विशेषताओं और विद्यमान मौसम परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। सेल के कारखानों और खानों में 18 मिलियन से अधिक पौधे लगाये गये। वृक्षारोपण से विकसित हरित पट्टी पर्यावरण को सौंदर्यपूर्ण बनाती है, जो धूल और ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम भी करती है। वर्ष 2003-04 में 36.63 हेक्टेयर में 180,220 पौधे लगाने की तुलना में 2004-05 में 58.03 हेक्टेयर क्षेत्र में 2,57,242 पौधे लगाये गये।



पर्यावरण हितैषी सेल खान।

संयंत्र	2004-05 में लगाये गये पौधे	2003-04 में लगाये गये पौधे (सं.)
बीएसपी	5012	20000
डीएसपी	2000	1010
आरएसपी	45700	40000
बीएसएल	20,000*	15,000*
इस्को	2500	2000
एसएसपी	20	200
वीआईएसपी	10	10
एमईएल	2000	2000
सेल	2,57,242	80,220

* पौधारोपण प्रतिस्थापन

एमएनईएस

खान	कुल जमीन (हेक्टेयर)	04-05 के दौरान वृक्षारोपण	
		आच्छादित क्षेत्र (हेक्टेयर)	पौधे लगाये (सं.)
बरसुआ	2486.4	3.3	19640
काल्टा	516.7	9.0	10000
किरिबुरु	3949.3	—	—
मेद्याहाताबुरु	2560.5	0.4	500
डल्ली (मैनुअल)	155.0	2.1	4000
राजहरा	220.4	10.0	25000
महामाया	1522.7	0.15	265
झरंडल्ली	813.2	—	—
मनोहरपुर	2026	—	10000
केमनागुंडी	42.7	1.5	3500
कुटेश्वर	1036	0.38	50
भवनाथपुर	1076.9	—	—
तुलसीदामर	202.8	—	—
नंदिनी	620.5	20.95	20000
हिरी	318.2	10	25000
भडीगुंड	40.12	1.5	2000
कंचापुरा	4.45	1	150
चासनाला	3602	—	1000
जीतपुर	162.42	2.5	7000

पर्यावरण के क्षेत्र में सम्मान

सेल के कारखानों को पर्यावरण के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है जैसे भिलाई इस्पात कारखाने को प्रधानमंत्री ट्रॉफी मिली और राउरकेला इस्पात कारखाने को ग्रीनटेक एनवायरमेंट एक्सेलेंस गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

ऊर्जा संरक्षण

प्रदूषण नियंत्रण

सेल के इस्पात कारखानों के सामने अनोखी प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का किफायती एवं अभिनव समाधान प्रदान करने के लिए लौह और इस्पात अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, रांची का पर्यावरण प्रयोगशाला समूह इन यूनिटों में समयबद्ध परियोजनाओं को लेता है। वर्ष के दौरान किये जा रहे कुछ महत्वपूर्ण अध्ययनों/कार्यों में शामिल हैं :-

- डी एस पी के बी ओ एफ गैस लाइंस में प्रयुक्त जल की गुणवत्ता में सुधार।
- डी एस पी के बी ओ एफ गैस लाइंस हेतु फाइन पार्टिकुलेट निगरानी प्रणाली का विकास।
- जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु नॉन-इनवेसिव तकनीक का अन्वेषण।
- मिल स्लज का पुनः प्रचलन हेतु एकीकृत संवर्धन प्रक्रिया का विकास।
- बी एस पी में सिंटर प्लांट के कार्य वातावरण में सुधार।
- प्रमुख इस्पात कारखानों में कोक ओवन कार्य क्षेत्र में पार्टिकुलेट पी ए एच की सांविधिक निगरानी।

इसके अलावा, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र ने बाह्य संगठनों के लिए भी जाँच एवं परामर्शदात्री सेवाएँ प्रदान की हैं।

क. ऊर्जा खपत (गीगा कैलरीज/प्रति टन कच्चा इस्पात):-

संयंत्र	2003-04	2004-05	2005-06 (अप्रैल-सितम्बर)
बीएसपी	6.86	6.84	6.82
डीएसपी	7.35	7.29	7.65
आरएसपी	8.72	8.69	8.69
बीएसएल	7.75	7.23	7.09
सेल	7.46	7.29	7.24

ख. ऊर्जा संरक्षण उपाय :-

वर्ष 2004-05 के दौरान कार्यान्वित की गई कुछ महत्वपूर्ण ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों को नीचे दिया जा रहा है :-

- बी एस पी, भिलाई में पी बी एस के बॉयलर-6 में कोयले की जगह बी एफ गैस बर्नरों की स्थापना।
- बी एस पी, भिलाई के मर्चेट मिल और आर एस एस में आर एच एफ का संशोधन।
- डी एस पी, दुर्गापुर में सेक्शन मिल के रिहीटिंग फर्नेस हेतु प्रोसेस हीटिंग मॉडल की निगरानी, स्वचालन एवं कार्यान्वयन।
- डी एस पी, दुर्गापुर के व्हील और एक्सल प्लांट के "ए" फर्नेस में ऑन-लाइन डिले स्ट्रेटेजी मॉडल का कार्यान्वयन।
- आर एस पी, राउरकेला के आर एच फर्नेस-6 के रिक्यूपरेटर्स की पुनः स्थापना।
- आर एस पी, राउरकेला के सिंटर प्लांट-II में गल्टी-स्लिट बर्नर की स्थापना।
- बी एस एल, बोकारो के अप्रैल 2004 और सितम्बर 2004 में सिंटर प्लांट के बैंड-2 और 3 में मल्टी-स्लिट बर्नर्स चालू।
- बी एस एल, बोकारो के ब्लास्ट फर्नेस-1 में कोल तार प्रक्षेपण।
- बी एस एल, बोकारो के ब्लास्ट फर्नेस-1 और 4 में ऑक्सीजन संवर्धन।
- बी एस एल, बोकारो में फ्लैट रूफ टॉप और सिरैमिक फाइबर लाइनिंग युक्त 3 बैच एनीलिंग फर्नेस में संशोधन।

ग. वर्ष 2005-06 में कार्यान्वयन के अधीन ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम:

वर्ष 2005-06 में कार्यान्वित की जा रही कुछ महत्वपूर्ण ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों को नीचे दिया जा रहा है:-

- बी एस पी, भिलाई के ब्लास्ट फर्नेस-6 में कोल डस्ट प्रक्षेपण का स्थिरीकरण
- बी एस पी, भिलाई के ब्लास्ट फर्नेस-4 में अतिरिक्त ईंधन के रूप में तार प्रक्षेपण
- बी एस पी, भिलाई स्थित आर एम पी-2 के वर्टिकल शाफ्ट किल्न में सी ओ गैस फाइरिंग की शुरुआत।
- डी एस पी, दुर्गापुर के ब्लास्ट फर्नेस-3 में 1.8 टन/घनमीटर/प्रतिदिन उत्पादकता की प्राप्ति।
- डी एस पी, दुर्गापुर में सुपरवाइजरी कंप्यूटर कंट्रोल प्रणाली की शुरुआत कर ब्लास्ट फर्नेस-3 में उच्चतर हॉट ब्लास्ट तापमान की प्राप्ति।
- डी एस पी, दुर्गापुर के ब्लास्ट फर्नेस-2 में तार इंजेक्शन का स्थिरीकरण।
- डी एस पी, दुर्गापुर में विशिष्ट ऊर्जा खपत कम कर 6.5 गीगा कैलरीज/प्रति टन कच्चा इस्पात करने के लिए अध्ययन।
- आर एस पी, राउरकेला के सिंटर प्लांट-2 में मल्टी-स्लिट बर्नर की शुरुआत।
- आर एस पी, राउरकेला के बी ओ एफ, एसएसएस-II में विशिष्ट तप्त धातु खपत में कटौती।



- आर एस पी, राउरकेला के सी आर एम में एच डी एल के फ्लेम हीटिंग फर्नेस में सुधार।
- बी एस एल, बोकारो के एक ब्लास्ट फर्नेस में टार प्रक्षेपण की शुरुआत।
- बी एस एल, बोकारो के ब्लास्ट फर्नेस-5 में कोल डस्ट प्रक्षेपण (सी डी आई) चालू।
- बी एस एल, बोकारो के ब्लास्ट फर्नेस में एक स्टोव चेकर वर्क्स में हुगोवन टाइप डिजाइन का उपयोग।
- बी एस एल, बोकारो में डाउनटाइम कम करने के लिए वाटर कूल्ड रिफ्रैक्टरी लाइंड डुअर्स लगाकर रिहीटिंग फर्नेसों के डिस्चार्ज डुअर्स में संशोधन।
- बी एस एल, बोकारो में एनीलिंग फर्नेसों की छतों को ब्रिक लाइनिंग के बजाय सीरेमिक फाइबर लाइनिंग से बदलना।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)

आर आई एन एल, वी एस पी में पर्यावरण प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। स्वच्छ एवं हरा-भरा पर्यावरण बनाये रखने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताएं एवं गतिविधियाँ नीचे दी जा रही हैं:-

स्वच्छ हवा, धुआँ उत्सर्जन, ध्वनि, बैटरियों और एप्लयुएंट्स से फ्यूजिटिव उत्सर्जन सभी मानक, सिवाय अमोनिकल नाइट्रोजन, स्वीकार्य सीमा के अंदर हैं। अमोनिकल नाइट्रोजन को 50 एम जी 1 से नीचे लाने के लिए 5 करोड़ रुपये की लागत से एक नाइट्रिफिकेशन-डिनाइट्रिफिकेशन परियोजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसे 30 जून 2007 को चालू करने का लक्ष्य है।



विशाखापत्तनम स्टील टाउनशिप में पार्क का दृश्य।

- 1.1 करोड़ रुपये की लागत पर 3 कंटीन्युअस एंबियंट एअर मॉनिटरिंग स्टेशनों की स्थापना की जा रही है। इसे 31 मार्च, 2006 को चालू करने का लक्ष्य है।
- 2 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 10 कंटीन्युअस ऑन-लाइन स्टॉक मॉनिटरिंग प्रणालियाँ लगाई जा रही हैं। इसे 31 मार्च 2006 को चालू करने का लक्ष्य है। 10 और की स्थापना 31 दिसम्बर, 2006 तक की जायेगी।
- ड्राई फ्लाय ईश हैंडलिंग, भंडारण एवंडिलीवरी लागत पर कार्यान्वित का जा रही है। इसे 31 मार्च, 2006 को चालू करने का लक्ष्य है। ड्राई फ्लाय ईश उद्यमियों को फ्लाय ईश ईटें और अन्य फ्लाय ईश आधारित उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए मुफ्त दी जायेगी। ईओआई आमंत्रित कर ली गई है। पच्चीस पार्टियों ने आवेदन किया है।
- एसएसएस में फ्यूजिटिव उत्सर्जन नियंत्रण के लिए 50 करोड़ रुपये की लागत से एक योजना मुहैया की जा रही है। इसे 2007 को चालू करने का लक्ष्य है।
- एसएसएस और मिल्स में कूलिंग उपयोग की गुणवत्ता का पानी तैयार करने के लिए टाउनशिप के सीवेज वाटर (30 घनमीटर/प्रति घंटे) उपचार हेतु एक अल्ट्रा-फिल्ट्रेशन परियोजना 12.12.2005 को चालू की गई।

पर्यावरण पुरस्कारों से सम्मानित

- सी आई आई, दक्षिणी क्षेत्र द्वारा 24 फरवरी, 2005 को सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण में नेतृत्व एवं उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया।
- कनफेडरेशन ऑफ एशिया पैसिफिक चैबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, नई दिल्ली द्वारा फरवरी 2005 में पर्यावरणीय संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण में उत्कृष्टता हेतु बिजनेस अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया।

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड

प्रदूषण नियंत्रण एवं ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु और जल गुणवत्ता निगरानी के मानक नियमों का पालन किया जा रहा है। वर्ष के दौरान लिए गए विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण उपाय इस प्रकार हैं-

डीसिल्टिंग

- डीसिल्टिंग गतिविधियाँ फरवरी 2005 में हुईं। लगभग 2,53,648 टन मात्रा का माल प्रदूषण नियंत्रण बांध। से डीसिल्ट किया गया।
- बांध। और ॥ पर 4 चेक बंदों के डाउन स्ट्रीम की डीसिल्टिंग पूर्ण हो चुकी है और 15000 और 12000 घन मीटर का आयतन बांध। और ॥ के डाउन स्ट्रीम पर बनाया गया है ताकि मानसून के दौरान जलक्षरण में सिल्ट की लिकेज को रोका जा सके।
- खान की मुख्य रिज में 2 लाख घन मीटर का क्रेच पिट खोदा गया है तथा खान क्षेत्र के एक्सटेंशन क्षेत्र में 1 लाख घन मीटर का कैच पिट खोदा गया है जिससे कि पी सी बांध। और ॥ के कैचमेंट से आगे खनन क्षेत्र से खान रन ऑफ को रोका जा सके।

वनरोपण क्रियाएं

- खान रहित क्षेत्र में 40 हेक्टेयर क्षेत्र में घास रोपण का कार्य किया गया।
- वर्ष 2005 के दौरान 4100 पौधे (मृष्टिका स्वैप) लगाये गये।

प्रदूषण नियंत्रण उपायों के क्रियान्वयन पर वर्ष 2004-05 के दौरान लगभग कुल 6.35 करोड़ रुपये व्यय किये गये।


निगरानी और मापन

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा संगठित निगरानी समिति द्वारा यथा संस्तुत रूप में जल और वायु की गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। 6 स्टेशनों पर जुलाई 2005 से मानसून में दैनिक और गैर मानसून मौसम में साप्ताहिक जल गुणवत्ता निगरानी की जा रही है।



टाउन पार्क -कुद्रेमुख।

जिसका इस्तेमाल दिया जा सकता है खानों की जलहती में समुचित जगह पर उचित ड्रूनेज सुविधा के साथ बनाये गये प्रदूषण संयंत्र बांधों में किया जाता है। डिसिल्टिंग से प्रति वर्ष 1 मी.टन सामग्री पर डीसिल्ट की पुनः प्राप्ति होती है और इसका बेनीफिकेशन प्लांट में संकेन्दण की उत्पादन करने के लिए उपचार किया जाता है। अयस्क संरक्षण से स्लरी के रूप में सृजित टेलिंग खानों से लगभग 4 किलोमीटर दूर लाक्या होली पर बनाये गये 100 मीटर ऊँचे टेलिंग्स बांध में रखा जाता है। इससे ठोस अपशिष्ट पदार्थों से जल स्रोत को प्रदूषित होने से बचाया जाता है। जल को प्रक्रिया उपयोग के लिए पुनः प्राप्ति की जाती है। टेलिंग को नियमित रूप से तीन पाइपलाइनों के जरिये पम्प किया जाता है और लाक्या बांध में भंडारण के लिए डाल दिया जाता है।



कुद्रेमुख में लक्या डैम।

जल गुणवत्ता निगरानी करने में नियंत्रण एजेंसियों द्वारा बनाए गए मानकों का कड़ाई से पालन किया जाता है।


ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन

खनन और बेनिफिकेशन प्रक्रियाओं से मिलने वाले प्रमुख ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं : ओवरबर्डन, अपशिष्ट रॉक्स, मानसून के दौरान खानों से सॉयल वाश ऑफ और बेनी फिकेशन से टेलिंग्स। ठोस अपशिष्ट पदार्थ ढेले, ग्रेन्यूल्स, धूलि, स्लरी और स्लज किस्म के होते हैं। आवासीय कचरा, चिकित्सालयी कचरा, बागवानी कचरा, जल उपचार संयंत्र और सीवेज उपचार संयंत्र अन्य स्रोत हैं।

खानों में सृजित ठोस अपशिष्ट पदार्थ (ओवर बर्डन/अपशिष्ट रॉक्स) नाममात्र का होता है और प्रमुख रूप से खान क्षेत्र में विकास कार्यों और सड़क की मरम्मत के लिए उपयोग किया जाता है और शेष को विभिन्न चिन्हित गड्ढों (डंप्स) में डाल दिया जाता है। भिट्टी के क्षरण सृजित ठोस अपशिष्ट पदार्थ,



श्री राम विलास पासवान, माननीय रसायन एवं उर्वरक और इस्पात मंत्री कुद्रेमुख में पौधारोपण करते हुए।




मैंगनीज ओर इण्डिया लिमिटेड (मॉयल)

ऊर्जा संरक्षण

ऊर्जा संरक्षण की राष्ट्रीय नीति और उत्पादन लागत पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य के अनुरूप, कंपनी ने इस ओर एक मितव्ययिता अभियान शुरू किया है। ऊर्जा संरक्षण और विद्युत खपत कम करने के लिए ऊर्जा ऑडिट समेत अनेक कदम उठाये गये हैं।

मॉयल के इतिहास में पहली बार, कंपनी को रसायन क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण का प्रथम पुरस्कार 2005 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इसके महाराष्ट्र के भंडारा जिले में स्थित डांगरी बुजुर्ग खान के इलेक्ट्रोलेटिक मैंगनीज प्लांट को मिला है। यह सम्मान विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2004-05 के दौरान प्रति टन उत्पादित ई एम डी पर विद्युत ऊर्जा के साथ-साथ तापीय ऊर्जा की विशिष्ट खपत में संरक्षण के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार में चमचमाती गोल्ड ट्राफी और प्रशस्ति पत्र महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की गई। सरकार की नीति के अनुरूप मॉयल जहाँ भी संभव हो, ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रयास कर रहा है और इस संबंध में इसने विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की है। ई एम डी प्लांट पिछले कुछ वर्षों से ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। वर्ष 2002-03 में 3623 किलोवाट/प्रति टन ऊर्जा खपत के मुकाबले 2004-05 में यह कम होकर 2755 किलोवाट/प्रति टन हुई। ठीक इसी समय वर्ष 2003-04



वाटर रिजर्वायर : मॉयल की डांगरी बुजुर्ग खान।

में 975 टन उत्पादन वर्ष 2004-05 में बढ़कर 1123 टन हो गया। इसी तरह, प्लांट ने 297 टन/प्रति वर्ष कोयले की खपत कम करते हुए तापीय ऊर्जा में बचत की है।

पर्यावरण विकास तथा पर्यावरण संरक्षण

प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, इसकी सहायक क्षमता को नजर अंदाज करते हुए, पर्यावरण का क्षय पर्यावरण को अस्थिर बनाने वाला एक बुरा स्वप्न प्रस्तुत करता है। खनिजों का खनन, विशेष रूप से खुली खान प्रणाली, पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है और काफी बड़े पैमाने पर जमीन का क्षय होता है। लोगों के स्वास्थ्य के अतिरिक्त जल, वायु तथा ध्वनि प्रदूषण भी मुद्दा है। समस्या और प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए मॉयल ने खनन किए गए क्षेत्रों की भूमि सुधार, मृदा डम्प के पुनर्वास पर विशेष बल देकर कंपनी की खानों में सघन वृक्षारोपण किया है और व्यापक अनुसंधान और विकास किया है। इससे खान पर्यावरण का सुधार करने में सहायता मिली है। पर्यावरण उपयोगी खनन के लक्ष्य को पाने के लिए एक एकीकृत जैव तकनीकी नजरिए को अपनाया गया।

टोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन

मॉयल "आज का अपशिष्ट कल की सम्पत्ति" के सिद्धान्त में विश्वास करता है और वास्तविकता यह है कि मॉयल ने पुनः प्राप्ति करके करोड़ों रुपये मूल्य का अयस्क निकाला है। खनन प्रक्रिया में भारी मात्रा में अपशिष्ट बनता है, जिसे भूमि पर डालना पड़ता और खुले खनन में टोस अपशिष्ट अधिक होता है। अब मॉयल मैंगनीफैरस रॉक और गैर-मैंगनीफैरस रॉक के टोस अपशिष्ट को व्यवस्थित ढंग से पृथक-पृथक डाल रहा है ताकि भविष्य में जब भी न्यून श्रेणी मैंगनीज अयस्क का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित हो तब न्यून मैंगनीफैरस डम्प का उपयोग कम लागत पर किया जा सके।

अपशिष्ट गड्ढे इस प्रकार भरे जा रहे हैं कि भविष्य में इनके हटाने-रखने को रोका जा सके। गड्ढों की ऊँचाई अब 30 एमटी योजित की गई है ताकि कम जगह ली जाए। भरे हुए गड्ढे व्यवस्थित रूप से पौधा/घास/जड़ी-बूटियों के रोपण से ढके जा रहे हैं ताकि बारिश से बचाव हो और बेहतर सौंदर्य परक दृश्य प्रस्तुत हो।

खान के कार्मिकों में पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एमओआईएल इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स के तवावधान में हर वर्ष आयोजित वार्षिक खान पर्यावरण और खनिज संरक्षण सप्ताह में बढ़-चढ़कर भाग लेता है।

जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

पिछले वर्षों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों पर व्यय पूँजीगत निवेश का 7-8% रहा है, जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ से तुलनीय है।

गैस स्ट्रीम से पार्टिकुलेट मैट हटाने और सांविधिक मानकों के अंदर उत्सर्जन नियंत्रण के लिए सभी प्लांट यूनिटों में साइक्लोन सैपरेटर्स, डस्टसप्रेसन प्रणालियाँ, स्क्रबर्स, डिडस्टिंग प्रणालियाँ, ईएस पी और अपेक्षित ऊँचाई की चिमनियों जैसे विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियाँ

स्थापित की गई हैं। विभिन्न प्लांट यूनिटों में स्थापित प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों से कार्य क्षेत्र में स्वीकार्य एवं अनुकूल पर्यावरण परिस्थितियाँ बनी हैं और प्लांट के आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं की दक्षता की जाँच करने के लिए जे एस डब्ल्यू स्टील ने प्लांट की चार दीवारी के बाहर 6 जगहों पर एंबियंट एअर क्वालिटी स्टेशन स्थापित किये हैं। प्लांट यूनिट्स के प्रोसेस स्टैक्स में 6 कंटीन्युअस ऑनलाइन स्टॉक मॉनिटर्स स्थापित किये गये हैं। सभी स्टैक्स से स्टैक मॉनिटर्स स्थापित किये गये हैं। सभी स्टैक्स से स्टैक उत्सर्जन की हर माह जाँच की जाती है। किसी भी समय स्टॉक उत्सर्जन 150 एम जी/घन मी.मी. के मानक से अधिक नहीं मिले।

जल प्रबंधन

जे एस डब्ल्यू स्टील ने एक अनोखी जल प्रबंधन प्रणाली अपनाई है जिसमें प्लांट से पानी बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं होता। पानी का कम्स केडिंग उपयोग करते हुए, विभिन्न यूनिटों से निकले पानी को पेलेट प्लांट, बेनिफिकेशन प्लांट, डस्ट सप्रेसन प्रणाली और हरित पट्टी विकास में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की अनोखी तकनीक अपनाने से जे एस डब्ल्यू को शून्य तरल एफ्ल्युएंट डिचार्ज प्राप्त करने में मदद मिली है।

टोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन

जे एस डब्ल्यू स्टील में अपशिष्ट को अपशिष्ट कभी भी नहीं माना गया। इसको अनेक जगह उपयोगिता मिल रही है और इसने प्लांट में अनेक कच्चे माल की जगह ले ली है। टोस अपशिष्ट का 85% से अधिक का या तो पुनः प्रयोग, पुनः प्रचालन या विक्रय किया गया। शेष टोस अपशिष्ट पदार्थों को सुल्तानपुरा गांव में जे एस डब्ल्यू स्टील के बेस्ट डम्पसाइट के लिए बांध निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग किया गया है। वर्तमान वर्ष में आज तक टोस अपशिष्ट का उपयोग 87% हुआ।

एन एम डी सी लिमिटेड

वर्ष 2005-06 (दिसम्बर, 2005 तक) का पर्यावरण निगरानी अध्ययन यह दर्शाता है कि एनएमडीसी की सभी उत्पादन परियोजनाओं में सभी पर्यावरण निर्धारित मानकों के अंदर पाये गये।

वर्तमान वित्त वर्ष 2005-06 (दिसम्बर 2005 तक) की गई विस्तृत कार्रवाई इस प्रकार है :-

बैलाडिला 14/11सी परियोजना, किरानडुल, दांतेबाड़ा जिला, छत्तीसगढ़


- किरानडुल नाला और कदमपाल टेलिंग बांध पर निर्मित चेक बांध सं 7, 8 और 9 चेक बांध से 169700 घन मीटर स्लाइम डीसिल्ट की गई।
- एफ्ल्युएंट डिस्चार्ज में से ऑयल और ग्रीस हटाने के लिए सर्विस सेंटर परिसर में एफ्ल्युएंट ट्रीटमेंट के लिए परिसर में एफ्ल्युएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स का प्रचालन।
- धूल शमन के लिए डिपोजिट-II सी क्रशिंग प्लांट सेलोडिंग यार्ड तक स्थापित पूर्वतः स्वचालित डस्ट सप्रेसन प्रणाली का नियमित उपयोग।

बैलाडिला 5 और 10/11 ए परियोजना, बचेली, दांतेबाड़ा जिला, छत्तीसगढ़

- सभी चेक बांधों और टेलिंग बांध की डीसिल्टिंग (1,53,000 घन मीटर गाद/चूर्ण)।
- डिपोजिट-10/11 ए चेक बांध के नजदीक पानी के बहाव की गति को नियंत्रित करने के लिए चैन लिंक जाले में बांधे गये खुले पत्थरों से बांध निर्माण किया गया है।
- डिपोजिट-10/11 ए के हिल-टॉप पर 50,000 पौधे और ढलान पर 3330 पौधे लगाये गये एवं सी वी वी एन, विलासपुर के जरिये बड़े बचेली गाँव में 50,000 पौधे लगाये गये।



श्री राम विलास पासवान, माननीय रसायन एवं उर्वरक और इस्पात मंत्री पौधारोपण करते हुए।



- पर्यावरण प्रबंधन एवं डीग्रेडेड इको-प्रणाली केन्द्र, दिल्ली विश्वविद्यालय के जरिये 5 एकड़ के नमूना प्लॉट पर पुराने फाइन और डम्प में पर्यावरण बहाली कार्य शुरू किया गया है।
- प्रमुख माइन सड़क मार्ग कल्वर्ट्स पर ड्रेन का निर्माण

दोणिमलाई लौह अयस्क परियोजना, दोणिमलाई टाउनशिप, बेलारी जिला, कर्नाटक

- चेक बांध सं. 4, 8 और 9 की नियमित डीसिल्टिंग
- एम एस एल-945 वेस्ट डम्प के नीचे और एम एम क्रॉस सेक्शन वेस्ट डम्प से आगे साउथ ब्लॉक में गर्डल वाल का निर्माण।
- नियमित वृक्षारोपण के तहत 15,000 पौधे लगाए गये एवं अपशिष्ट डम्प स्टेबलाइजेशन के तहत 50,000 अगेव बल्ब लगाये गये।

हीरा खनन परियोजना, मझगाँव, पन्ना

- प्राइमरी और सेकेंडरी क्रशिंग प्रणालियों के लिए रॉम हॉपर में प्रभावी मिस्ट वाटर स्प्रे व्यवस्था ("एक्वाडाइन" डस्ट सप्रेसन प्रणाली) और "ड्राई फॉम" डस्ट नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की गई।
- हरित पट्टी के विकास और वेस्ट डंप्स स्टेबलाइजेशन के तहत लगभग 3000 पौधे लगाये गये।
- घरेलू सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए आर बी सी के साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्मित किया गया।

ऊर्जा संरक्षण

प्रति टन लौह अयस्क उत्खनन पर ऊर्जा खपत

(क) विद्युत ऊर्जा-किलोवाट/प्रतिटन उत्खनन

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक
2003-2004	2.20	2.19
2004-2005	2.05	1.96
2005-2006 (अप्रैल-दिसम्बर 05)	1.98	1.84

बर्ड ग्रुप ऑफ कम्पनीज

वनरोपण एवम् प्रदूषण नियंत्रण

ओएमडीसी ने वनरोपण कार्यक्रम के अंतर्गत 127.205 हैक्टेयर क्षेत्र में वनरोपण किया है। वनरोपण कार्यक्रम में वृक्षवीथि तैयार करने के लिए वृक्ष लगाना, बेकार सरकारी भूमि पर और कामगारों की कॉलोनी के आसपास वृक्ष लगाना शामिल है। ओएमडीसी और बीएसएलसी ने दबावयुक्त नोजलों के जरिए परिवहन सड़कों पर पानी का छिड़काव धूल शमन के लिए किया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार सतत आधार पर पर्यावरण की निगरानी की जा रही है। कम्पनियां पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती हैं।

स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड

दिनांक 16.01.1991 की गजट अधिसूचना के सभी प्रावधानों और उनके संशोधनों का दृढ़ता से अनुपालन किया जाता है। आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट सभी मानकों का दृढ़ता से पालन किया जाता है और सभी मानकों को निर्धारित सीमा में कायम रखा जा रहा है। स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जाँच की जाती है और उनकी सिफारिश के आधार पर मानकों को निर्धारित स्तर पर कायम रखने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाते हैं।

अपशिष्ट भूमि का विकास

अपशिष्ट उपलब्ध भूमि का समतलीकरण प्रस्तावित है। इस पर स्वच्छ एवं हरा-भरा कार्यक्रम के तहत पौधे लगाकर हरियाली विकसित करने का प्रस्ताव है।

सूचना टेक्नॉलोजी का विकास इस्पात मंत्रालय

यह सूचना टेक्नॉलोजी का युग है। इस्पात मंत्रालय और इसके अधीन सार्वजनिक उपक्रम सूचना प्रौद्योगिकी की संरचना, उसके विकास और उसे लागू करने से सम्बद्ध मामलों का निरंतर नवीकरण करने के लिए प्रयत्नशील हैं।

(क) सूचना टेक्नॉलोजी संरचना

मंत्रालय के कम्प्यूटर केन्द्र में विन्डो 2003 और विन्डो-एन टी सर्वर, पेंटियम पर आधारित ग्राहक प्रणाली, फोटो आदि के दस्तावेजों के लिए एक स्कैनर की सुविधा उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त केन्द्र में स्विच और हब जैसे लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) उपस्कर भी हैं, जो पूरे मंत्रालय में फैले लोकल एरिया नेटवर्क (लैन), इन्टरनेट तथा मंत्रालय में इंटरनेट पर आधारित युक्तियों के परिचालन में रीड की हड्डी का काम करते हैं।

एन आई सी केन्द्रीय सुविधा के अतिरिक्त मंत्रालय में डेस्क/अनुभागों में कर्मियों के पास लगभग 100 पेन्टियम-आधारित ग्राहक प्रणालियां भी हैं जो वर्तमान विन्डो आधारित साफ्टवेयर और कार्यालय ओटोमेशन के लिए उपयोगी हैं।

मंत्रालय में लगभग 100 नोड की एक लैन प्रणाली काम कर रही है और इसका 1) फाइलों और दस्तावेजों को मिल बांटने तथा 2) वार्षिक प्रतिवेदनों के लिए सूचना/माल, संसद में प्रश्न, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संदर्भ तथा संसद में आश्वासन, रिक्त पदों की स्थिति, ए.सी.सी स्वीकृति, मंत्रालय के अनुभागों /डेस्कों से लम्बित समीक्षा, अपील 3) संसदीय प्रश्नों के उत्तरों का संचय और संगठन तथा उन्हें ई-मेल के जरिए राज्य सभा और लोकसभा भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है।

मंत्रालय के सभी कर्मियों/डेस्क/अनुभागों को इंटरनेट पर सूचना भेजने तथा इंटरनेट से वांछित सूचना प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है।

(ख) मंत्रालय में कागज विहीन कार्यालय के सिद्धान्त को बढ़ावा और ई-प्रबन्धन लागू करना

ई-प्रबन्धन कार्यक्रमों के अंश के रूप में समस्त मंत्रालय में एक इंटरनेट पोर्टल (<http://nt-steel/>) मासिक स्टेनरी मदों, अर्जित अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र तथा नोटिस, परिपत्र और कार्यालय आदेश के आदान-प्रदान के लिए मंत्रालय में एक बुलेटिन बोर्ड की सेवाएं इस्तेमाल करने वाले कर्मियों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। पोर्टल की मदद से कम्प्यूटर द्वारा फाइलिंग तथा नोट शीट और दस्तावेजों का अनुमोदन फार्म पाने व करने के लिए किया जा रहा है। यह प्रणाली प्रतिष्ठान, अनुभाग, सेल-ओपी तथा सेल जी.सी जैसे चुने हुए विषयों पर लागू है। मंत्रालय के सभी डिविजनों में यह प्रणाली लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कम्प्यूटर से हस्ताक्षर करने की पद्धति भी नोटशीट, फाइलों तथा दस्तावेजों के लिए लागू कर दी गई है। पूरे मंत्रालय में इंटरनेट पोर्टल पर मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए छुट्टी आवेदन तथा अग्रिम, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रतिवेदन, आइडेंटिटी कार्ड, स्टाफ-कार बुकिंग, आयकर के फार्म, टेलीफोन सूची (अंग्रेजी एवं हिन्दी), मंत्रालय के अधिकारियों/अनुभागों/डेस्क के ई-मेल पते, संगठन चार्ट तथा प्रशिक्षण सामग्री विन्डो-98, एम.एस-एक्सैल, एमएस-एक्सैस, और पावर प्वाइंट से प्राप्त करने की प्रणाली भी उपलब्ध है।

इंटरनेट पोर्टल पर कर्मचारी का विवरण, वेतन वक्तव्य, जी पी एफ वक्तव्य, सरकारी ज्ञापनों, कार्यालय आदेशों और कार्यालय परिपत्रों के लिए बुलेटिन बोर्ड सेवाएं भी उपलब्ध है। इनके अलावा भारत सरकार में ड्यूटेशन, रिक्तियां तथा पद भी इस पोर्टल पर दिखाए जाते हैं।


इंटरनेट पोर्टल से महत्वपूर्ण संदर्भ, संसद में आश्वासन, रिक्त पदों की स्थिति, एसीसी अनुमोदन, लंबित समीक्षा/अपील मामले, अदालतों में मामले, तथा लेखा परीक्षकों के पैरा आदि का पता लगाने के लिए कम्प्यूटर पर आधारित प्रणाली से भी सम्पर्क स्थापित किया गया है।

(ग) मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट

मंत्रालय की वेबसाइट (<http://steel.go.in>) इंटरनेट पर द्विभाषी रूप में उपलब्ध है तथा इसमें प्रशासनीय ढांचे, मंत्रालय की प्रमुख गतिविधियों, राष्ट्रीय इस्पात नीति-2005, सूचना अधिकार अधिनियम-2005, नीतिगत ढांचे, वार्षिक प्रतिवेदन, इस्पात क्षेत्र का पूर्वविलोकन, इस्पात आयात की समीक्षा, तथा आयात संबंधी आंकड़े और 1991 के बाद से विकास, अनुसंधान एवं टेक्नॉलोजी विकास, मंत्रालय के सरकारी उपक्रमों तथा सम्बद्ध कार्यालयों, अनुसंधान एवं विकास टेक्नॉलोजी मिशन व मंत्रालय में शिकायतों से सम्बद्ध अधिकारियों, इस्पात मंत्री के कार्यालय, मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में भी जानकारी भी दी गई है, जिससे इस्पात क्षेत्र से संबंधित वृहद सूचनाएं मिल सकें।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) सेल

राउरकेला इस्पात कारखाने (आर एस पी) ने अपने ही प्रयासों से उत्पादन, आयोजन और नियंत्रण (पी.पी.सी.) प्रणाली विकसित की है। यह प्रणाली 1 अप्रैल, 2005 से कार्य कर रही है। भिलाई इस्पात कारखाना ई-प्राप्ति शुरू करने की तैयारी में है। केन्द्रीय विपणन संगठन (सी एम ओ) ने अपने वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यू ए एन) के स्तर में सुधार किया है जिससे आई.एस.डी.एन. और वी सैट को लाइन लीज की जा सकें। सीएमओआईटीईएस (सी एम ओ आई - समर्थक प्रणाली) से केन्द्रीय विपणन संगठन के देश में 54 दूर-दराज फ़ैले



कार्यालयों को आपस में जोड़ा गया है। चैन्नई स्थित दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय में संकट पुर्नप्राप्ति प्रणाली स्थापित की गई है। सेल ने चरणबद्ध तरीके से अपने सभी कारखानों और यूनिटों में उद्यम संसाधन आयोजन (ई आर पी) सॉफ्टवेयर लगाने का निर्णय किया



सेल प्लांट के नियंत्रण कक्ष का आन्तरिक दृश्य।

है। इसमें मुख्य भूमिका भिलाई इस्पात कारखाना निभा रहा है। यह बिक्री, सामग्री प्रबन्धन, वित्त तथा लेखा, उत्पादन, आयोजन तथा क्वालिटी के पक्षों को अपने कम्प्यूटर के दायरे में ले रहा है। जहां तक कारोबार में कम्प्यूटर का प्रयोग है, ई आर पी सूचना टेक्नॉलोजी के क्षेत्र में अधुनातन प्रयोग है। ई आर पी प्रणाली से कारोबारी प्रक्रिया में लीड समय में कमी, माल सूची में कटौती, कार्य पूंजी का प्रबन्धन, वित्तीय समायोजन में सुधार तथा बिक्री, उत्पादन, भण्डार, खरीद व लेखों में समन्वयन जैसे लाभ प्राप्त होते हैं। सेल विडियो-कान्फ्रेंस भी लागू कर रहा है। इस्पात मंत्रालय, सभी एकीकृत कारखाने, केन्द्रीय विपणन संगठन, रांची तथा मुख्यालय इस योजना के अन्तर्गत लाए जाएंगे।

सुरक्षा

किसी भी उद्योग के परिचालन में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पक्ष है। वह न केवल उसके कर्मचारियों तथा कर्मियों बल्कि पर्यावरण और राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों में सुरक्षा पर दिए जा रहे बल पर प्रकाश डाला गया है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल ने कार्य-स्थलों में सघन उपाय कर; अपने एकीकृत कारखानों में जोखिम नियंत्रण ग्रेडिंग प्रणाली लागू कर; सुरक्षा लेखा परीक्षा कार्यशाला और प्रशिक्षण आदि के आयोजन से सुरक्षा निष्पादन में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। विभिन्न कारखानों और खानों के जोखिम वाले विभागों में सुरक्षा लेखा परीक्षा की गई। सेल के विभिन्न इस्पात कारखानों की कोक भट्टी, धमन भट्टी, सिन्टरिंग संयंत्र, स्टील मैल्टिंग शॉप आदि में सुरक्षा पर विशेष कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जहां अनुभव के साथ-साथ ज्ञान प्राप्त हुआ।



इस्पात उद्योग में सुरक्षा-स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर संयुक्त समिति और आरडीसीआईएस, रांची में सेल सुरक्षा पुरस्कार के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का एक दृश्य।

आर आई एन एल (वी एस पी)

सुरक्षा मानकों के कार्यान्वयन, जोखिम नियंत्रण उपायों तथा पहल के अन्य उपायों जैसे निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2004-05 में जोखिम वाले पक्षों में कमी/समाप्ति हुई है। उपलब्धियां इस प्रकार रही:

- जान की कोई हानि नहीं
- रिपोर्ट करने योग्य दुर्घटनाओं में 13% की कमी।

सुरक्षा के क्षेत्र में प्रमुख बातें नीचे बताई जा रही हैं।

- कारखाने में दुर्घटनाओं की संख्या में 2005-06 में 17.6% की कमी।
- 19 विभागों, यानि सीआरएमपी, डीएनडब्ल्यू, सीएसडी, इटीएल, इआरएस, हाइड्रोलेक्स एवं लुब्रिकेशन, सीइडी, सीआरजी, आरएमडी, एनएमडी, टीएस, पीडी, स्टइडी, टेलीकॉम, पीपीएम, सिस्टम, कैन्टीन, ओएचएसआरसी, टी एण्ड डी सी में जीरो दुर्घटना का लक्ष्य प्राप्त किया गया।
- क्यू एटीडी विभागों में 20 लाख हानि समय आहत-मुक्त जन-घण्टे प्राप्त किए गए।
- वी एस पी को एक बार में 30 लाख हानि समय आहत मुक्त जन-घण्टे मिले



- 10 लाख हानि समय आहत-मुक्त जन-घण्टे-आठ बार
- सभी कर्मचारियों को सुरक्षा प्रोत्साहन गतिविधियों में लगाने के लिए सभी विभागों, यानि सीसीसीडी, आर एम एच पी, एस पी, टी पी पी, बी एम, एसएसएस, रोलिंग मिलों, ट्रेफिक और डब्ल्यू.एम.डी. में सुरक्षा सप्ताह समारोह आयोजित किए गए। प्रत्येक विभागीय सुरक्षा सप्ताह में सुरक्षा स्लोगन, पोस्टर लेख, नाटक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं
- वी एस पी ने सेल सुरक्षा संगठन के सहयोग से एक गैस सुरक्षा वर्कशाप आयोजित की जहां सभी इस्पात कारखानों के विशेषज्ञों ने अपने-अपने अनुभवों का आदान-प्रदान किया।
- विशेषज्ञ कुशल स्वायत्त एजेंसी मैसर्स श्रीनिवास केसल्टेंट्स, हैदराबाद ने वर्ष 2004 के लिए वाह्य सुरक्षा लेखा परीक्षा की।
- जोखिम भरे क्लोरीन टोनर के स्थान पर वाटर पम्प हाउस में तीन इलेक्ट्रो क्लोरीनेटर लगाए गए।
- कच्चे बेन्जोल टैंक संख्या 3 की छत सुरक्षा से काम के दौरान बदली गई। यह टैंक अन्य कच्चे बेन्जोल और बेन्जीन टैंकों से घिरा हुआ है।
- कारखाने की विभिन्न यूनिटों में बड़ी मरम्मत के दौरान सुरक्षा कर्मियों द्वारा चौबीसों घण्टे गतिविधियों पर नज़र रखी गई।
- कायापलट समारोहों के दौरान सुरक्षा प्रदर्शनी मण्डप लगाया गया जिससे परिवार के सदस्यों में सुरक्षा के प्रति चेतना जागृत हो। घर में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गई।

एन एम डी सी

एन एम डी सी की सभी परियोजनाओं में प्रशिक्षण केन्द्र है और इनमें खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमों के अधीन आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये केन्द्र मौलिक प्रशिक्षण, ज्ञान पुनः ताजा करने के प्रशिक्षण तथा कौशल वाले व्यावसायों के लिए प्रशिक्षण तथा ड्यूटी पर आइत होने पर क्या करे इस बारे में प्रशिक्षण की आवश्यकता पूरी करते हैं।

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. ने खान सुरक्षा महानिदेशालय, दक्षिण क्षेत्र के तत्वावधान में 28 और 29 जून 2005 को एनएमडीसी हैदराबाद में "गैर कोल खानों में व्यावसायिक स्वास्थ्य को नई चुनौतियां" विषय पर एक दो-दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन के दौरान पांच तकनीकी सैशनों में शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। इसमें खान सुरक्षा महानिदेशक, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन और भाग लेने वाली अन्य खानों के 141 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

एनएमडीसी की प्रत्येक परियोजना में पर्याप्त मात्रा में कर्मी इंस्पेक्टरों को कानून के अनुरूप खनन परिचालन मेकेनिकल तथा वैद्युत स्थापनाओं के लिए नमित/नियुक्त किया जाता है। मुख्यालय में वर्ष में एक बार त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की जाती है। खान स्तर की त्रिपक्षीय समिति की बैठक चलाई जा रही प्रत्येक खान में आयोजित की जाती है। यह बैठक परियोजना स्तर पर वर्ष में एक बार बुलाई जाती है और इसमें वरिष्ठ अधिकारी, मजदूर संघों के प्रतिनिधि तथा डीजीएमएस अधिकारी भाग लेते हैं। बैठक में सुरक्षा कार्य-निष्पादन तथा सुरक्षा समीक्षा व सिफारिश की जाती है।

परिचालित प्रत्येक खान में पिट सुरक्षा समितियां गठित की गई है और पिट सुरक्षा बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जाती हैं। इनमें कार्य के वातावरण से सम्बद्ध सुरक्षा मसलों पर विचार होता है तथा स्थिति को ठीक करने के उपाय किए जाते हैं।

मैसर्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ, नागपुर द्वारा सभी परियोजनाओं में डोजीमेट्री और वाइब्रेशन अध्ययन किए जा रहे हैं। कानून के अनुसार सभी कर्मचारियों की, नियमित रूप से समय-समय पर चिकित्सा जांच तथा अन्य अतिरिक्त परीक्षण किए जाते हैं। इसके अन्तर्गत सभी नए भर्ती कर्मचारी, कम्पनी के रजिस्टर पर पुराने कर्मचारी और एक वर्ष के भीतर रिटायर होने वाले कर्मचारी आते हैं।

सभी परियोजनाओं में व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनमें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं और जो व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा में केन्द्रीय श्रम इंस्टीट्यूट, मुम्बई से प्रशिक्षित डाक्टर चलाते हैं।

वर्ष 2005-06 में (अप्रैल से दिसम्बर, 05 तक) कोई जानलेवा दुर्घटना नहीं हुई तथा ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या छह रही जिसमें गम्भीर चोटें आईं।

मॉयल

सतह के पास अयस्क भण्डारों में निरंतर कमी के कारण खनन कार्य लगातार जमीन के नीचे की ओर होता जा रहा है और अयस्क की खुदाई का अधिकतर कार्य जमीन के नीचे किया जा रहा है। इसके लिए सहायक-तंत्र, हवा की सुविधा तथा खुदाई से खाली स्थानों पर कुशलता से भराई जैसे विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर निरंतर बल दिया जा रहा है। पिट समितियों के सदस्य, कर्मी इंस्पेक्टर सुरक्षा अधिकारी तथा वरिष्ठ उप महाप्रबंधक (सुरक्षा) नियमित रूप से खानों में कार्य का निरीक्षण करते हैं। सुरक्षित कार्य के लिए लोगों में सुरक्षा की आदत डालने के लिए सुरक्षा सप्ताह मनाए जाते हैं और प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं जिनमें किसी भी खान कर्मी द्वारा देखी गई/की गई असुरक्षित कार्यवाही पर उसकी पुर्नवृत्ति रोकने के लिए विचार-विमर्श किया जाता है। कम्पनी खानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान देती है। कम्पनी ने क्षेत्रीय सुरक्षा प्रतियोगिता में भाग लिया और 55 पुरस्कार जीते। कम्पनी को गुमगांव खान के लिए वर्ष 2000 का "सबसे कम आहत आवृत्ति दर" के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मान भी मिला है। लगातार दूसरे वर्ष, मॉयल की गुमगांव खान को वर्ष 2001 के लिए सबसे कम आहत आवृत्ति दर वाली सर्वश्रेष्ठ भूमिगत खान माना गया है। त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक 29 जुलाई, 2004 को नागपुर में आयोजित की गई।

कम्पनी की सुरक्षा नीति की रचना 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर की गई है। इससे खानों में सुरक्षा के स्तर में और सुधार होगा। मॉयल की बचाव टीम ने एमसीएल के तालचेर में आयोजित अखिल भारतीय बचाव प्रतियोगिता में भाग लिया तथा धातु खान की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

बर्ड कम्पनी समूह

बर्ड समूह के अधीन खनन कम्पनियां डीजीएमएस द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप सुरक्षा उपाय करती हैं। इनमें खानों और दुलाई मार्गों के सुरक्षा नियमों के अनुसार रखरखाव, खानों में काम करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा कवच, प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण, सुरक्षा नारों का प्रदर्शन, अग्निशमन कार्रवाई दिखाने का प्रबंध, खान कर्मचारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह मनाना व उसमें भाग लेना शामिल हैं।

एफएसएनएल

कर्मचारियों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता जागृत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् तथा अन्य संस्थानों की मार्फत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त सभी यूनिटों और कारपोरेट आफिस में सुरक्षा पर वाद-विवाद सहित सुरक्षा दिवस समारोह भी आयोजित किए जाते हैं जहां कर्मचारी पूरे उत्साह से भाग लेते हैं तथा विजेताओं को उपयुक्त पुरस्कार दिए जाते हैं।

केआईओसीएल

कम्पनी में एक सुरक्षा विभाग प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। कम्पनी अपने यहां कार्य कर रहे लोगों की व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को अत्याधिक महत्व देती है। सुरक्षा प्रबन्धन प्रणाली में कर्मचारियों की भागीदारी कम्पनी द्वारा अपनाया गया एक महत्वपूर्ण पक्ष है। सुरक्षा समितियां क्षेत्रवार गठित की जाती हैं तथा इन समितियों में कर्मियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। सुरक्षा अधिकारी सहित सुरक्षा समिति के सदस्यों द्वारा नियमित रूप से सुरक्षा निरीक्षण किए जाते हैं तथा प्रत्येक माह सुरक्षा बैठकों में सुरक्षा पक्षों पर विचार-विमर्श होता है।

सुरक्षा चेतना जागृत करने तथा मानव संसाधनों के विकास के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग, प्राथमिक चिकित्सा ट्रेनिंग, सकारात्मक कार्य संस्कृति के बारे में ट्रेनिंग, पर्यावरण पर चेतना कार्यक्रम, क्वालिटी तथा सुरक्षा प्रबन्धन प्रणाली जैसे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। खनन कर्मियों में सुरक्षा के प्रति चेतना बढ़ाने के लिए सुरक्षा अभियान/प्रोपोगेण्डा के उद्देश्य से हर वर्ष खान सुरक्षा संगठन, कर्नाटक के मार्गदर्शन में खान सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। खान सुरक्षा सप्ताह के दौरान क्षेत्रीय तथा राज्य स्तर पर खान सुरक्षा संगठन, कर्नाटक के अधीन विभिन्न खानों के कर्मचारियों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। कम्पनी ने क्षेत्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में अनेक पुरस्कार जीते हैं।



समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण

इस्पात मंत्रालय

इस्पात मंत्रालय तथा इसके अधीन सार्वजनिक उपक्रम समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित सभी दिशानिर्देशों का पालन करते हैं।

अनु.जाति/अनु.जनजाति/कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिकों की संख्या के बारे में वक्तव्य

इस्पात मंत्रालय से संबद्ध 31 दिसम्बर, 2005 को पुरु-1 एवं महिलाओं की संख्या

पदों का वर्गीकरण	पदों पर कार्यरत कर्मियों की सं.	पुरु-1	महिला	एससी	एसटी	ओबीसी	पीएच	भूतपूर्व सैनिक
ए	37	34	3	6	2	-	-	-
बी	103	70	33	14	5	2	-	-
सी	58	45	13	14	5	4	2	-
डी	70	68	2	33	8	4	1	-
कुल	268	217	51	67	20	10	3	-

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

कुछ ऐसे क्षेत्र जो कमजोर वर्गों के लिए भी उपलब्ध हैं, इस प्रकार हैं :

- अनु.जाति/अनु.जन-जाति के योग्य पात्रों में तकनीकी शिक्षा के प्रसार के लिए स्नातक स्तर पर 14 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। भिलाई इस्पात कारखाने ने 1 अप्रैल, 2004 से प्रधान मंत्री ट्राफी निधि से अनु.जाति/अनु.जन-जाति के विद्यार्थियों को 18 छात्रवृत्तियाँ प्रदान करनी प्रारंभ की हैं। सेलम इस्पात कारखाना भी आस-पास के स्कूलों में अनु.जाति/अनु.जन-जाति के छात्रों को निःशुल्क यूनिफार्म तथा पुस्तकों के अतिरिक्त 10 छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध करा रहा है।
- अनेक मामलों में अनु.जाति/अनु.जन-जाति के छात्रों को कंपनी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में ट्यूशन फीस से छूट दी जा रही है।
- बेरोजगार अनु.जाति/अनु.जन-जाति के युवाओं को विभिन्न तकनीकी व्यवसायों में कौशल तथा ज्ञान का विकास करने के लिए विशेष-ज्ञता प्राप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।
- जन-साधारण में शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से कंपनी ने कुछ इस्पात नगरियों और अन्य स्थानों पर स्कूलों की इमारत बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराई है। बोकारो ने अनु.जाति/अनु.जन-जाति के छात्रों के लिए 12 कमरों के हॉस्टल का आवंटन किया है।
- कंपनी ने इस्पात कारखाने के चारों तरफ के दूर-दराज के इलाकों में तथा निजी खानों के क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया है जिससे आवागमन में सुविधा हो। तथा आस-पास के क्षेत्रों की विकास योजनाओं के अधीन स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन, स्कूली सुविधाओं, पीने के पानी आदि की व्यवस्था संबंधित गतिविधियों में तेजी आ सके।
- भिलाई इस्पात कारखाने ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र के 36 कबायली बच्चों की देखभाल और बोकारो ने 12 बिरहॉर कबायली बच्चों का संरक्षण अपने हाथ में लिया है। ये कारखाने इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, रहने और खाने-पीने की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं।
- पुलों, दूर के स्थानों को मिलाने वाली सड़कों, पक्के रास्ते, जल-मार्गों का निर्माण। इस्पात नगरी के आस-पास भू-समतल करना, पक्की सड़कों की व्यवस्था तथा ग्रामीणों के लिए हैण्ड पम्प, ट्यूबवैल व कुओं की व्यवस्था।
- स्कूली इमारतों, मदरसा, तथा मानसिक रूप से विकलांगों, गूंगों, बहरे बच्चों के लिए स्कूलों का निर्माण और इन स्कूलों के लिए फर्निचर तथा हॉस्टलों व महिला कॉलेजों के लिए भवन आदि का निर्माण।
- अधिकतर इस्पात नगरियों में व्यस्क साक्षरता अभियान चलाया जाता है। हर वर्ग और अधिक महिलाएं व पुरु-1 इस अभियान के अंतर्गत लाए जाते हैं।
- मछली पालन तथा लघु उद्योगों का विकास, ग्रामीण महिला मण्डलों को सिलाई की मशीनें उपलब्ध कराना, तथा आत्म-रोजगार - जन्य कार्यक्रमों को बढ़ावा।
- सेल ने राउरकेला में आस-पास के कबायली क्षेत्रों में उपलब्ध प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एक हॉकी अकादमी शुरू की है। यह अकादमी अनेक युवा कबायली खिलाड़ियों का पता लगाने में सफल हुई है। इन प्रतिभाओं का भूतपूर्व ओलम्पिक खिलाड़ियों की देख-रेख में विकास किया जा रहा है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के संबंध में रा-रूपित के निर्देशों को सतत् आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है और उनका नियमित रूप से प्रबोधन किया जा रहा है। 1 जनवरी, 2005 को सेल (सहायक कंपनियों सहित) की कुल जनशक्ति में 15.05 प्रतिशत अ.जा. और 11.89 प्रतिशत अ.ज.जा.के कर्मचारी थे।

1 जनवरी, 2005 को सेल (सहायक कंपनियों सहित) एसएसी/एसटी का समूहवार प्रतिनिधित्व

ग्रुप	कर्मिकों की कुल संख्या	एससी		एसटी		ओबीसी	
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
ग्रुप-ए	15526	1736	11.18	746	4.80	548	3.35
ग्रुप-बी	44632	5109	11.45	3437	7.70	3818	8.55
ग्रुप-सी*	83517	13848	16.58	12882	15.42	5867	7.02
ग्रुप-सी**	1585	1166	73.56	212	13.38	10	0.63
कुल	145260	21859	15.05	17277	11.89	10243	7.05

* सफाई कर्मचारियों को छोड़कर ** केवल सफाई कर्मचारी

एनएमडीसी

जनशक्ति

31.12.2005 की स्थिति के अनुसार एनएमडीसी की समग्र जनशक्ति 5477 थी, जिसमें से 998 अ.जा. के (18.22 प्रतिशत) 1053 अ.जा. (19.23 प्रतिशत), 419 ओबीसी के (7.65 प्रतिशत) थे ।

ग्रुप	कार्मिकों की कुल संख्या	एससी		एसटी		ओबीसी	
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
ग्रुप-ए	928	120	12.93	42	4.53	89	9.59
ग्रुप-बी	1070	159	14.86	174	16.26	49	4.58
ग्रुप-सी	2468	476	19.29	603	24.43	147	5.96
ग्रुप-डी (स्वीपर के अलावा)	952	197	20.69	231	24.26	134	14.08
ग्रुप-डी (स्वीपर सहित)	59	46	77.97	3	5.08	0	0
कुल	5477	998	18.22	1053	19.23	419	7.65

अन्य कल्याणकारी उपाय

हमारी परियोजनाओं ने अपने-अपने क्षेत्रों में जो विभिन्न सामुदायिक/आसपास के क्षेत्रों के विकास कार्य हाथ में लिए हैं उनका विवरण नीचे दिया जा रहा है :

सामुदायिक/आसपास के क्षेत्रों में विकास गतिविधियाँ

निगम अपनी उत्पादन परियोजनाओं में और उनके आसपास विभिन्न विकास कार्य कर रहा है । मुख्य रूप से कार्य-क्षेत्र निम्न हैं :

- चिकित्सा
- शिक्षा
- पीने के पानी की आपूर्ति

चिकित्सा

- (i) परियोजना के अस्पतालों में आने वाले तथा भर्ती ग्रामीणों, जिनमें मुख्य रूप से खानों के चारों ओर रहने वाले कबायली हैं, को हर तरह से निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है ।
- (ii) एन.एम.डी.सी परियोजना ने छत्तीसगढ़ में हड़डी रोगों के निवारण के लिए निःशुल्क शिविर आयोजित किया जिनमें अनेक आदिवासियों का इलाज किया गया और रोगियों के आपरेशन किए गए । दूर दराज के गाँवों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन को एम्बुलेंस/अस्पताल के उपकरण उपलब्ध कराए गए ।

शिक्षा

- (i) कबायली (आदिवासी) और अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं । अनेक स्कूली इमारतें बनावाने, अतिरिक्त क्लास रूम, आश्रम तथा हॉस्टल उपलब्ध कराने के अलावा एनएमडीसी नियमित रूप से राज्य सरकार के स्कूलों के भवनों की मरम्मत व नवीकरण भी हाथ में लेता है । परियोजना के आसपास अन्य कबायली स्कूलों व आश्रमों में अनु.जाति/अनु.जन.जाति के छात्रों के लिए बिजली की व्यवस्था, रंगीन टेलीविजन, पंखे, ट्यूब लाइट, खेल का सामान, फर्निचर, यूनिफार्म, पुस्तक आदि भी सप्लाई की जा रही हैं । डिग्री कॉलेज में फर्निचर भी दिया जा रहा है ।
- (ii) शिक्षा के प्रति सार्थक दृ-टिकोण जागृत करने तथा उन्हें कम से कम प्राइमरी स्तर तक पढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ चुने हुए कबायली स्कूलों के पांचवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा पास करने वाले आदिवासी बच्चों को उपयुक्त नकद पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं । परियोजनाओं में चल रहे डी.ए वी स्कूलों, जिनके लिए वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह से एन एम डी सी करता है, प्रतिवर्ष अनु.जाति/अनु.जन.जाति के बच्चों के लिए निःशुल्क सुविधाओं की घो-णा की जाती है । एन एम डी सी ने बांसी स्थित सरकारी आई टी आई के छात्रों के लिए हॉस्टल भवन तथा शिक्षकों के लिए रिहायशी मकानों सहित सभी संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं ।
- (iii) बैलाडिला में प्रशिक्षण संस्थानों में स्थानीय लोगों को विशेष तथा सामान्य प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे प्रतियोगिता में सफल हो सकें तथा नौकरी पा सकें । एन एम डी सी ने भांसी में स्थानीय समुदाय के लाभ के लिए एक और आई टी आई स्थापित किया है । इस संस्थान के लिए पूरा खर्च एनएमडीसी उठा रहा है जबकि संस्थान का प्रबन्धन डी ए वी प्रबन्धन के हाथ में है ।

पीने का पानी

- (i) आसपास के गाँवों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए अनेक हैण्ड पम्प/पानी के टैंकों, खुले कुओं/ट्यूबवैलों की व्यवस्था की गई है । स्थानीय लोगों के लाभ के लिए विभिन्न स्थानों पर ऊपर टैंक स्थापित किये गये हैं तथा परियोजना से दूर विभिन्न शिविरों (श्रमिक शिविर, रिफ्यूजी शिविर) तथा पानी ले जाने के लिए लाइन बिछाई गयी है । एन एम डी सी ने डिग्री कॉलेज/स्कूलों को पीने का पानी उपलब्ध कराया है और जन-स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग के हैण्ड पम्प तथा सार्वजनिक सुविधा जल टैंकों की मरम्मत की है ।



एमएसटीसी लिमिटेड

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण, छूट आदि के संबंध में सरकार की नीतियों और प्रक्रियाओं से संबंधित समय-समय पर जारी रा-ट्रपति के निदेशों को किसी भी मामले में कार्रवाई करते/निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाता है।

भर्ती और पदोन्नति से संबंधित मामलों में निर्देशों का पालन करने के लिए बेहतर प्रयास किए जाते हैं। विभागीय पदोन्नति समितियों और चयन समितियों में (भर्ती के मामले में) अनुसूचित जाति/जन जाति/पिछड़े वर्गों के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

आरक्षित श्रेणियों से संबंधित कर्मचारियों की क्षमता में सुधार करने और भविष्य में उच्च स्थिति ग्रहण करने के लिए उन्हें तैयार करने हेतु उनके कार्य से संबंधित क्षेत्रों में उनके प्रशिक्षण और विकास की ओर विशेष-ध्यान दिया जाता है। वर्ष 2005-06 (दिसंबर, 2005 तक) के दौरान 4 अनु.जाति एवं 3 अ.ज.जा. के कर्मचारियों को आंतरिक एवं संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजा गया। इसके अतिरिक्त उन्हें कंपनी के अन्य कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सभी सुविधाएं प्रदान की गयीं। इसके साथ एमएसटीसी द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारी परि-द को सभी संभव सहयोग और सहायता उपलब्ध कराई गयी। यह परि-द मुख्य रूप से कंपनी के आरक्षित वर्गों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए काम करती है।

के आई ओ सी एल

31 दिसंबर, 2005 को के.आई.ओ.सी.एल. में कर्मियों की संख्या 1904 थी जिनमें से 304 अनुसूचित जाति (15.96 प्रतिशत), 77 अनुसूचित जन-जाति (4.03 प्रतिशत) तथा 267 अन्य पिछड़े वर्गों (14.00 प्रतिशत) के थे। इसके अलावा 117 महिला (6.13 प्रतिशत), 29 शारीरिक रूप से विकलांग (1.52 प्रतिशत) तथा 47 भूतपूर्व सैनिक (2.46 प्रतिशत) थे।

कल्याणकारी उपाय

(क) कंपनी ने कुद्रेमुख और मंगलूर में एक आधुनिक नगरी, अस्पताल, मनोरंजन सुविधाएं आदि स्थापित की हैं। “ए” और “बी” श्रेणी के 10 प्रतिशत तथा “सी” और “डी” श्रेणी के 5 प्रतिशत क्वार्टर अनु.जाति एवं अनु.जन-जाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षित किए गए हैं।

(ख) वर्ष 2004-05 में कर्मचारियों के बच्चों के लिए 15 योग्यता छात्रवृत्तियाँ तथा 40 योग्यता एवं साधन छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत की गईं। 55 छात्रवृत्तियों में से 20 प्रतिशत, अर्थात् 11 अनु.जाति/अनु.जनजाति के कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। आलोच्य वर्ष में अनु.जाति/अनु.जन-जाति के कर्मचारियों से केवल 10 आवेदन प्राप्त हुए तथा सभी दस के लिए छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत की गयीं। छात्रवृत्ति पात्रता के लिए प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत जो भी अधिक हो का मानक अनु.जाति/अनु.जन-जाति के कर्मचारियों के बच्चों के लिए घटाकर कुल 50 प्रतिशत अंक किया गया है।

भर्ती

वर्ष 2005-06 में (अप्रैल, 2005 से दिसंबर, 2005 तक) चार उम्मीदवारों (सामान्य श्रेणी) की भर्ती की गयी।

एस आई आई एल

अनु.जाति और अनु.जन-जाति के कर्मचारियों के विकास के लिए कल्याण योजना

भर्ती एवं पदोन्नति

भर्ती एवं विभिन्न पदों पर पदोन्नति के मामले में अनु.जाति/अनु.जन-जाति के उम्मीदवारों को सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप लाभ, रियायतें दी जाती हैं।

कंपनी ने अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए पदों के आरक्षण के बारे में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन किया है। अनु. जाति/अनु.जनजाति के लिए आरक्षित पदों पर कोई भर्ती शेन नहीं है।

प्रशिक्षण

एस.आई.आई.एल. मुख्य रूप से कबायली क्षेत्र में स्थित है तथा योग्यता प्राप्त अनु.जाति/ अनु.जनजाति के उम्मीदवारों की उपलब्धि में कमी को देखते हुए विभिन्न कार्य क्षेत्रों में संस्थानों से अनुभवहीन उम्मीदवारों की भर्ती की जाती है और अनु.जाति/अनु.जन-जाति के कर्मचारियों को कार्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिससे प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें नियमित पदों पर नियुक्त करना संभव हो सके।

सामाजिक गतिविधियाँ

कंपनी ने आस-पास के क्षेत्रों में विकास गतिविधियों की देखभाल के लिए एक छोटा सा चिकित्सा कक्ष खोला है। अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी समय-समय पर स्थानीय कबायली लोगों के लाभ के लिए कार्यक्रम चलाती है। इसके भाग के रूप में एसआईआईएल द्वारा आस-पास के गाँवों में स्थानीय डाक्टरों की मदद से निःशुल्क चिकित्सा शिविर चलाए गए और दवाइयाँ वितरित की गयी।

एम ओ आई एल

मेंग्नीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड एक श्रम-प्रधान संगठन है। इसमें 7017 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। कुल जन-शक्ति का लगभग 77.68 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनु.जन-जाति/पिछड़े वर्ग से हैं। इसमें से 43.33 प्रतिशत अनु.जाति/अनु.जनजाति के हैं। एम ओ आई एल की वर्तमान जन-शक्ति वर्गवार इस प्रकार है :-

श्रेणी	एससी	एसटी	ओबीसी	अन्य	कुल
गुप-ए	19	10	26	143	198
गुप-बी	20	4	29	116	169
गुप-सी	304	275	274	608	1461
गुप-डी	952	1444	2078	680	5154

अनु.जाति/अनु.जन-जाति एवं पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के विकास के लिए कल्याणकारी योजनाएँ:

- अनु.जाति/अनु.जन-जाति के कल्याण हेतु आदिवासी गांवों को अपनाना
- खानों के पास अनु.जाति/अनु.जन-जाति के लोगों के आर्थिक विकास हेतु रेशम पालन की शिक्षा।
- आस-पास की खानों में स्कूलों को सहायता।
- नेत्र कैम्प/रक्तदान कैम्प/शिशु कल्याण कैम्प आयोजित करना, विशेषकर अनु.जाति/ अनु.जन-जाति के लिए।
- जल सप्लाई योजना के लिए ग्राम पंचायतों को अनुदान सहायता।
- उन सामाजिक संस्थानों को वित्तीय सहायता देना जो बुजुर्ग और विकलांगों के पुनर्वास के लिए कार्य करते हैं।
- विकलांगों को तिपहिया प्रदान करना अ.ज.जा. की महिलाओं के उत्थान हेतु सिलाई मशीन प्रदान करना।

मॉयल अनु.जाति/अनु.जन-जाति के लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी उपाय करता है ताकि उनके जीवन स्तर को उठाया जा सके।

बर्ड ग्रुप कंपनियाँ

(क) वर्तमान रोजगार :

अनु.जाति	-	23%
अनु.जन-जाति	-	47%
पिछड़ा वर्ग	-	11%

(ख) नई भर्ती

अनु.जाति/अनु.जन-जाति तथा पिछड़ा वर्ग से नई भर्ती विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित कोटे के अनुरूप की जाएगी।

(ख) कल्याणकारी गतिविधियाँ

- शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धि - बर्ड ग्रुप के अधीन बीएसएलसी और ओएमडीसी आसपास के स्कूलों और कॉलेजों को सहायता प्रदान करते हैं।
- अस्पताल सुविधाओं की उपलब्धि - ओ.एम.डी.सी और बी.एस.एल.सी. मुख्य रूप से कमजोर वर्ग के कर्मचारियों व लोगों के इलाज के लिए अस्पताल चलाते हैं।
- आसपास के गांवों और कमजोर वर्ग से आए कर्मचारियों को कुएं खोद कर, ट्यूबवैल आदि से पीने का पानी उपलब्ध कराना।
- व्यावसायिक कारणों से स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पर नजर रखने के उद्देश्य से ओएमडीसी समय-समय पर कमजोर वर्ग से आए कर्मचारियों तथा पास के गांवों के लोगों को एक्स-रे, खून आदि की जांच के लिए प्रयोगशाला, ओडियोमेट्री, ईसीजी, गुर्दे की जांच, दंत क्लिनिक, ऑपरेशन थिएटर आदि की सुविधा प्रदान करता है।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य देखरेख : कम्पनी ओएमडीसी और बीएलसीके अपने अस्पतालों द्वारा विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मलेरिया उन्मूलन, पल्स पोलियों कार्यक्रम चलाती है।



सतर्कता

इस्पात मंत्रालय के सतर्कता डिवीजन की गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ

इस मंत्रालय की सतर्कता के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं जो संयुक्त सचिव स्तर के हैं और इनकी नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह से की गयी है। मुख्य सतर्कता अधिकारी एक निदेशक और एक अवर सचिव तथा सहायक कर्मचारियों के साथ मंत्रालय के सतर्कता ढांचे के केन्द्र के रूप में कार्य करता है। सतर्कता इकाई अन्य बातों के साथ-साथ इस्पात मंत्रालय और इसके नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के संबंध में निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है :-

- (ii) भ्र-टाचार - रोधी उपायों के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित कार्रवाई करना।
- (iii) शिकायतों की संवीक्षा और उचित जांच उपाय शुरू करना।
- (iv) निरीक्षण और इनसे संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई।
- (v) केन्द्रीय अन्वे-ण ब्यूरो की जांच रिपोर्टों के संबंध में मंत्रालय की टिप्पणियाँ केन्द्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत करना।
- (vi) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर विभागीय कार्यवाही के संबंध में उचित अथवा अन्यथा कार्रवाई करना।
- (vii) जहां आवश्यक हो केन्द्रीय सतर्कता आयोग से पहले और दूसरे चरण की सलाह लेना।
- (viii) केन्द्रीय सतर्कता आयोग और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त करना।
- (ix) इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों के संबंध में उचित कार्रवाई के लिए शिकायतों की जांच करना।
- (x) इस मंत्रालय में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की अचल सम्पत्ति की जांच व उनका रिकार्ड रखना।

सरकारी क्षेत्र के 11 उपक्रम इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में सभी उपक्रमों में सतर्कता इकाई का अध्यक्ष केन्द्रीय सतर्कता आयोग और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से इस मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया गया मुख्य सतर्कता अधिकारी है।

आलोच्य वर्-1 में इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक उपक्रमों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों की तीन बैठकें आयोजित की गयीं, जिनमें सचिव (इस्पात) ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के समग्र कार्यनि-पादन, विशेष-कर गलत कार्य रोकने व दण्डीय सतर्कता के क्षेत्र की समीक्षा की तथा कुछ व्यावहारिक सुधारों की शिफारिश की। इन बैठकों में लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप अनेक व्यावहारिक सुधारों पर अमल किया गया है और शे-1 मामलों की संख्या में काफी कमी हुई है। सभी सार्वजनिक उपक्रमों से अपनी प्रक्रियाओं के लिए आई.एस.ओ. प्रमाण-पत्र प्राप्त करने को कहा गया है।

सेल

कंपनी ने कर्मचारियों, सप्लायरों और उपभोक्ताओं में सतर्कता के प्रति जागरूकता लाने के लिए पहल की कार्रवाई की है। इसके लिए देशभर के कारखानों, यूनिटों, और विभिन्न विपणन कार्यालयों में बड़ी संख्या में कार्यक्रम चलाए गए। ई.कॉमर्स और ई.पेमेंट पर बल दिया गया। इससे कंपनी द्वारा किए जा रहे कारोबार में स्प-टवादिता बढ़ी है।

प्रक्रियाओं में सुधार और उच्च मूल्य के ठेकों तथा खरीद की गहन जांच सतर्कता प्रशासन के लिए वर्-1 में विशेष-1 बल का क्षेत्र बना रहा। महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की समीक्षा की गयी और जहां भी आवश्यक हुआ निर्णय को स्प-ट तथा तीव्र बनाने के लिए और सरलीकरण किया गया।

रा-ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (वीएसपी)

विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में सतर्कता एक प्रभावी प्रबंधन साधन के रूप में बचावकारी सतर्कता पर जोर दे रहा है। प्रक्रियाओं की समीक्षा, संवेदनशील मदों की पहचान, अकस्मात जांच/गुण जांच, सतर्कता में वृद्धि, रेल व सड़क पर ढुलाई और माल भार पर तोलने पर जोर दिया गया। जहाँ भी आवश्यक हुआ वर्तमान प्रक्रियाओं में सुधार व उन्हें दुरुस्त करने के लिए कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी को सचेत किया गया।

वर्-1 2004-05 और 2005-06 में सतर्कता सप्ताह आयोजित किए गए। 07 नवंबर, 2005 से 11 नवंबर, 2005 तक आयोजित सतर्कता सप्ताह के दौरान कार्यपालकों, इस्पात कार्यपालक एसोसिएशन, कर्मचारी संघों, खरीदारों, सप्लायरों तथा ठेकेदारों के लिए विचार-विमर्श एवं प्रस्तुतिकरण अधिवेशन आयोजित किए गए। एक "केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा जारी महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों शी-क पुस्तिका जारी की गयी। कर्मचारियों और नगरी व पुनर्वास कोलोनियों में शैक्षिक संस्थानों के छात्रों के लिए सतर्कता से संबंधित वि-यों पर लेख, भा-ण, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। समापन समारोह में विजेताओं को पुरस्कार बांटे गए। समारोह में वीएसपी के प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रतिरोधी सतर्कता की दृ-टि से निर्णय लेते समय निविदाओं की जांच पर अधिक जोर दिया गया जिससे प्रतियोगिता में वृद्धि के लिए ऐसे मुद्दों का संशोधन किया जा सके जो निविदाकर्ताओं को प्रतियोगिता में भाग लेने से रोकते हों।

परिचालन, रखरखाव, प्राप्ति और विपणन के संबंध में ठेकों पर निर्णय लेते समय निविदाओं के मूल्यांकन, ठेके देने, और ठेकों के अनुसार कार्य करवाते समय सतर्कता की दृ-टि से पहल की गयी और प्रबन्धन ने सतर्कता विभाग के सुझावों पर सार्थक दृ-टिकोण अपनाया।

- ई - अदायगी
- ई - नीलामी
- ई - सामान प्राप्ति

सी.बी.आई. के साथ निकट संपर्क स्थापित किया गया। लम्बित मामलों पर समय-समय विचार किया गया तथा सीबाआई के साथ पूरा सहयोग किया गया। इस्पात मंत्रालय, सी.वी.सी., सी.बी.आई. तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग को सभी सावधिक प्रतिवेदन/सांख्यिकीय रिपोर्ट समय पर भेजी गयी।

एन एम डी सी

वर्ष के दौरान एनएमडीसी अनुशासनिक मामलों की प्रगति के अनुवीक्षण के लिए निर्देशक (उत्पादन) की अध्यक्षता में एक सतर्कता समिति का गठन किया गया है।

अधिकारियों, विक्रेताओं, उपभोक्ताओं और सामान्य जन की शिकायतों पर संबंधित अर्थो रिटी द्वारा समय से ध्यान दिलाने के लिए चीफ सतर्कता आफिसर, एनएमडीसी को 'नोडल अर्थो रिटीज' के रूप में नामित किया गया है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंग के रूप में हेड ऑफिस में एक 'वेंडर्स एण्ड कांटेक्टर्स' बैठक का आयोजन किया गया। इसके दौरान जो सुझाव मिले उनके क्रियान्वयन के लिए, जहां संभव हो, प्रयास किए जा रहे हैं।

एम ओ आई एल

कंपनी सतर्कता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से विभिन्न उपाय कर रही है। निगमित स्तर पर प्रतिरोधी सतर्कता की रूपरेखा तैयार की जा रही है तथा सीवीसी/प्रशासकीय मंत्रालय द्वारा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार उचित कार्रवाई की जा रही है। कंपनी अपने कर्मचारियों में उच्चतम नि-ठा तथा ईमानदारी कूट-कूट कर भरने के लिए हर प्रयास कर रही है।

के आई ओ सी एल

आलोच्य वर्ष में सतर्कता विभाग द्वारा कंपनी की विपणन गतिविधियों पर गहरी नजर रखने के लिए समन्वित प्रयास किये गए। सतर्कता अधिकारियों द्वारा बंगलूर, मंगलूर और कुद्रेमुख में अकस्मात व नियमित जांच के अतिरिक्त वर्तमान प्रणालियों की समीक्षा की गयी। सुधारों से संबंधित सुझाव दिए गए और इनमें से कुछ सुझावों को कार्यान्वित भी किया गया है।

विपणन के क्षेत्र में सतर्कता पर विशेष-ध्यान केन्द्रित करने के अतिरिक्त, केआईओसीएल में चालू वर्ष के दौरान जिन अन्य क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया, वे हैं :

- माल-सूची आयोजन व सामान की प्राप्ति
- कार्य के पश्चात स्वीकृति प्राप्ति
- रखरखाव ठेके
- स्क्रेप तथा फालतू मदों के निपटान की प्रक्रियाएँ
- नई परियोजनाएँ
- नित उपयोग में आने वाले सामान को जारी करने की प्रक्रिया, और
- सामान्य प्रशासन

इनमें से कुछ क्षेत्रों में विशेष-रूप से निविदा आमंत्रण व माल प्राप्ति के क्षेत्रों में अचानक जांच और नियमित जांच से प्रक्रियाओं में सुधार की सिफारिश की गयी है। दिसम्बर, 2005 तक 95 सावधि जांच, 77 अकस्मात जांच तथा 133 रिकार्डों की जांच की गयीं।

सीवीसी के सीटीई (मुख्य तकनीकी परीक्षक) द्वारा बताए अनुसार ठेकों/निविदाओं के परीक्षण और जांच का कार्य जोर-शोर से हाथ में लिया गया। सभी स्थानों पर माह में कम से कम एक बार सीटीई किस्म की जांच की जा रही है। 14 प्रमुख कार्यों से संबंधित जांच की गईं और सुधारों के सुझाव प्राप्त हुए।

सीवीसी के परिपत्र के अनुरूप यह सुनिश्चित किया गया है कि 15 लाख रुपये से अधिक मूल्य की निविदाओं/ठेकों को हर माह नियमित रूप से वेबसाइट पर डाला जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ाई बरती जा रही है। ई-प्राप्ति, निविदा आमंत्रण, व्यापारिक गतिविधियों आदि में कंप्यूटरों का प्रयोग लगातार बढ़ाया जा रहा है। कच्चा माल और नित उपयोग होने वाले पदार्थों, जैसे रसायन की खरीददारी ई-खरीददारी/विपसित नीलामी प्रणाली के आधार पर की जा रही है। सामान, उत्पादों, सेवाओं आदि के लिए सभी प्रमुख निविदाएं अधिक पारदर्शिता तथा और अधिक पहुंच के लिए कंपनी की वेबसाइट पर डाली जा रही हैं। ये समाचार पत्रों एवं राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त हैं।

दिसम्बर, 2005 तक संवेदनशील स्थलों में पदाधिकारियों की अदला-बदली योजना के अंतर्गत 38 पदों के अधिकारियों की बदली की गयी। प्रशासन, सिविल कार्य, वाणिज्य, निविदा, वित्त एवं लेखा, जांच, सामान, चिकित्सा कक्ष, खरीद, जहाजरानी, भण्डारण आदि में संवेदनशील पदों का पता लगाया गया है। संवेदनशील पदों का पता लगाना उनका मूल्यांकन एक सतत् प्रक्रिया है। पद की संवेदनशीलता समय के अनुसार होती है। जहां भी सूचना प्रौद्योगिकी का कारोबार (जैसे निविदा, ठेके, जांच आदि) पर प्रभाव पड़ता है, उस पद पर की संवेदनशीलता काफी कम होती जाती है। सतर्कता विभाग की कार्मिक विभाग से संगठन में संवेदनशील पदों की सूची के बारे में समय-समय पर बात होती रहती है।

वर्ष के लिए प्राप्त परिसंपत्ति विवरण की जांच का 20 प्रतिशत कार्य पूरा किया गया और शेष पर कार्य जारी है। वर्ष 2005-06 के लिए परिसंपत्ति विवरण के लिए संशोधित फार्म लागू किया गया है।

सी.वी.सी. दिशानिर्देशों के अनुसार 07 से 11 नवंबर, 2005 तक सतर्कता चेतना सप्ताह मनाया गया। बंगलूर तथा मंगलूर व कुद्रेमुख यूनिटों में कार्यशालाएं और गोष्ठियां आयोजित की गयीं। सतर्कता वि-य पर विख्यात व्यक्तियों के भा-ण हुए जिनमें प्रबन्धन व समाज में सतर्कता के महत्व पर प्रकाश डाला गया। मंगलूर और बंगलूर में खरीदार/स्टॉकहोल्डरों की बैठकों का आयोजन किया गया। इन विचार-विमर्श से दोनों पक्षों को लाभ हुआ।



परिवेदना निवारण तंत्र

इस्पात मंत्रालय परिवेदना कक्ष

इस्पात मंत्री का परिवेदना केन्द्र इस्पात मंत्रालय में जुलाई, २००४ से कार्य कर रहा है। यह कक्ष जन-साधारण तथा उपभोक्ताओं की इस्पात तथा इस्पात उत्पादों से संबंधित शिकायतों/ परिवेदनाओं/सुझावों के समन्वयन व उन पर कार्रवाई में ताल-मेल बैटाने का कार्य करता है। कक्ष ऐसी सभी शिकायतों/सुझावों/परिवेदनाओं पर कार्य करता है जो इस्पात मंत्री के कार्यालय में या सीधे इस कक्ष के पास भेजी जाती हैं।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल के संयंत्रों और इकाइयों में कार्यपालकों और गैर-कार्यपालकों के लिए पृथक प्रभावी आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। शिकायत पद्धति सतत् रूप से विचार-विमर्श और कर्मचारियों की ट्रेड यूनियनों और एसोसिएशनों की सहमति के बाद तैयार की गयी है।

सेल के संयंत्रों/इकाइयों में शिकायतें तीन चरणों में निपटाई जाती हैं और अनियमितताओं, कार्यशर्तों, स्थानांतरण, छुट्टी, सौंपे गये कार्यों और कल्याण सुविधाओं आदि से संबंधित उठाई गयी शिकायतों के लिए प्रत्येक चरण पर कर्मचारियों को अवसर दिया जाता है। शिकायत प्रबन्धन की समय-परीक्षित प्रणाली के जरिए इस प्रकार के मुद्दों का प्रभावी ढंग से निपटान किया जाता है। तथापि संयंत्रों में विद्यमान भागीदारी स्वरूप के परिवेश को ध्यान में रखते हुए अधिकांश शिकायतों का समाधान अनौपचारिक रूप से किया जाता है। यह प्रणाली विस्तृत, सरल और उदार है तथा कर्मचारियों एवं प्रबंधन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने में प्रभावी सिद्ध हुई है

01.04.2005 से 30.11.2005 के बीच जन-शिकायत/कर्मचारी शिकायत की प्रस्थिति -

बकाया परिवेदनाओं की संख्या 1.4.2005 तक	इस अवधि के दौरान प्राप्त परिवेदनाओं की संख्या	निपटारा हुए मामलों की संख्या	लंबित मामलों की संख्या 30.11.2005 तक
76	1649	1702	23

एन एम डी सी

एनएमडीसी मुख्यालय में अतिरिक्त महा प्रबन्धक और चारों उत्पादन परियोजनाओं में प्रमुख शिकायत निवारण तंत्र के अध्यक्ष हैं। यह तंत्र संतो-जनक ढंग से काम कर रहा है। शिकायतों की संख्या काफी कम है और इस कारण इनका कम्प्यूट्राइजेशन नहीं हो पाया है। जन-संपर्क की कोई समय सीमा आदि निर्धारित नहीं की गयी है। जब कोई लोक शिकायत (प्रेस सहित) प्राप्त होती है, उसका तत्परता से निपटारा किया जाता है। कर्मचारी/जन-शिकायत की मासिक एवं त्रैमासिक रिपोर्ट, मंत्रालय को भेज दी गयी है।

01.04.2005 से 31.12.2005 के बीच जन-शिकायत/कर्मचारी शिकायत की प्रस्थिति -

क्र.सं.	संस्थान का नाम/पीएसयू	बकाया परिवेदनाओं की संख्या 1.4.2005 तक	इस अवधि के दौरान प्राप्त परिवेदनाओं की संख्या	निपटारा हुए मामलों की संख्या	लंबित मामलों की संख्या 31.12.2005 तक
1.	एनएमडीसी (लोक परिवेदना)	2	-	-	2
2.	एनएमडीसी (कर्मचारी परिवेदना)	3	-	2	1

एम ओ आई एल (मॉडल)

मॉडल की अपने कर्मचारियों और अधिकारियों की शिकायतों के निपटान की अपनी प्रक्रिया है।

मोडल की शिकायत निपटान प्रणाली में इस कार्य के लिए नामित हर यूनिट में एक अधिकारी होता है। मुख्यालय के लिए नामित प्रतिवेदना निवारण अधिकारी यूनिटों के प्रतिवेदना निवारण अधिकारियों की गतिविधियों का बेहतर नि-पादन के लिए समन्वय करता है।

सभी प्रतिवेदना निवारण अधिकारियों को अपने पास आई शिकायतों के निपटान के तौर-तरीके की जानकारी दी गयी है। ये तौर-तरीके भूत में विभिन्न अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों पर आधारित हैं।

एफ एस एन एल

एफएसएनएल एकीकृत इस्पात कारखानों को स्क्रेप वसूली और प्रोसेसिंग गतिविधियों के लिए विशेष-सेवाएं प्रदान करता है। अतः कंपनी का जन-साधारण के साथ सीधे संपर्क नहीं है। फिर भी, यदि जनता से कोई शिकायत मिलती है तो उसका तुरन्त निवारण किया जाता है।

कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रतिवेदना निवारण योजना उपलब्ध है जिसके अंतर्गत व्यक्ति विशेष-की पूर्ण संतुष्टि सहित निर्धारित समय में प्रतिवेदना निवारण किया जाता है।

वार्षिक रिपोर्ट : 2005-2006

01.04.2005 से 31.12.2005 के बीच जन-शिकायत/कर्मचारी शिकायत की प्रस्थिति -

क्र.सं.	संस्थान का नाम/पीएसयू	बकाया परिवेदनाओं की संख्या 1.4.2005 तक	इस अवधि के दौरान प्राप्त परिवेदनाओं की संख्या	निपटारा हुए मामलों की संख्या	लंबित मामलों की संख्या
जनता की शिकायतें					
1.	फ़ैरो स्क्रेप निगम लि.	निल	निल	निल	निल कर्मचारियों
से प्राप्त शिकायतें					
1.	फ़ैरो स्क्रेप निगम लि.	2	2	-	4

एम एस टी सी

आम लोगों की शिकायतों तथा कर्मचारियों की शिकायतों को देखने के लिए एक लोक-शिकायत एकक बनाया गया है। एमएसटीसी के सभी कार्यालयों में इस एकक के गठन के संबंध में व्यापक प्रचार किया गया है। प्राप्त शिकायतों की, संबंधित विभागाध्यक्ष और यदि शिकायत सामूहिक स्वरूप की है तो कभी-कभी कर्मचारी यूनियन के परामर्श से इस एकक में जांच की जाती है। चूंकि एमएसटीसी एक बहुत ही छोटा संगठन है जिसके प्रत्येक विभाग/कार्यालय में अधिकतम 20 से 30 कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की विभागाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तक सीधे पहुंच है। इसीलिए औपचारिक कर्मचारी शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की कोई जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार, कार्यस्थल पर औरतों के यौन शो-ण से बचाव हेतु एक समिति गठित की गयी है।

01.04.2005 से 31.12.2005 के हण्डर जन-शिकायत/कर्मचारी शिकायत की प्रस्थिति -

क्र.सं.	संस्थान का नाम/पीएसयू	बकाया परिवेदनाओं की संख्या 1.4.2005 तक	इस अवधि के दौरान प्राप्त परिवेदनाओं की संख्या	निपटारा हुए मामलों की संख्या	लंबित मामलों की संख्या 31.3.05
जनता की शिकायतें					
1.	एमएसटीसी लिमिटेड	निल	निल	निल	निल
से प्राप्त शिकायतें					
1.	एमएसटीसी लिमिटेड	निल	निल	निल	निल

के आई ओ सी एल

केआईओसीएल में मार्च, 1977 के अनुशासन संहिता के अधीन प्रतिवेदना निवारण की स्प-ट प्रक्रिया है, जो कार्यपालकों तथा गैर-कार्यपालकों दोनों पर लागू है। आरंभ से ही यह योजना संतो-जनक रूप से कार्य कर रही है और मान्यता प्राप्त मजदूर संघों या कार्यपालक एसोसिएशन, किसी भी पक्ष से, इसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली है। संगठन में कार्मियों की संख्या सीमित होने के कारण शिकायतों की पहचान आसानी से हो जाती है तथा उत्पत्ति के स्थान पर ही उनका निवारण किया जा सकता है।

जब भी कंपनी को लिखित में जनता से कोई शिकायत मिलती है, उसकी तुरन्त स्वीकृति की जाती है और शिकायत की ध्यान से जांच की जाती है तथा तुरन्त कार्रवाई के लिए उसका विश्ले-ण किया जाता है। जनता/कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए दो निदेशक तथा दो महा प्रबन्धक परिवेदना निवारण निदेशक बनाए गए हैं।

01.04.2005 से 31.12.2005 के बीच कर्मचारी शिकायत की प्रस्थिति -

क्र.सं.	संस्थान का नाम	बकाया परिवेदनाओं की संख्या 1.4.2004 तक	इस अवधि के दौरान प्राप्त परिवेदनाओं की संख्या	निपटारा हुए मामलों की संख्या	लंबित मामलों की संख्या 31.12.2005 तक
1.	कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड	Nil	15	12	3

01.04.2005 से 31.12.2005 के बीच जन-शिकायत की प्रस्थिति -

क्र.सं.	संस्थान का नाम	बकाया परिवेदनाओं की संख्या 1.4.2004 तक	इस अवधि के दौरान प्राप्त परिवेदनाओं की संख्या	निपटारा हुए मामलों की संख्या	लंबित मामलों की संख्या 31.12.2005 तक
1.	कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड	1	12	12	1



निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का कार्यान्वयन

इस्पात मंत्रालय तथा इसके अधीन सभी उपक्रम निःशक्त व्यक्तियों द्वारा अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने से संबंधित सरकारी नियमों को पूर्णता कार्यान्वित कर रहे हैं।

वर्ष 2004-05 में निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन की स्थिति
(31.12.2005 को)

संगठन का नाम : इस्पात मंत्रालय

कर्मचारियों की संख्या		निःशक्त व्यक्तियों की संख्या			योग (बीएल+ एचआई+ एलडी)	निःशक्त व्यक्तियों का % (कॉलम 3 एवं कॉलम 1)	यदि कॉलम 4 में आंकड़ा 3% से कम है, तो कारण	खाली पदों को भरने के लिए की गयी कार्रवाई	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
समूह	संख्या	बीएल	एचआई	एलडी					
ए	37	-	-	-	-	-	-	-	
बी	103	-	-	-	-	-	-	-	
सी	58	-	1	1	2	3.85	-	-	
डी	70	-	-	1	1	1.49	फीडर श्रेणी में उपयुक्त उम्मीदवारों का न होना	-	

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

निःशक्तता वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व (1.1.2005)

समूह	कर्मचारियों की संख्या	निःशक्त व्यक्तियों की संख्या			योग वीएच+ एचएच+ ओएच	निःशक्त व्यक्तियों का प्रतिशत
		वीएच	एचएच	ओएच		
ए	15526	8	6	34	48	0.31
बी	44632	9	66	303	378	0.85
सी (सफाई कर्मियों को छोड़ कर)	83517	28	70	496	549	0.71
सी (केवल सफाई कर्मी)	1585	0	2	2	4	0.25
कुल	145260	45	144	835	1024	0.70

एन एम डी सी

वर्ष 2005-2006 (अप्रैल - दिसम्बर, 2005) में निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का कार्यान्वयन

कर्मचारियों की संख्या	निःशक्त व्यक्तियों की संख्या			योग (बीएल+ एचआई+ एलडी)	निःशक्त व्यक्तियों का % (कॉलम 3 एवं कॉलम 1)	यदि कॉलम 4 में आंकड़ा 3% से कम है, तो कारण	खाली पदों को भरने के लिए की गयी कार्रवाई
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)
समूह	बीएल	एलआई	एलडी				
ए 928	-	-	2	1+2+31	0.62%	एनएमडीसी एक खनन कंपनी है और उस पर खनन अधिनियम के प्रावधान व नियम लागू होते हैं। अतः सुरक्षा कारणों से विकलांग व्यक्तियों को उन पदों पर नहीं रखा जा सकता जिन पर खान/कारखाने में कार्य करना हो।	एनएमडीसी में इस समय 34 निःशक्त कर्मी हैं। जब कभी भवि-य में भर्तियाँ होती हैं तो शारीरिक रूप से अपंग भर्ती के प्रयास किए जाएंगे।
बी 1070	-	-	10				
सी 2468	1	2	15				
डी 1011	-	-	4				
5477	1	2	31	34	0.62%		


संकेतांक: बीएल - अंधता एवं कम दृष्टि, एचआई - बधिरता।

एलडी - गति वि-यक अपंगत अथवा प्रमत्तिकीय पक्षाघात।

* निःशक्तता से प्रभावित व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत से कम नहीं, जिसमें 1 प्रतिशत प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो अंधापन और अल्प दृष्टि से प्रभावित हो (ii) सुनने में अपंगता (iii) लोकोमीटर या सेरेब्रल पाल्सी।

मॉयल

समूह	31.3.2005 तक नियोक्ताओं की कुल संख्या	पदों की संख्या की पहचान की गयी व्यक्तियों की जहां शारीरिक रूप से अपंग लोगों की भर्ती की जा सकती है।	निःशक्त व्यक्तियों की संख्या बीएल एचआई एलडी	कॉलम के संदर्भ में प्रतिशत	यदि कॉलम 4 में आंकड़ा 3% से कम है, तो इसका कारण	खाली पदों को भरने के लिए की गयी कार्रवाई
1	2	3	4	5	6	7
ए	188	30	--		(*)	(*)
बी	198	85	--			
सी	1373	260	8	3.07%		
डी	5392	95	7	8.42%		
कुल	7151	460	15	3.47%		



* चूँकि मैग्नीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड खनन कंपनी है और इसके प्रमुख कार्य दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित भूमिगत खानों में किए जाते हैं, अतः खान अधिनियम और धात्विक लौह खनिज विनियम के अंतर्गत साविधिक प्रतिबंधों के कारण तथा सुरक्षा की दृष्टि से खानों में कठोर प्रवृत्ति के कार्यों पर निःशक्त व्यक्तियों को तैनात नहीं किया जा सकता है। पिछले 10 व-नों में पहचान किए गए पदों पर कोई सीधी भर्ती नहीं की गयी। तथापि जब भी इन अभिज्ञात संवर्गों में रिक्ति होगी, विकलांगों के लिए आरक्षित रिक्तियों के संबंध में ध्यान रखा जाएगा।

एम एस टी सी

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन

वर्ष 2005-2006 में (31 दिसम्बर, 2005 को) निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की स्थिति :

कर्मचारियों की संख्या	निःशक्त व्यक्तियों की संख्या		योग बीएल+ एचआई+एलडी एवं कॉलम1)	निःशक्त व्यक्तियों का % (कॉलम 3 से कम है, तो इसका कारण	यदि कॉलम 4 में आंकड़ा 3% गयी कार्रवाई	खाली पदों को भरने के लिए की
1	2		3	4	5	6
समूह	एचआई	एलडी				
ए	139	1	2	3	2.15	
बी	114	1	2	3	2.63	*
सी	32	-	1	1	3.12	
डी	19	1	-	1	5.26	
कुल	304	3	5	8	2.63	

* समूह में कोई भर्ती नहीं की गयी है।

संकेतांक : बीएल : अंधता एवं कम दृष्टि एचआई : बधिरता

के आई ओ सी एल

निःशक्त व्यक्ति के लिए समान अवसर, अधिकार सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की स्थिति:

अप्रैल, 1976 में केआईओसीएल के गठन के पश्चात से शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों की भर्ती के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। निर्देशों के अनुरूप निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत नीचे दिया गया है :

नेत्रहीन	- 1%
बधिर	- 1%
हड्डी रोगी	- 1%

कंपनी के पदों के विभिन्न समूहों में शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों का विवरण इस प्रकार है :

कर्मचारियों की संख्या	निःशक्त व्यक्तियों की संख्या			योग (बीएल+ एचआई+ एलडी)	निःशक्त व्यक्तियों का % (कॉलम3 एवं कॉलम 1)	यदि कॉलम 4 में आंकड़ा 3% से कम है, तो इसका कारण	कमी पूरी करने के लिए किए गए उपाय	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7
समूह	बीएल	एचआई	एलडी					
ए	438	1	-	2	3	0.68	अनुलग्नक-1 में बताया गया है।	
बी	183	-	-	8	8	4.37		
सी	1129	1	4	9	14	1.23	अनुलग्नक-1 में बताया गया है।	
डी	154	-	3	1	4	2.59		
कुल	1904	2	7	20	29	1.52		

वार्षिक रिपोर्ट : 2005-2006

संकेतांक : बीएल : अंधता एवं कम दृष्टि एचआई : बधिरता एलडी - गति वि-यक अपंगता अथवा प्रमत्तिकीय पक्षाघात ।

* निःशक्त व्यक्तियों का प्रतिशत 3 से कम नहीं, निम्न के लिए 1% आरक्षण

i) अंधता एवं कम दृष्टि । ii) बधिरता iii) गति वि-यक अपंगता अथवा प्रमत्तिकीय पक्षाघात ।

केआईओसीएल अपने सभी कार्य-कलापों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सुविधाएं विशेषकर जहां विकलांग काम करते हैं, उपलब्ध कराता है और सुनिश्चित करता है कि विकलांगता किसी भी प्रकार काम में आड़े नहीं आए ।

पहचान किए गए पदों पर शारीरिक विकलांगता के कारण भर्ती व पदोन्नति के समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है ।



हिन्दी का प्रगामी उपयोग

इस्पात मंत्रालय

राजभा-आ विभाग गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए वार्षिक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इस्पात मंत्रालय ने व-र्ष 2005-06 के दौरान सरकारी कार्य में हिन्दी का और अधिक प्रयोग करने के प्रयास जारी रखे ।



माननीय रसायन एवं उर्वरक और इस्पात मंत्री श्री राम विलास पासवान, हिन्दी सलाहकार समिति की अध्यक्षता करते हुए।

मंत्रालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्य संयुक्त सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण में है और निदेशक स्तर का अधिकारी इसकी देखभाल करता है। हिन्दी अनुभाग में एक वरिष्ठ अनुवादक, तीन कनिष्ठ अनुवादक और एक अपर श्रेणी लिपिक है ।

राजभा-आ कार्यान्वयन समिति

मंत्रालय में संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक राजभा-आ कार्यान्वयन समिति है । यह समिति मंत्रालय तथा इसके अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करती है । समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं । 31 दिसम्बर, 2005 तक इस समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं ।

हिन्दी सलाहकार समिति

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन 30.11.2004 को इस्पात मंत्री की अध्यक्षता में किया गया था । व-र्ष के दौरान समिति की 11 अप्रैल और 22 सितंबर, 2005 को बैठक आयोजित की गई। आगामी बैठक 14 जनवरी, 2006 को हुई।

राजभा-आ अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) का कार्यान्वयन

भारत सरकार की राजभा-आ नीति के अनुसरण में राजभा-आ अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भा-आओं में तैयार किए जाते हैं । राजभा-आ नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और 'क' 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों को हिन्दी में पत्र भेजना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में जाम-बिन्दु बनाए गए हैं ।

राजभा-ना शील्ड/ट्रॉफी

इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन उपक्रमों और कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा एक इस्पात राजभा-ना शील्ड (प्रथम पुरस्कार) तथा एक इस्पात राजभा-ना ट्रॉफी (द्वितीय पुरस्कार) और एक इस्पात राजभा-ना ट्रॉफी (तृतीय पुरस्कार) प्रदान की जाती है।

‘ग’ क्षेत्र में स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पृथक से एक शील्ड प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष हिन्दी में किए गए कार्य के वार्षिक नि-पादन के आधार पर कार्यालय/उपक्रमों को दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रालय में हिन्दी में सर्वश्रे-ठ कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को पदक से सम्मानित किया जाता है।

मूल कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना

मूल कार्य हिन्दी में करने पर राजभा-ना विभाग द्वारा लागू की गयी नकद प्रोत्साहन योजना मंत्रालय में भी चलायी जा रही है।

हिन्दी में श्रुतलेख नकद पुरस्कार योजना

मंत्रालय में अधिकारियों द्वारा हिन्दी में श्रुतलेख देने संबंधी एक प्रोत्साहन योजना चल रही है।

हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने पर पुरस्कार

इस्पात उद्योग तथा इससे संबंधित वि-यों पर हिन्दी में तकनीकी पुस्तकें लिखने के लिए नकद पुरस्कार देने की भी एक योजना इस मंत्रालय में चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों के लिए पुरस्कार की राशि क्रमशः 15,000/-, 10,000/- और 7,500/- रुपये है। परन्तु वित्त वर्ष 2005-06 से प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कारों की राशि बढ़ाकर 20,000/- रुपये, 16,000/- रुपये और 10,000/- रुपये की गयी है।

हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा

मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी काम में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 14 सितम्बर, 2005 को माननीय राज्यमंत्री ने एक अपील जारी की। 01 सितम्बर से 15 सितम्बर तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएं और हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गयीं।

हिन्दी/हिन्दी टाइपराइटिंग/हिन्दी स्टेनोग्राफी में प्रशिक्षण

जिन कर्मियों के लिए सेवा में प्रशिक्षण आवश्यक है, हिन्दी/हिन्दी टाइपिंग/हिन्दी स्टेनोग्राफी में प्रशिक्षण की एक योजना तैयार की गयी है। कुल 173 अधिकारियों और कर्मचारियों (“घ” श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर) में से 172 को हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान है। जहां तक हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी स्टेनोग्राफी का प्रश्न है, 27 लोअर डिवीजन कलर्क और 33 स्टेनोग्राफरों में से 14 लोअर डिवीजन कलर्कों तथा 27 स्टेनोग्राफरों को क्रमशः हिन्दी टाइपिंग और स्टेनोग्राफी का ज्ञान है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

कंपनी भारत सरकार की राजभा-ना नीति को कार्यान्वित करने का प्रयास करती रही है। कंपनी को सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए चार प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और कंपनी की हिन्दी गृह पत्रिका (इस्पात भा-ना भारती) को इस्पात मंत्रालय द्वारा गठित नगर राजभा-ना कार्यान्वयन समिति द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया है।

एन एम डी सी

वर्ष 2005-06 के दौरान कंपनी ने अपनी सभी उत्पादन यूनिटों तथा मुख्यालय में राजभा-ना के प्रसार के प्रयास जारी रखे। तकनीकी क्षेत्र में राजभा-ना के प्रयोग हेतु सफल प्रयास किए गए। आलोच्य वर्ष में तकनीकी/व्यावसायिक राजभा-ना गोष्ठियों का आयोजन किया गया। हिन्दी में गृह पत्रिकाओं के अलावा राजभा-ना विशेष-प्रकाशन तथा तकनीकी पुस्तिकाओं का भी प्रकाशन किया गया।



नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (इन्टरप्राइजेज), दिल्ली द्वारा सेल प्रथम पुरस्कार से सम्मानित।



एनएमडीसी को कई बार हिंदी को कार्यालय की भा-ना के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्र के सबसे बड़े इंदिरा गांधी अवार्ड से नवाजा जा चुका है इसे नौ बार यह पुरस्कार मिल चुका है इस्पात मंत्रालय भी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए एनएमडीसी को नौ बार प्रथम पुरस्कार दे चुका है । एनएमडीसी को 2003-04 में राजभा-ना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए 14.09.2005 को पुरस्कार प्रदान किया गया ।

कर्मचारियों को हिंदी भा-ना का प्रशिक्षण दिया जाता है और 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी कार्यालय भा-ना के रूप में हिंदी का प्रयोग करना सीख गए हैं । कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों में यूनिट कार्यालयों में हिंदी के प्रति जागरूकता लाने के लिए आलोच्य वर्ग में (अप्रैल - दिसम्बर, 2005) “हिंदी दिवस”, “आर बी सप्ताह”, “आर बी पखवाड़ा” और “आर बी माह” आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ।

एम ओ आई एल (मॉयल)

निगमित कार्यालय में कार्यरत हिंदी कक्ष ने प्रभावी उपाय किए हैं । प्रतिवर्ग हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया जाता है । ऐसे कर्मियों के लिए जो हिंदी में निपुण नहीं हैं, हिंदी की पढ़ाई करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं । कंपनी द्वारा लगातार 10 वर्ग तक चल वैजयन्ती प्राप्त करने पर उसे स्थायी रूप से यह प्रदान कर दी गयी है । कंपनी को शस्त्राब्दी शील्ड भी प्राप्त हुई है । कंपनी को वर्ग 2001-02 तथा 2002-03 के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया “इंदिरा गांधी राजभा-ना पुरस्कार” भी मिला है । कंपनी ने हिंदी के प्रसार के लिए केवल हिंदी में गृह पत्रिका, संकल्प का प्रकाशन भी शुरू किया है ।

एफ एस एन एल

कंपनी ने सरकारी भा-ना नीति के कार्यान्वयन पर सरकार के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया है । कंपनी में हिंदी दिवस मनाया जाता है तथा हिंदी लेख, हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता, हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं । हिंदी में टिप्पणी लिखने तथा हिंदी टाइपिंग के लिए भी वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं ।

के आई ओ सी एल

कंपनी सरकारी भा-ना हिंदी के निरंतर प्रयोग के संबंध में राजभा-ना विभाग, गृह मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करती है ।

कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । सरकार के निर्देशों के अनुरूप नकद पुरस्कार और वेतन वृद्धि दी जाती है । जागरूकता बढ़ाने, ज्ञान प्रसार तथा कर्मचारियों को अपना सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हिंदी कार्यशालाएं व ज्ञानवर्धक कार्यक्रम चलाए जाते हैं । हिंदी में सरकारी कार्य करने वाले कर्मियों को नकद पुरस्कार दिए जाते हैं।

सभी लेखन सामग्री, कंपनी के नामपट्ट द्विभा-नी हैं । वार्षिक प्रतिवदेन, समझौता ज्ञापन, गृह पत्रिका, कर्मचारी पेंशन योजना, मैनुअल आदि हिंदी में भी प्रकाशित किए गए हैं । सभी विभागों के कम्प्यूटर्स में हिंदी के ‘सॉफ्टवेयर’ उपलब्ध कराए गए हैं ।

राजभा-ना कार्यान्वयन समितियों की नियमित बैठक होती है और इन बैठकों में पूर्व तिमाही में की गयी प्रगति की समीक्षा की जाती है । कंपनी राजभा-ना कार्यान्वयन समिति की बैठक में पूरे जोर-शोर से भाग लेती है । आलोच्य वर्ग में बंगलूर में सभी केन्द्रीय और सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों के लिए दो हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी । इन प्रतियोगिताओं में 45 से अधिक कार्यालयों ने भाग लिया ।

कंपनी की सभी यूनिटों में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया । अनेक कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए ।

आलोच्य वर्ग में कर्मचारियों को अपना सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 6 कार्यशालाएं आयोजित की गयीं।

माननीय इस्पात, रसायन तथा उर्वरक मंत्री की अध्यक्षता में 22 सितंबर, 2005 को बंगलूर में हिंदी परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गयी। कंपनी को बैठक के लिए व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया ।

गृह मंत्रालय, राजभा-ना विभाग, भारत सरकार ने कंपनी की सेवाएं और शक्ति पहचानी है और इसे बंगलूर में राजभा-ना कार्यान्वयन समिति की गतिविधियों के संचालन का उत्तरदायित्व सौंपा है । अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, बंगलूर नगर राजभा-ना कार्यान्वयन समिति (उपक्रमों) के अध्यक्ष भी हैं।

एस आई आई एल

01 अप्रैल, 2005 से आज तक की अवधि में धारा 3 (3) का शत-प्रतिशत पालन किया गया तथा 144 दस्तावेज द्विभा-नी रूप में जारी किए गए। “हिंदी पत्रादि, तिमाही, हिंदी शब्द सीखिए, टिप्पणी व लेख लिखने संबंधित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हिंदी के प्रसार के लिए प्रयास जारी रहे।”

वार्षिक रिपोर्ट : 2005-2006

14 सितंबर को “हिंदी दिवस” मनाया गया और विजेताओं को विभिन्न प्रतियोगिताओं में 54 पुरस्कार दिए गए। आलोच्य वर्ग में राजभा-ना कार्यान्वयन समिति की चार बैठक हुईं । कौमी एकता दिवस, सुरक्षा दिवस, आतंक विरोधी दिवस, और सतर्कता चेतना सप्ताह के दौरान हिंदी में शपथ ली गयीं। हिंदी में प्रवीणता व कामकाजी ज्ञान वाले कर्मचारियों को सरकारी टिप्पणियाँ हिंदी में लिखने की सलाह दी गयी । 163 फाइलों पर वि-य द्विभाषी किए गए। हिंदी कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए सक्षम अधिकारी ने विभिन्न अनुभागों की जांच की ।



महिला सशक्तिकरण

उच्चतम् न्यायालय ने अगस्त, 1997 में विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान तथा अन्य के मामले में अपने निर्णय में कार्य में महिलाओं को बराबरी के दर्जे का उल्लेख करते हुए निर्णय दिया कि कार्य स्थल में यौन शो-गण महिलाओं की मर्यादा के विरुद्ध है और भारतीय संविधान की धारा 14, 15(1) तथा 21 का उल्लंघन करता है। उच्चतम् न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप सभी रोजगारदाताओं को, चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र में हों, अथवा निजी क्षेत्र में, यौन शो-गण रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए। शिकायतों की सुनवाई के लिए व्यवस्था के अंग के रूप में सभी संगठनों में शिकायत समिति गठित की जाए जिसमें तीसरे पक्ष का प्रतिनिधित्व हो तथा जिसकी अध्यक्षता कोई महिला हो, और जिसके कम से कम आधे सदस्य महिला हों।

उच्चतम् न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुपालन की दृष्टि से इस्पात मंत्रालय ने कार्य स्थल पर यौन शो-गण के संबंधित शिकायतों की सुनवाई के लिए पांच-सदस्यीय समिति का गठन किया है जिसमें तीन सदस्य महिलाएं और अध्यक्ष एक महिला अधिकारी हैं। इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को उच्चतम् न्यायालय के दिशानिर्देश लागू करने का निर्देश दिया गया है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल में लगभग 8500 महिलाएं हैं जो तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्रों में कार्य करती हैं तथा कुल कर्मचारियों का 6 प्रतिशत है। कम्पनी में सभी स्तरों पर चयन, भर्ती, नियुक्ति अथवा पदोन्नती के लिए दोनों लिंगों को समान अवसर प्राप्त है। लिंग भेद के बिना सभी कर्मचारियों को रोजगार में आगे बढ़ने के लिए समान अवसर सेल की व्यावसायिक विकास नीति का महत्वपूर्ण भाग है। वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की बढ़ती हुई संख्या यह बताती है कि कुछ वर्षों में महिलाएं सेल में उच्च पदों पर आसीन होंगी। कम्पनी की प्रशिक्षण नीति के अन्तर्गत सभी कर्मचारियों की, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अन्यवेषण के बाद प्रशिक्षण व विकास कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। महिला कर्मियों के सभी



इनकी मुस्कराहट ही सब कुछ बयां करती है— सेल खान में महिला कामगारों का एक समूह।

क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त तकनीकी प्रबन्धकीय प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे उनके कौशल का विकास हो और वे प्रगति कर सकें।

सेल ने कम्पनी के प्रत्येक कारखाने और यूनिट में यौन शो-गण पर समिति गठित करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। इसमें एनजीओ को प्रतिनिधित्व दिया गया है। महिलाओं के लिए क्रेच, पृथक बाथरूम कैन्टीन आदि की व्यवस्था की जाती है। महिलाओं के लिए प्रसव छुट्टी मातृत्व छुट्टी आदि महिला कर्मचारियों के प्रति कम्पनी द्वारा सांवैधानिक उत्तरदायित्व निभाने के द्योतक हैं।

सेल ने समाज में महिलाओं के वृहद लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों अनेक उपाय किए हैं। ये गतिविधियां लड़कियों के लिए साक्षरता कार्यक्रम से स्वास्थ्य परिवार नियोजन, प्रसव पश्चात् सेवाओं को लेकर स्वास्थ्य शिविरों तथा एड्स नियंत्रण पर सूचनाप्रद कार्यक्रमों तक हैं। सेल के कारखानों और यूनिटों में जागरूकता फैलाने के कार्य में महिला समितियां भी लगीं हैं। ये बाल-श्रम/दहेज, महिला शो-गण, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वयं रोजगार दिलाने, शिक्षा तथा जन-चेतना कार्यक्रमों में योग दे रही हैं।

आर आई एन एल

वर्ष 2004-05 और 2005-06 में (1 अप्रैल 2005 से 31.12.2005 तक) महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए कुछ उपायों पर नीचे प्रकाश डाला गया है :

- तीन महिला कर्मचारियों को मार्च 2004 से जून 2004 तक नई दिल्ली में स्प्रिंग बोर्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नई दिल्ली भेजा गया। यह स्कोप द्वारा चलाया गया महिला विकास कार्यक्रम है।
- 25 महिला कर्मचारियों ने स्प्रिंग बोर्ड प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह कार्यक्रम वी.एस.पी. के मानव संसाधन विकास केन्द्र ने कम्पनी में ही चलाया था।
- विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 'सड़क सुरक्षा' पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।
- दिसम्बर, 2004 में एड्स दिवस के अवसर पर एड्स के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास केन्द्र में कार्यशाला आयोजित की गई।
- आन्ध्र विश्वविद्यालय में "नेतृत्व-चुनौतियां एवं नीतियां" वि-नय पर रा-द्रीय सेमिनार के लिए 10 महिला कर्मचारियों को नामित किया गया। उप महा प्रबंधक (एम-ओबी एण्ड जी) ने 'सार्वजनिक क्षेत्र महिला मित्र सार्वजनिक उपक्रम' पर पैनल विचार-विमर्श में भाग लिया।

- अगस्त, 04 में डब्ल्यू. आई. पी. एस. गठन दिवस के अवसर पर “महिला सशक्तिकरण-उत्कृ-टता की खोज में आशा की किरण” वि-य पर एक सेमिनार आयोजित की गई जिसमें विशाखापत्तनम् तथा बाहर की 500 महिला कर्मचारियों ने भाग लिया (इसमें से लगभग 300 वी.एस.पी. से थीं)
- कुछ महिला कर्मचारियों को भर्ती तथा पदोन्नति के लिए साक्षात्कार मण्डल में स्थान दिया गया।
- फरवरी, 2005 में कोलकाता में आयोजित सार्वजनिक उपक्रमों में महिला (डब्ल्यू. आई. पी. एस.) रा-ट्रीय बैठक में 10 महिला कर्मचारियों ने भाग लिया।
- मई माह में परीक्षाओं के दौरान बच्चों में चिन्ता उन्मूलन के संबंध में घरों में रहने वाली महिलाओं के लिए परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई गईं।
- महिला कर्मचारियों के लिए विशेष-प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की गईं ।
- महिलाओं की मानसिक समस्याओं तथा पारिवारिक परामर्श के लिए 18 महिलाओं को परामर्शदाता का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- आंकड़ा प्रबन्धन, गोदाम, विपरीत नीलाम के लिए प्रक्रिया निर्धारण में महिला कर्मियों को लगाया गया है। उन्हें अनेक क्रय समितियों चिकित्सा समीक्षा तथा तकनीकी सिफारिश समिति तथा सिफारिश समितियों में भी स्थान दिया गया है। महिलाओं को विभागीय पदोन्नति समिति तथा भर्ती के लिए समिति में भी शामिल किया गया है।
- वी.एस.पी. में कार्यस्थलों में महिला शो-गण रोकने के उद्देश्य से एक शिकायत समिति भी कार्य कर रही है ।
- गैर- हिन्दी भा-नी कर्मचारी परिवारों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग व जागरूकता बढ़ाने के लिए उक्कुनगरम् की महिलाओं के लिए हिन्दी कक्षाओं का आयोजन किया गया । 89 महिलाओं को प्रथम चरण में प्राथमिक और मध्यम कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया है । 97% महिलाओं ने परीक्षा उत्तीर्ण की और 79 को प्रथम श्रेणी मिली । दूसरे बैच के लिए प्राथमिक, मध्यम व रा-ट्र पाठ्यक्रम में 117 महिलाएं भाग ले रही हैं ।

एम ओ आई एल (मॉयल)

मॉअल में 863 महिला कर्मी है जो 1 नवम्बर, 2005 की कुल 7017 जन शक्ति का 12.45% है । उच्चतम् न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्य स्थल पर कार्यरत महिला कर्मचारियों में यौन उत्पीड़न से संबंधित मार्गदर्शनों को परिचायित किया गया है । तदनुसार तीन अधिकारियों से युक्त एक शिकायत समिति 1999 में गठित की गई थी, जिसमें एक महिला डाक्टर भी शामिल है । कम्पनी को किसी खान अथवा निगमित कार्यालय से उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली है । महिला श्रमिकों को जागरूक करने के लिए निर्देशों को व्यापक रूप से परिचालित किया गया है।

महिला मण्डलियां कम्पनी की सभी खानों में दक्षता से कार्य कर रही हैं । विभिन्न सांस्कृतिक, समाजिक, शैक्षिक और सामुदायिक कार्यकलाप जैसे प्रौढ़ शिक्षा, रक्तदान कैम्प, नेत्र चिकित्सा कैम्प, परिवार नियोजन कैम्प आदि नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं जो मुख्यतः दूरस्थ खान क्षेत्रों में रह रही महिलाओं के लाभ के लिए हैं।

प्रत्येक वर्-8 मार्च अन्तर्रा-ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं । परिवार नियोजन के लिए कम्पनी मातृत्व छुट्टी और विशेष-आकास्मिक छुट्टी देती है । कम्पनी ने अपनी खानों में क्रैंच खोल रखे हैं और माताओं को दूध पिलाने का समय देती है।

के आई ओ सी एल

वेतन के भुगतान, कार्य के घंटों स्वास्थ्य सुरक्षा तथा कल्याण लाभ आदि सभी मामलों में महिला कर्मियों के हितों का ध्यान रखते हुए आवश्यक उपाय/संवैधानिक व्यवस्थाओं का अनुपालन किया जा रहा है ।

उच्चतम् न्यायालय के निर्देशों पर आधारित कम्पनी के आचार नियमों में संशोधन कर उनमें कार्य स्थल पर महिला उत्पीड़न रोकने की धारा शामिल की गई है। सितम्बर, 1998 में यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की शिकायतों पर विचार करने के लिए एक शिकायत समिति का गठन किया गया है। शिकायत समिति की अध्यक्ष एव वरि-ठ महिला हैं और इसमें मान्यता प्राप्त मजदूर संघ से नामित तीन महिला प्रतिनिधियों और कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक महिला एडवोकेट को तीसरे पक्ष के प्रतिनिधि के रूप में स्थान दिया गया है । के.आई.ओ.सी.एल. में महिलाओं का एक मंच सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं (विप्स) कार्यरत है । अधिकतर महिला कर्मी इस मंच की सदस्य है । के.आई.ओ.सी.एल. ‘विप्स’ का जीवन पर्यन्त सदस्य है । ‘विप्स’ के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए बारी-बारी के आधार पर के.आई.ओ.सी.एल. से सह-समन्वयकर्ता नामित किए जाता हैं और कंपनी द्वारा महिला कर्मियों (सदस्यों) को ‘विप्स’ की वार्षिक बैठकों/क्षेत्रीय बैठकों में भाग लेने के लिए भेजा जाता है ।

कम्पनी की महिला कर्मचारी हर वर्-8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाती है और कुद्रेमुख, मंगलूर तथा बंगलूर में कार्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।



नवीन पहल/अभिनव योजनाएं यूएनडीपी/जीईएफ परियोजना (इस्पात)

परिचय

इस्पात मंत्रालय ने फोकल क्षेत्र “जलवायु परिवर्तन” जो भारत में स्टील-री-रॉलिंग मिल में ऊर्जा क्षमता विकास के परियोजना प्रस्ताव के लिए मार्च 2001 में 0.28 मिलियन अमरीकी डॉलर का अनुदान प्राप्त किया। एसआरआरएम क्षेत्र मुख्यतया छोटे और मध्यम उद्यमों से मिलकर बना होता है, जिसमें लघु स्तर के उद्यमों का 75 प्रतिशत हिस्सा होता है। देश में 2000 से अधिक एसआरआरएम की इकाइयां द्वितीयक इस्पात क्षेत्र का भाग बनाती हैं। मुद्दे का विस्तृत सर्वेक्षण, जो स्टील-री रॉलिंग मिल्स के सर्वमान नि-पादन से जुड़ा है, को उन बाधाओं की पहचान के लिए किया गया जो उद्योग के तकनीकी अप्रचलन और खराब ऊर्जा उत्पादकता विकसित देशों की तुलना में उत्तरदायी है। जीईएफ काउंसिल ने 6.75 मिलियन अमरीकी डॉलर के तकनीकी सहायता अनुदान के लिए परियोजना को मई, 2003 में मंजूरी दे दी और परियोजना दस्तावेज पर 12 अप्रैल, 2004 को हस्ताक्षर भी हो गए।

संक्षिप्त विवरण

यूएनडीपी/जीईएफ परियोजना, जो स्टील-री-रॉलिंग मिल (एसआरआरएम) क्षेत्र में ऊर्जा की खपत कम करने से जुड़ी है, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए प्रथम ऊर्जा क्षमता कार्यक्रम है। पंचवर्षीय परियोजना सूचना, वित्त और तकनीक (कार्रवाई सहित) से लेकर सरकार की नीति संबंधित रूख में आने वाले अवरोधों पर ध्यान रखती है। साथ ही परियोजना बाजार रूपान्तरण मुद्देय करवाएगा और तकनीकी पैकेजों के सफल प्रदर्शन, जो परियोजना के विकासात्मक चरण में विकसित किए गए थे द्वारा पर्यावरणीय टिकाऊ ऊर्जा प्रभावी तकनीकों को पहचानने की गति तीव्र करेगा।

परियोजना भारत को 13 राज्यों में फैले पांच भौगोलिक समूहों में 30 आदर्श प्रदर्शन इकाइयों की स्थापना में मदद करता है और घरेलू उपकरण निर्माताओं को मजबूत करेगा। ये निवेश मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के उद्योग और वित्तीय संस्थानों से आएंगे।

जीईएफ अनुदान (6.75 मिलियन अमरीकी डॉलर) और भारत सरकार से इस्पात विकास को-1 द्वारा (7.28 मिलियन अमरीकी डॉलर) तकनीकी सहायता गतिविधियों जैसे प्रतिमानों, संस्थानात्मक व्यवस्थाओं का दृढ़ीकरण, प्रभावी सूचना प्रसार और सभी महत्वपूर्ण अंश भागीदारों (सरकारी विभागों और अभिकरणों सहित) को सुविधा देगा।

ऊर्जा सेवा कम्पनियों का अस्तित्व में आना और आविष्कारिक तीसरा पक्ष वित्तीय तंत्र एक नई पहल है, जो कि लघु और मध्यम क्षेत्र में पहली बार लायी गयी है। एक तकनीकी सूचना संसाधन और सुविधा केन्द्र (टीर फैंक) की योजना बनाई गई है जो अनुसंधान तकनीक प्रदर्शन और विकास डिजाइन और व्यापार में मदद करने वाली सुविधाओं के द्वारा इन क्षेत्र को उत्तरोत्तर परियोजना अवधि में दीर्घावधि टिकाऊपन देगा।

अधःसंरचना विकास

परियोजना प्रबन्धन प्रको-ठ की स्थापना संयुक्त परि-द, दिल्ली के आर्थिक अनुसंधान एकांश के अहाते में की गई है। परियोजना प्रबन्धन प्रको-ठ का पुनरुद्धार कार्य पूरा कर लिया गया है और यह जनवरी, 2005 से पूर्ण रूप से काम करने लगा है। परियोजना परिचालन लघु पुस्तिका तैयार की गई है जो परियोजना प्रको-ठ और परियोजना कार्यक्रमों को प्रभावी, सक्षम और पारदर्शी तरीके से लागू करने में सुविधा देगा ताकि नीति निर्णय प्रक्रिया बाधित न हो।

मुख्य नीतियां, जो लघु पुस्तिका में बताई गई हैं, वो इस्पात मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों यूएनडीपी-देश कार्यालय के वर्तमान अवस्थापना नियमों और उपनियमों और कुछ नीतियां जो संगठनों द्वारा वर्तमान में अपनाई जाती हैं, पर आधारित हैं। नीतियां परियोजना की खास आवश्यकताओं और क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध टीम के आकार को ध्यान में रखती हैं।

तकनीकी सूचना संसाधन और सुविधा केंद्र

अ) हार्डवेयर केंद्र

टीरफैंक हार्डवेयर केंद्र को एनआईएसएसटी के अहाते मंडी गोविंदगढ़ में स्थापित करने की योजना है। सोफटेवयर सेंटर भारतीय धातु संस्थान (आई.आई.एम.), दिल्ली अध्याय के वर्तमान भवन के भाग के रूप में 39, जवाहर धातु भवन, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया (बत्रा अस्पताल के पास) नई दिल्ली में खोला गया है। यह केन्द्र जून, 2005 से कार्य कर रहा है। टिरफैंक के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। इस रिपोर्ट को जनवरी, 2006 में अन्तिम रूप दिया जाएगा।

ब) टिरफैंक हार्डवेयर सेंटर और मण्डी गोविन्दगढ़ स्थित औद्योगिक संरचना की उन्नयन योजना (आई. आई. यू. एस) के बीच तालमेल बैठना

इस परियोजना की टिरफैंक हार्डवेयर केंद्र और औद्योगिक संरचना उन्नयन मंडी गोविंदगढ़ के बीच तालमेल विकसित करने की योजना है। 8.83 करोड़ रुपए बजट प्रावधान के साथ टिरफैंक हार्डवेयर केंद्र, मंडी गोविंदगढ़ में स्थापित किया जाएगा और 3.95 करोड़ रु बजट प्रावधान के साथ नई दिल्ली में सॉफ्टवेयर केंद्र खोले जाएंगे।

केंद्र सरकार ने औद्योगिक अधःसंरचना उन्नयन योजना के अंतर्गत मंडी गोविन्दगढ़ क्लस्टर के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना से राशि खास उद्देश्यीय वाहन बनाकर, जो सार्वजनिक - निजी भागीदारी में औद्योगिक समूह से 25 प्रतिशत का अंशदान देकर प्राप्त किया जा सकता है, एसआरआरएम क्षेत्र ने योजना में हिस्सा लेने के लिए यूएनडीपी/जीईएफ को आमंत्रित किया है।

टीरफैक केंद्र मंडी गोविंदगढ़ के 8.83 करोड़ रूपए के बजट से 3.30 करोड़ रूपए की जरूरत पुर्नगर्म भट्टी की स्थापना करने में और संबंधित दहन सुविधाएं-जिसमें एनआईएसएसटी की प्रयोगशाला की सुविधाओं का उन्नयन शामिल है। एक भाग या बाकी बची पूरी रकम करीब 5.53 करोड़ को इस्पात मंत्रालय द्वारा एसपीवी, जो आईआईयूस के अंतर्गत है, मंडी गोविंदगढ़ समूह के विकास के लिए अंशदान के रूप में प्रावधानित किया जा सकता है। यह प्रस्तावित टीरफैक हार्डवेयर केंद्र को पर्याप्त रूप से वृहत फलक क्षेत्र प्रदान कर सकता है और अपने आप में संपूर्ण बनाता है।

आदर्श एकांशों का क्रियान्वयन

अ) भागीदारी के लिए आग्रह (आरएफपी)

परियोजना के प्रथम वर्ष के लिए 3 आदर्श एकांशों को प्रावधान रखा गया है। हलांकि उद्योग से मांग आने के कारण 10 आदर्श एकांशों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 22 ऐसे एकांशों को पत्र निर्गत कर दिए गए थे जिनका भागीदारी में आग्रह के लिए परियोजना विकास अवस्था में अध्ययन किया गया था। 18 यूनिटों ने उत्तर दिया और पत्र प्रस्तुत किए जिसमें से 10 आदर्श यूनिटों के साथ परियोजना विकास समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

ब) डिजाइन दल

परियोजना प्रबन्धन सैल ने एस.आर.आर.एम. क्षेत्र के लिए आधुनिक कम ऊर्जा खपत वाली रिहीटिंग भट्टियों का डिजाइन तैयार करने के लिए एक डिजाइन टीम का गठन किया है। पहली यूनिट का डिजाइन 31 दिसम्बर, 2005 तक तैयार हो जाएगा।

स) पूर्व-मापन अध्ययन

प्रारम्भिक 6-डिसाइल अध्ययन वर्क 2005 में सभी 10 एकांशों में पूरा कर लिया गया है और उस पर होने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट प्रत्येक एकांशों को मुहैया करवाई गई है। सम्पूर्ण तकनीकी तथा वित्तीय योजना (टी.एफ.पी.) दसों यूनिटों के लिए तैयार कर ली गई है तथा यूनिटों के साथ गहन विचार-विमर्श के पश्चात् इसे अन्तिम रूप दिया जाएगा।

द) बीएफआर का विकास

वैयक्तिक आदर्श एकांशों के लिए विश्वसनीय उपादेयता रिपोर्ट्स (बीएफआर) कंसल्टेंट्स द्वारा तैयार की गई हैं और खास जरूरतें, जिनकी पहचान विस्तृत अध्ययन के दौरान की गई, निवेश ग्रेड लेखांकन और विशेष-ज्ञों के साथ विचार-विनिमय पर आधारित है। मसविदे प्रस्तुत किए जा चुके हैं और उन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

ई) मानिटरिंग व मूल्यांकन (एम एण्ड ई) उपस्करों की प्राप्ति

रिहीटिंग भट्टी के लिए स्वचालन तथा नियंत्रण उपकरणों का पूरा सेट (पी.एस.सी. पर आधारित) प्राप्त कर लिया गया है और मण्डी गोविंदगढ़ की एक आदर्श यूनिट में स्थापित किया गया है जो आदर्श यूनिटों को वास्तविक लाभ की जानकारी देता है। यह प्रणाली 31 दिसम्बर, 2005 तक चालू होगी।

ध) पूर्वी क्षेत्र में पुनर्बलन यूनिटों के लिए कार्यशाला का प्रारम्भ

जनवरी, 2006 के अन्त में पटना में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य देश के पूर्वी भाग में यूएनडीपी/जीइएफ परियोजना (इस्पात) के बारे में जागरूकता लाना है और जिससे उनमें से कुछ परियोजना के अधीन आदर्श यूनिट के तौर पर चुनी जा सकें।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल ने अपने विशेष-इस्पात कारखानों, अर्थात् मिश्र इस्पात कारखाने, सेलम इस्पात कारखाने और विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील कारखाने के लिए अपनी निगमित योजना को अन्तिम रूप दे दिया है। यह योजना विशेष-इस्पात कारखानों के लिए सेल के नीति सम्मत प्रमुख उद्देश्यों अर्थात्



सेल के बोकारो स्टील प्लांट में कोल डस्ट इंजेक्शन सिस्टम का उद्घाटन करते हुए डा. मनो रंजन, सचिव (इस्पात)



उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना/व लाभप्रद बनाना, की प्राप्ति पर केन्द्रित है। विशेष-इस्पात के लिए निगमित योजना 2012 का महत्वपूर्ण पक्ष अवरोधों को दूर कर गुणवत्ता और लागत प्रतियोगिता में विकसित कर समन्वित विकास करना है।

परिचालन के लिए आयातित कोयले पर आश्रय कम कर सेल भारतीय कोकिंग कोयले के ब्लाक प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है।

सेल ने अपने एकीकृत इस्पात कारखानों के लिए 3.536 एम.एम.एस.एम.सी.डी. प्राकृतिक गैस प्राप्ति हेतु गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि. (गेल) से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्राकृतिक गैस धमन भट्टियों के लिए वैकल्पिक ईंधन है।

मॉयल

कम्पनी के मैंगनीज उत्पादन का 2/3 मात्र जमीन के भीतर विधि से ही होता है पहले रन ऑफ माइन और खदानों की भीतर हाथ से ही संभाला जाता था। कम्पनी ने इस वर्क के दौरान एक विद्युत चलित साइड डिस्चार्ज लोडर बालाघाट खान में लगाया है, जो प्रारम्भ में प्रयोगात्मक आधार पर अंडरग्राउंड खानों में रन ऑफ माइन ओर की मशीन द्वारा संभालने के लिए किया गया है। प्रयोग का परिणाम श्रम उत्पादकता बढ़ाने उठाने रखने की लागत में कमी और खदान की दरों और तदन्तर सुरक्षा बढ़ाने में भी सफल रहा है।

कम्पनी ने इससे पहले अंडरग्राउंड खदानों में जो खालीपन हो जाता था उसे मैनुअल बैक फीलिंग द्वारा भरा जाता था के बदले हाइड्रोलिक सेड स्टोइंग को प्रयोग में लाया। हालांकि इससे अयस्क में बालू लग जाते थे, जिससे इसकी गुणवत्ता प्रभावित होती। कम्पनी ने रॉम तत्व की प्रभावी सफाई के लिए इसके सतह पर “स्क्रबर” लगा दिया है। पहली बार इस तरह के उपकरण का रॉम मैंगनीज अयस्क के प्रसंस्करण के लिए किया गया है और इसके परिणाम स्वरूप बालू तत्वों को प्रभावी रूप से हटाने में मदद मिली है।

कम्पनी पहले अंडरग्राउंड खदान परिचालनों में “कर एण्ड फिल” तरीके का प्रयोग करती रही है। इसमें खनन के कारण खालीपन की बैक-फीलिंग होती थी। कम्पनी ने अब एक नई विधि, जिसे सब-लेबल ओपेन स्टॉपिंग कहा जाता है, अपनायी है।

कम्पनी के पास नई पहल या विचाराधीन परियोजनाएं इस प्रकार हैं :

- बिड टरबाइन : गैर पारम्परिक स्रोतों से वैद्युत ऊर्जा की प्राप्ति
- संयुक्त उद्यमों में भागीदारी से विदेशों में मैटलिफैरस खानों का अधिग्रहण
- फ़ैरो मेगनीज एवं सिलिको मैंगनीज़ डायोआक्साइड, अयस्क ग्राइंडिंग संयंत्र की स्थापना
- डोंगरी बुजुर्ग खान में मेगनीज़ डायोआक्साइड, अयस्क ग्राइंडिंग संयंत्र की स्थापना
- इ.एम.डी. उत्पादन बढ़ाकर 20,000 लाख टन प्रतिवर्ष करना
- 1000 टन प्रतिवर्ष क्षमता का इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज मेटल (इ.एम.एम.) संयंत्र की स्थापना; अनुसंधान एवं विकास टेक्नॉलोजी विकास सहित
- मेगनीज़ पर आधारित विभिन्न रसायनों जैसे मैंगनीज़ ऑक्साइड, मैंगनीज सल्फेट, मैंगनीज़ सेस्क्यूक्साइड, मैंगनीज़ ऑक्साइड, पोटेशियम परमनगनेट की उत्पादन सुविधाओं की स्थापना

बर्ड ग्रुप ऑफ कम्पनीज

बर्ड ग्रुप के अधीन उड़ीसा मिनरल डवलपमेंट कम्पनी ने ठाकुरानी, उड़ीसा में पहले ही 30,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता का स्पंज लोहा कारखाना स्थापित कर लिया है। कारखाने ने जून, 2004 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। इसके अलावा कम्पनी के हाथ में कार्यान्वयन के लिए निम्न विविधता/विस्तार कार्यक्रम हैं :

- कम्पनी ठाकुरानी में 30,000 टन प्रति वर्ष क्षमता का एक और संयंत्र स्थापित कर स्पंज लोहे के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ाने के लिए उपाय कर रही है।
- स्पंज लोहा संयंत्र के साथ ही कम्पनी कारखाने से प्राप्त बेकार जाने वाली गैस का उपयोग कर एक बिजलीघर लगाने की योजना मना रही है। कम्पनी का एक इन्डक्शन भट्टी स्थापित कर 6 टीपीडी x 2 क्षमता की एक ढलाई यूनिट लगाने का भी कार्यक्रम है।
- ठाकुरानी संयंत्र स्थल (6 कि.मी.) पर सुन्दरा स्थित 33 केवीए सब-स्टेशन से बिजली प्राप्त करने का प्रबन्ध।
- बढ़ी हुई गतिविधियों की मांग पूरी करने के लिए एक अन्य रेलवे साइडिंग का विकास कार्य जारी है।
- कम्पनी ने एक अतिरिक्त क्रशिंग तथा स्क्रीनिंग संयंत्र स्थापित व चालू करके क्रशिंग क्षमता बढ़ाने के लिए उपाय किए हैं।

एफ एस एन एल

दुर्गापुर में वैद्युत उपस्करों के लिए बिजली प्राप्त करने हेतु वैद्युत

सब-स्टेशन (11 केवी/ 3.3 केवी) की स्थापना

इस परियोजना के अधीन एचटी. स्थापनाएं बिछाने और उप बिजलीघर का निर्माण होना है जिससे हाइड्रोलिक एक्स्केवेटर और क्रेनों के लिए, जिन्हें 3.3 के.वी. बिजली की जरूरत होती है, चलाया जा सके। इससे वर्तमान में डिजल से चलाए जा रहे उपस्कर बदले जा सकेंगे। परियोजना से परिचालन लागत कम करने, परिचालन जीवन और उपस्करों की उपलब्धि बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

एनआईएनएल डुबुरी में स्क्रेप सोर्टिंग यूनिट की स्थापना

यह स्क्रेप यूनिट पीसीएम चूर्ण, जो पीसीएम से प्राप्त कुल स्क्रेप का 4% है, की छंटाई करने के लिए लगाई जा रही है। पर्याप्त सुविधाएं न होने के कारण चूर्ण की पूरी मात्रा की छंटाई खरीददार की आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो पाती और छोटे चूर्ण के टुकड़े चूर्ण में मिल जाते हैं। इस यूनिट की स्थापना से एनआईएनएल और एफएसएनएल दोनों को लाभ होगा।

के आई ओ सी एल

माननीय उच्चतम न्यायालय ने 30 अक्टूबर, 2002 के अपने निर्णय में निर्देश दिया है कि कुद्रेमुख में खनन दिसम्बर, 2005 तक जारी रखी जाए। कम्पनी ने 3 दिसम्बर, 2003 को माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर लगभग 54 हेक्टेयर साबुत क्षेत्र में सुरक्षा तथा प्राकृतिक दबाव के स्थायित्व के लिए और प्राथमिक अयस्क के खनन की इजाजत मांगी थी।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने 30 सितम्बर, 2005 को सुनवाई के पश्चात् निर्देश किया कि 31 दिसम्बर, 2005 के बाद 30 अक्टूबर, 2002 के आदेश के अनुसार खनन की आज्ञा नहीं है तथा हमारी प्रार्थना पर विचार जनवरी, 2006 में किया जाए। उक्त आदेश के पश्चात् एमओइएफ ने माननीय उच्चतम न्यायालय में 3.10.05 को एक और हलकनामा दायर कर यह कहा कि ढलाब के दीर्घकालीन स्थायित्व के लिए केआईओसी.एल को 54.01 हेक्टेयर खनिजिकरण क्षेत्र में खुले अयस्क का खनन करने दिया जाए।

कम्पनी राज्य के भीतर तथा बाहर अन्य स्थानों पर खनन करने के लिए विकल्प खोज रही है। इस दिशा में निम्न उपाय किए गए हैं :-

- क) उड़ीसा सरकार ने 54 वर्ग किलोमीटर (5400 हेक्टेयर) क्षेत्र की पहचान की है जहां निम्न श्रेणी के हेमाटाइट अयस्क भण्डार होने की सम्भावना है। आवटित पूर्ण क्षेत्र में लगभग 18 करोड़ टन लौह अयस्क, जिसमें एफ.ई. 55 से 64% हो सकता है, होने की सम्भावना है। कम्पनी ने उड़ीसा सरकार के भू-गर्भ विभाग को खोज करने के लिए कार्य आदेश जारी किया है। पता लगाने का कार्य तथा नमूनों के विश्लेषण का कार्य समाप्त हो गया है तथा भू गर्भ निदेशक, भुवनेश्वर से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और वह अध्यनाधीन है।
- ख) कम्पनी ने कर्नाटक सरकार से प्रार्थना की है कि उसे कर्नाटक के बेल्लारी-हॉस्पेट क्षेत्र में रायनंदुर्ग में खनन पट्टा दिया जाए। इस क्षेत्र में खनन पट्टों के प्रार्थियों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। माननीय उच्च न्यायालय को अभी इन पर अपना निर्णय सुनाना है। कर्नाटक सरकार ने रामनंदुर्ग भण्डारों का 50% के.आई.ओ.सी.एल. देने को निर्णय किया है।
- ग) केआईओसीएल ने 28.9.2004 को सेल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अनुसार उड़ीसा की काल्टा, तालदीह और बरसुआ खानों से लौह अयस्क खनन के लिए संयुक्त उद्यम बनाया जाएगा। अयस्क की श्रेणी तथा साध्यता अध्ययन जारी हैं।



मान्यता एवं पुरस्कार

इस्पात मंत्रालय के अधीन कम्पनियों का उद्योग से संबंधित पुरस्कारों की सूची में काफी ऊंचा स्थान है। पुरस्कार लगातार मिलते ही रहेंगे, लेकिन इनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सभी कर्मचारियों की प्रतिभा व आवि-कारिक प्रवृत्ति रा-द्रीय स्तर पर मान्यता पुरस्कारों के रूप में प्राप्त हुई। वर्- 2004 में सेल ने चार प्रधानमंत्री के श्रम पुरस्कार, दो श्रमवीर तथा दो श्रम श्री पुरस्कार प्राप्त किए। संगठन को आई.एस.टी.डी-फिक्की द्वारा मानव संसाधन प्रणालियों में उत्कृ-टता की दृ-टि से सर्वोत्तम चार में भी चुना गया और यह सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र ऐसी कम्पनी थी, जिसे डी.एम.ए.-वाटसन बसट द्वारा मानव संसाधन प्रणालियों पर प्रस्तुति करने के लिए चुना गया। आवि-कारिक उत्पादों तथा सेवाओं के लिए कम्पनी के राउरकेला इस्पात कारखाने को इस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया।

आर आई एन एल (वी.एस.पी.)

आर.आई.एन.एल को प्राप्त कुछ प्रमुख पुरस्कार नीचे बताए गए हैं :

- रा-द्रीय ऊर्जा बचत पुरस्कार 2002, 2003, 2004 और 2005
- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आर.आई.एन.एल को सर्वोत्तम प्रमुख कार्यपालक के नाते राजीव रत्न रा-द्रीय पुरस्कार
- लागत प्रबन्धन में उत्कृ-टता के लिए रा-द्रीय पुरस्कार
- भारतीय रा-द्रीय सुझाव योजना संघ (आईएनएसएसएएन) से संगठनात्मक उत्कृ-टता पुरस्कार - 2005
- सीआईआई से रा-द्रीय जल प्रबन्धन पुरस्कार 2004 एवं 2005
- सीआईआई से सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण (शी) में नेतृत्व व उत्कृ-टता पुरस्कार
- पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदू-ाण नियंत्रण के क्षेत्र उत्कृ-टता के लिए व्यावसायिक उपलब्धि पुरस्कार
- वर्- 2002-03 के लिए सर्वोत्तम एकीकृत कारखाने के लिए प्रधान मंत्री की ट्राफी
- वर्- 2005 में गैर कार्यपालकों के लिए छह सदस्यों को विश्वकर्मा रा-द्रीय पुरस्कार



सीएमडी, आरआईएनएल वर्ष 2004-05 के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

एन एम डी सी

11 अप्रैल को अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक ने भारत के माननीय रसायन, उर्वरक और इस्पात मंत्री श्री राम बिलास पासवान से राजभा-ा शीलड (प्रथम पुरस्कार) प्राप्त।

29 मई 2005 को अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को उत्कृष्ट प्रमुख कार्यपालक होने के लिए जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल नेशनल अवार्ड 2004-05 से नवाज्ा गया और एनएमडीसी को इन्टरनेशनल ग्रीनलैंड सोसाइटी, हैदराबाद से पर्यावरण तक वातावरण संरक्षण स्वर्ण पुरस्कार मिला।

14 जून, 2005 को एन.एम.डी.सी. को नगर राजभा-ा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) से वर्- 2003-04 के लिए राजभा-ा शीलड मिली।

15 सितम्बर, 2005 को अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, श्री बी. रमेश्वर कुमार को इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया), आन्ध्र प्रदेश राज्य केन्द्र और आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा भारत रत्न सर मोक्षामुन्दम विश्वेश्वरैया पुरस्कार 2005 से सम्मानित किया गया।

14 सितम्बर, 2005 को एन.एम.डी.सी. को राजभा-ा के उत्कृ-ट कार्यान्वयन और 'ग' क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए माननीय गृह मंत्री, श्री शिवराज वी पाटिल, भारत सरकार से 2003-04 के लिए इंदिरागांधी राजभा-ा शीलड प्राप्त हुई।

8 अक्टूबर, 2005 का एनएमडीसी को माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्री एम. चिदम्बरम से कैपेसिल विशेष-ा निर्यात पुरस्कार - 2004-05 मिला।

22 अक्टूबर, 2005 को केन्द्रीय लघु, कृि और ग्रामीण उद्योग मंत्री, माननीय श्री महावीर प्रसाद द्वारा बीआईओपी, भण्डार-5,10,11ए को ग्रीन टेक पर्यावरण उत्कृ-टता रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

12 नवम्बर, 2005 को एनएमडीसी को पुणे में भारतीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान द्वारा आयोजित रा-द्रीय सम्मेलन में वर्- 2004-05 के लिए कोल इण्डिया पुरस्कार संगठन से सम्मानित किया गया।

एम ओ आई एल (मॉयल)

मॉयल सम्भवतः उन कुछ गिने चुने सार्वजनिक उपक्रमों में से एक है जिन्हें अपने लगातार उत्कृ-ट कार्यों के लिए जाना जाता है। कम्पनी को अच्छे कार्यों के लिए लगभग प्रत्येक क्षेत्र में पहचान मिली है। इनमें से कुछ पुरस्कार रा-ट्रीय स्तर पर मिले हैं।

- एमओयू के अधीन उत्कृ-ट प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री प्रमाण पत्र से सम्मानित
- रा-ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार
- राजभा-ना पुरस्कार
- एफआईएमआई द्वारा मिश्रिलाल जैन पर्यावरण पुरस्कार
- रा-ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, 2005

कम्पनी अपने कर्मचारी की प्रतिभा को बढ़ावा देती है जिससे कि वह कम्पनी के प्रगतिशील कार्यों में सुक्ष्म दे सके।



महामहिम राष्ट्रपति ज. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम से राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार-2005 प्राप्त करते हुए मॉयल के सीएमडी।

के आई ओ सी एल

- मई 2005 में कम्पनी को ग्रीनटेक फाउन्डेशन से सुरक्षा प्रबन्धन के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए “ग्रीनटेक” सुरक्षा पुरस्कार (स्वर्ण पुरस्कार) मिला।
- जून 2005 में मंगलूर की कनारा चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री ने कम्पनी को सर्वाधिक लौह अयस्क छिट्रिल और आयरन ओक्साइड पैलेट निर्यात के लिए “निर्यात पुरस्कार-2004 से पुरस्कृत किया।

- नई दिल्ली स्थित फेडरेशन ऑफ इण्डियन मिनरल इन्डस्ट्रीज ने अगस्त, 2005 में पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के युक्ति संगत उपयोग के लिए फिमि मिश्रीलाल जैन पर्यावरण पुरस्कार 2004-05 से सम्मानित किया।
- अक्टूबर, 2005 में केंपेसिल ने कम्पनी को 2004-05 में खनिज व अयस्क के बड़ी मात्रा में निर्यात के लिए बल्क निर्यात पुरस्कार प्रदान किया।
- नव मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलूर ने व-र्-1 2004-05 के दौरान मशीनीकृत प्रणाली से 46.97 लाख लौह अयस्क तथा पैलेट उठाने-रखने के लिए “उत्कृ-टता प्रमाण पत्र” प्रदान किया।
- नई दिल्ली स्थित ग्रीनटेक फाउन्डेशन ने नवम्बर, 2004 में पर्यावरण प्रबन्धन के क्षेत्र में उत्कृ-ट उपलब्धि के लिए, पर्यावरण उत्कृ-टता स्वर्ण पुरस्कार 2004-05 से सम्मानित किया।



इस्पात के उपयोग में वृद्धि

भारत में इस्पात को प्रोत्साहन दिया जाना जरूरी है क्योंकि हमारे देश में इस्पात का प्रति व्यक्ति उपभोग विश्व औसत से काफी कम है। ऐसी स्थिति में मंत्रालय उद्योग से सम्बद्ध कम्पनियों तथा अन्य संस्थाएं प्रोत्साहन को पर्याप्त महत्व देती हैं।

डिजाइन मार्गदर्शक पुस्तिकाएं, नियमावली तथा प्रतिवेदन

वर्ष 2004-05 में इन्सडेग ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण मार्गदर्शक पुस्तिकाओं तथा नियमावलियों का प्रकाशन किया :

■ ग्रामों के लिए इस्पात संरचनाएं - पंचायत बैठक भवन

इन्सडेग ने पंचायतों की बैठकों के ऐसे डिजाइन तैयार किए हैं, जिनमें इस्पात काफी मात्रा में लगता है। ये बैठकें 500 से 900 वर्गफुट क्षेत्र की हैं। डिजाइन काफी मजबूत हैं और इन्हें जल्दी ही लगाया जा सकता है, साथ ही यदि भवि-य में विस्तार की इच्छा हो तो यह कार्य भी सहज किया जा सकता है।

■ कोल्ड फॉर्मड स्टील सेक्शन की डिजाइन पुस्तिका

क्योंकि कोल्ड फॉर्मड स्टील सेक्शन में भार के अनुपात में शक्ति अधिक तथा प्रति यूनिट लम्बाई पर कम भार होता है, इन सेक्शन के प्रयोग से कम लागत वाले डिजाइन तैयार हो सकते हैं। इन्सडेग पुस्तिका में जोड़ के बारे में विवरण के साथ हिसाब भी दिया गया है। पुस्तिका इन सेक्शनों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने में सहायक होगी।

■ इस्पात बाहुल्य माउलडलर किस्म के सामुदायिक शौचालय ब्लाक

यह परियोजना कम लागत पर लम्बे समय तक काम में आने वाले माउलडलर सामुदायिक शौचालय के डिजाइन प्रस्तुत करती है। ये रेलवे स्टेशनों, नगर निगम, पंचायतों और झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के लिए उपयुक्त हैं।

■ इस्पात संरचनाओं के निर्माण व स्थापना पर मार्गदर्शी पुस्तिका

पुस्तिका में निर्माण में इस्पात संरचनाएं बनाने जोड़ने व स्थापित करने का ठीक तरीका बताया गया है। यह ठेका प्रणालियों तथा लागत का हिसाब लगाने की तकनीक पर भी प्रकाश डालती है।

■ दीर्घकालीन निर्माण प्रणालियों के लिए इस्पात रीइन्फोर्समेंट भार के प्रभावी उपयोग पर मार्गदर्शी पुस्तिका

■ इस्पात से तैयार बेल गाड़ियों के डिजाइन

■ इन्डडेग वार्षिक पुस्तिका 2005

विपणन एवं तकनीकी इस्पात प्रोत्साहन

इस्पात का उपयोग बढ़ाने तथा निर्माण में इस्पात के नए-नए प्रयोग के अपने अभियान में इन्सडेग ने दो रास्ते पर अपने विपणन प्रयास जारी रखे

1. निर्णयकर्ताओं को निर्माण में इस्पात के अधिक उपयोग के लिए विश्वस्त बनाना और
2. विभिन्न क्षेत्रों में इन्सडेग द्वारा तैयार विपणन डिजाइन

वर्ष 2004-05 के दौरान एक तीसरे दृष्टिकोण के बारे में सोचा गया और उस पर कार्य शुरू किया गया - ऐसे वास्तविक भवनों का डिजाइन तैयार किया जाए जो इस्पात/इस्पात कंक्रीट से बने हों और परार्शदाता के रूप में फीस अर्जित की जाए। यह भवनों की डिजाइन लागत में कमी, सौंदर्य तथा इस्पात के अधिकतम उपयोग पर आधारित है। ये भवन नमूने के तौर पर कार्य करेंगे और भवि-य में इस्पात बाहुल्य वाले भवन/संरचनाओं के निर्माण में सहायक होंगे। सम्भावित उपयोगकर्ताओं की सोच बदलने के लिए इन्सडेग ने आलोच्य वर्ग में निम्न तरीके अपनाए।

■ निर्णयकर्ताओं के सम्मुख प्रस्तुतिकरण

■ मॉडल और प्रकाशनों के साथ रा-ट्रीय एवं अन्तर्रा-ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग

■ इस कार्य में लगे व्यक्तियों के लिए नवीकरण पाठ्यक्रम चलाना

■ रा-ट्रीय/अन्तर्रा-ट्रीय सेमिनार में तकनीकी शोध पत्रों की प्रस्तुति तथा तकनीकी पत्रिकाओं में इनका प्रकाशन

■ तकनीकी पत्रिकाओं, सेमिनार आदि में विज्ञापन

आलोच्य अवधि में इन्सडेग द्वारा विपणन के क्षेत्र में की गई कुछ पहल इस प्रकार हैं :

इन्सडेग ने मुम्बई के एक प्रमुख बिल्डर के रहेजा से विचार-विमर्श कर उन्हें भावी भवनों में इस्पात कंक्रीट के मेल के बारे में विश्वस्त कराने का प्रयास किया। इन्सडेग ने उनके द्वारा तैयार एक बहुमजिले कार पार्क के डिजाइन में संशोधन कर इस्पात कंक्रीट का बनावाया और अब यहां अधिक संख्या में कार ठहराई जा सकती है। इस योजना के बारे में मुम्बई म्यूनिसिपल कारपोरेशन की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

इन्सडेग ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी को विभिन्न परियोजनाओं के लिए इस्पात के विकल्पों के सुझाव दिये।

कोलकाता म्यूनिसिपल कारपोरेशन (के.एम.सी) ने नगरीय झोंपड़-पट्टियों में कम लागत के इस्पात से बने डिजाइनों पर बातचीत की है। ये प्रस्ताव कनाल बैंक पर रहने वालों के लिए कोलकाता पर्यावरण सुधार परियोजना (केईआईपी) को प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तुत योजना के ईआईपी के विचाराधीन है।

चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट ने बहुमंजिला कार पार्क बनाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। इस्डेग ने इन क्षेत्रों में इस्पात के प्रयोग के लाभ पर प्रकाश डाला है। अधिकारी इससे संतु-ट हुए हैं और उन्होंने निर्माण के लिए इस्पात के प्रयोग को लेकर पुनः निविदा आमंत्रित करने का निर्णय किया है। यद्यपि कमजोर निविदाओं के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट इन्सडेग की सहायता से इस्पात – कंक्रीट के निर्माण के लिए उत्सुक है।

नई दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर सेलवेल ने नई दिल्ली में चार फुट के पुलों के लिए निविदा भरी थी। इन्सडेग ने उनका संरचना डिजाइन बनाना स्वीकार कर लिया है। सभी पैदल ऊपरी पुल इस्पात के बनाए जाएंगे।

इन्सडेग ने कोलकाता म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी (केएमडीए) के सम्मुख सिविक सुविधाओं के निर्माण में कम लागत की इस्पात बाहुल्य संरचना पर प्रस्तुति की।

इन्सडेक ने पूरी तरह से इस्पात की बैलगाड़ी का अत्यंत उपयोगी और सरल डिजाइन तैयार किया है। संस्थान देश में बड़ी संख्या में निर्माताओं को इसे बनाने का प्रशिक्षण दे रहा है जिससे जनता को बेहतर भैलाड़ियां मिल सकें। प्रमुख इस्पात निर्माता 400-500 बैलगाड़ियां बना कर बांटेंगे। कुछ राज्य सरकारें इस प्रकार की बैलगाड़ियां बड़ी संख्या में लेने की योजना बना रही हैं।

इन्सडेग नई दिल्ली में बहुमंजिले हैण्डलूम हाउस का डिजाइन बनाने से सम्बद्ध है जिसमें “इस्पात कंक्रीट की मिली-जुली तकनीक” का प्रयोग है। यह परियोजना दिल्ली के सीपीडब्ल्यूडी के अधीन है। यह एक महत्वपूर्ण भवन होगा।

इन्सडेग आरडीसीआईएस नगर, राँची में “इस्पात प्रगति केन्द्र” नामक कम्प्यूनिटी हाल की योजना व शिल्पकला से डिजाइन के साथ सम्बद्ध है। यह एक सम्मानित परियोजना है। निविदा के प्रत्युत्तर में कोटेशन का मूल्यांकन किया जा रहा है।

वर्षा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से इस्पात की बैलगाड़ियों ठीक प्रकार से वितरण के लिए सम्पर्क किया गया है। ये बैलगाड़ियाँ दत्तापुर में ग्रामीणों के लिए विज्ञान केन्द्र में बनाई जाएंगी। जे एस डब्ल्यू ने इंसडेग से अपनी कौलोनी में रिहायशी मकानों के लिए दो तरह के इस्पात बाहुल्य के डिजाइन तैयार करने की प्रार्थना की है।

जे एस डब्ल्यू से मूल आंकड़े प्राप्त कर लिए गए हैं और डिजाइन तैयार किया जा रहा है।

देश में व्यावसायिको तथा अध्यापन कार्य में लगे व्यक्तियों का संरचनात्मक इस्पात डिजाइन से संबद्ध तरीकों और टेक्नॉलोजियों के बारे में कौशल व ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से नवीकरण तथा अत्यावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए।

इन्सडेग ने इस वर्ष एस सी आई, यू.के.की तरह ही संरचना डिजाइनरों/शिल्पकारों/प्रायोजकों/भवन निर्माताओं को इस्पात का अपने निर्माण में और अधिक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु व्यावसायिक पुरस्कार प्रतियोगिता शुरू की है।

शिल्पकला और सिविल/संरचना इंजीनियरी के छात्रों में इस्पात के अनूठे उपयोगों तथा अपने विचारों को इस्पात के माध्यम से प्रस्तुत करने व निर्माण के लिए सस्ते विकल्प के तौर पर इस्पात के प्रयोग के प्रति चेतना जागृत करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

- स्वदेशी बाजार में सेल उत्पादों की पहुँच बढ़ाना।
- सेल ने अपने उत्पादों की पहुँच बढ़ाने के लिए डीलरों की नियुक्ति की है।
- उत्तम बाज़ार और उच्च मूल्य वाले उत्पादों पर बल।
- इस्पात के प्रयोग के प्रति जगरुकता लाने के उद्देश्य से पत्रिकाओं, होर्डिंगों पर नियमित विज्ञापन।
- क्षेत्र विशेष में इस्पात के प्रयोग के बारे में तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सेमिनारों में भाग लेना।
- उपभोक्ताओं को उच्च क्वालिटी के माल के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करने तथा उत्पादों की ख्याति बढ़ा कर उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए टी.एम.टी बार को सेल टी एम टी नाम देना।
- विभिन्न उपभोग क्षेत्रों में इस्पात के प्रयोग पर प्रदर्शिनियों तथा मेलों के माध्यम से प्रकाश डालना।
- इस्पात के आम उपयोग को बढ़ावा देने तथा उसे उपभोक्ता के हित में और जनता के हित में बनाने के लिए इण्डियन स्टील एलायंस (सेल जिसका प्रमुख सदस्य है) ने जून-सितम्बर, 2004 के बीच एक विज्ञापन अभियान चलाया जो सभी प्रमुख टी.वी. चैनलों पर भी दिखाया गया।



निगमित सामाजिक दायित्व

आज की दुनिया में किसी कम्पनी की सफलता केवल उसके तुलन-पत्र से ही नहीं आंकी जाती है। कम्पनियों का समाज के समग्र विकास, अपने कर्मचारियों और जिस पर्यावरण में वे काम करते हैं, उसके प्रति भी योगदान करने का दायित्व है। आज कम्पनियों का मूल्यांकन करने में कम्पनी द्वारा निभाए जा रहे सामाजिक दायित्व महत्वपूर्ण मापदण्ड है। इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रम इस दिशा में प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल सामाजिक दायित्वों के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस क्षेत्र में प्रमुख गतिविधियां संक्षिप्त में नीचे दी गई हैं।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

देशभर में 20 स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल हैं जिनमें कर्मचारियों, उनके आश्रितों तथा आसपास के लोगों के लाभ के लिए लगभग 4000 बिस्तर हैं। इनका प्रबंधन लगभग 4400 डॉक्टरों, चिकित्सा तथा पैरामेडिकल स्टॉफ एड्स कंट्रोल आरगेनाइजेशन (एनएसीओ) स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर एक एड्स जागरूकता एवं नियंत्रण कार्यक्रम शुरु किया है। अब तक सभी संयंत्रों/इकाइयों में एनएसीपी-II की नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए लगभग 320 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं।



श्री राम विलास पासवान, माननीय रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को सूनामी सहायता चैक प्रदान करते हुए। चित्र में सचिव, इस्पात डा. मनो रंजन और सेल के अध्यक्ष श्री वी.एस. जैन दिखाई दे रहे हैं।

क्षेत्रीय विकास

विभिन्न सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों से पता चला है कि सेल द्वारा किए गए प्रयासों से काफी लाभ हुआ है जो 8-15 किलोमीटर के दायरे के ग्रामीण इलाकों तक है। स्थानीय पंचायतों सामाजिक संगठनों तथा संबंधित क्षेत्र के लोगों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ राज्य सरकार, जिला प्रबंधन के साथ गहन समन्वय में प्रत्येक संयंत्र द्वारा कार्यक्रम चलाए गए हैं। वर्ष 2004-05 में कम्पनी 05 करोड़ रु. क्षेत्रीय विकास गतिविधियों के लिए आबंटित किए। वर्ष 2005-06 के लिए यह बजट बढ़ाकर 9 करोड़ कर दिया गया है। गत पांच वर्ष में प्रत्येक प्रमुख कारखाने ने अपने आबंटित बजट में से विभिन्न कार्यक्रमों पर एक-एक करोड़ रु. खर्च किए हैं।

शिक्षा

कर्मचारियों के बच्चों तथा आश्रितों की सर्वोत्तम शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए सेल ने लगातार प्रयास किया है। गत वर्षों में इसने इस्पात बस्ती में लगभग 200 स्कूल खोले हैं जिनमें 6000 से अधिक अध्यापकों को नियुक्त किया गया जो 1,00,000 से अधिक बच्चों को आधुनिक शिक्षा देते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र के आदिवासी बच्चों को गोद लिया है तथा उसके लिए निःशुल्क शिक्षा, भोजन और आवास की व्यवस्था कर रहे हैं।

खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियां

सेल ने काफी समय से खेलकूद का विकास तथा पोषण किया है तथा भिलाई, राउरकेला तथा बोकारो में क्रमशः हैंडबॉल, हॉकी तथा फुटबाल की अकादमियां स्थापित की हैं। हैंडबॉल एवं हाकी अकादमियां भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के साथ मिलकर स्थापित किए गए संयुक्त उद्यम हैं। प्रशिक्षण के फलस्वरूप इन अकादमियों को गर्व है कि उन्होंने राष्ट्रीय, राष्ट्रमंडल तथा एसएएफ चैम्पियन तैयार किए हैं। सेल की 4200 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति भी है, जिससे सेल परिवार के लगभग 30 बच्चों को राष्ट्रीय पदक प्राप्त करने अथवा राष्ट्रीय टीम में चयन होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

आर आई एन एल (वी एस पी)

निगमित सामाजिक दायित्वों (सी.एस.आर.) के अधीन अपने दायित्व बेहतर निभाने के लिए निगमित सामाजिक दायित्वों के बारे में एक नीति बनाई गई और निदेशक मण्डल के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई। इस नीति का उद्देश्य आर आई एल एस/वी एस पी के सिद्धान्तों में सामाजिक

तथा पर्यावरण के प्रति स्टेकहोल्डरों की चिन्ता का समावेश करना तथा इस विषय पर स्वैच्छिक उपाय प्रारम्भ करना और सी एस आर को सतत् विकास के लिए प्रमुख कारोबारी मुद्दा बनाना है।

वर्ष 2005-06 के दौरान क्षेत्रीय विकास के क्षेत्र तथा चारों ओर के गावों में मूल सुविधाओं की व्यवस्था से सम्बद्ध गतिविधियाँ जारी रहीं। कुछ गतिविधियाँ पुनर्वास कॉलोनियों में पीने का पानी उपलब्ध कराती हैं; सभी पुनर्वास कोलोनियों व मॉडल गावों में पुरुष एवं महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती हैं; स्कूलों में फर्निचर उपलब्ध कराती तथा शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग बच्चों (अरुणोदय स्कूल) के लिए विशेष बस वह उपलब्ध कराती हैं। इन गतिविधियों के अतिरिक्त 2005-06 में "आन्ध्र विश्वविद्यालय यू.जी.सी. एकादमिक स्टाफ कालेज के सहयोग से अध्यापकों के लिए "उत्कृष्टता की ओर" कार्यशालाएं शुरू की गईं। जन परीक्षा में भाग ले रहे छात्रों के लिए" कौशल विकास कार्यक्रम चलाया गया। नगरी में रह रही महिलाओं के लिए हिन्दी प्रशिक्षण कक्षाएं भी चलाई गईं। आसपास के क्षेत्रों में रह रहे लोगों में समाज के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक बहुआयामी जिसमें स्वास्थ्य, महिला व युवति स्वास्थ्य सहित, कार्य में प्रगति, स्वच्छ तथा हरित पर्यावरण, नशा-उन्मूलन, व आत्म रोजगार पर बल दिया गया।

एन एम डी सी

एक उत्तरदायी निगमित नागरिक होने के नाते और अपने निगमित सामाजिक दायित्व के अंग के नाते:

- (i) एन.एम.डी.सी. ने मुख्य मंत्री सहायता कोष, छत्तीसगढ़ में घातक बीमारियों से पीड़ित गरीबों को विशेष चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए एक करोड़ रु. का अंश दान किया है।
- (ii) एन. एम.डी.सी. ने सुनामी पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय विधि में 50 लाख रु. का अंशदान किया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों और एसोसिएशन/मजदूर संघों ने भी उक्त में 22 लाख रु. दिए हैं।
- (iii) एन एम डी सी ने जगदलपुर मे एक चिकित्सा कालेज खोलने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को 50 करोड़ रु.



बैलाडिला प्रोजेक्ट, सीजी के नजदीक गांव में एनएमडीसी द्वारा सामुदायिक विकास सम्पादित किया जा रहा है।

- देने का वायदा किया है। इसके लिए वर्ष 2004-05 में 5 करोड़ रु. दिये जा चुके हैं।
- (iv) एन.एम.डी.सी. ने 72 वां अखिल भारतीय कनड़ साहित्य सम्मेलन आयोजित करने के लिए कर्नाटक सरकार को 10 लाख रु. दिए हैं।
- (v) एन.एम.डी.सी. ने गरीब जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष, कर्नाटक में 50 लाख रु. दिए हैं।
- (vi) एन.एम.डी.सी. ने रेड क्रॉस सोसाइटी, रायपुर को अपने प्रशिक्षण केन्द्र में बनाए गए नए हॉल को सुसज्जित करने के वास्ते 10 लाख रु. दिए हैं।
- (vii) एन.एम.डी.सी. 11 लाख रु. का 'एक-बार योगदान' कर शिक्षा दीप ट्रस्ट, रायपुर का संरक्षक बन गई है। यह ट्रस्ट छत्तीसगढ़ के प्रतिशाली गरीब बच्चों को छात्रवृत्तियां देकर उनकी पढ़ाई में मदद करने के लिए कटिबद्ध है।

मॉयल (एम ओ आई 0एल)

निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) विश्व बाजार के आने से निगमित आचरण का एक महत्वपूर्ण पक्ष बन कर उभरा है। अतः एक निश्चित सी एसआर न केवल संगठन की विश्वसनीयता का अभिन्न अंग बन गया है बल्कि निवेशकों और ग्राहकों तथा सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन निष्पादन क्षमता बढ़ाने का मार्ग बन गया है। मॉयल में इस संबंध में अनेक गतिविधियों, की जा रही हैं इनका विवरण नीचे दिया जा रहा है।

- गोंडी (मध्यप्रदेश) और करमुण्डा, बालापुर, हमेशा, सीतासोयांगी तथा चिकला (महाराष्ट्र) के गावों में सप्ताह में दो बार पिछले वर्ग के समाज और गरीब बच्चों की निःशुल्क चिकित्सा जांच।
- पड़ोसी गावों में पीने के पानी की सप्लाई लाइन उपलब्ध कराना।
- सामुदायिक विकास के लिए विभिन्न सामाजिक-आर्थिक उपाय करना
- शैक्षिक संस्थानों की स्थापना तथा कम्पनी के आश्रित कर्मचारियों के बच्चों और साधनहीन बच्चों के लिए पढ़ाई और अन्य संबद्ध सुविधाओं की व्यवस्था।



- खान क्षेत्रों में और उसके चारों ओर पर्यावरण संरक्षण तथा वातावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए पर्याप्त उपाय करना।

नियोजित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त माँअल ने निकट भूत में प्राकृतिक आपदाओं के समय, जैसे सुमानी, बम्बई में बाढ़ के लिए खुले दिल से प्रधानमंत्री, मुख्य मंत्री सहायता कोष में धन दिया है।

बर्ड ग्रुप ऑफ कम्पनी

बर्ड ग्रुप के अधीन कम्पनियों ने निगमित सामाजिक दायित्व निभाने के लिए अनेक उपाय किए। इनमें से कुछ नीचे बताए जा रहे हैं:

- उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (ओएमडीसी) के अन्तर्गत एम्बुलेंस सुविधाओं सहित ठकुरानी में 20 बिस्तरों वाला एक अस्पताल कार्यरत है। आसपास के ग्रामीणों को इस अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा मिलती है। महिला रोगियों की चिकित्सा के लिए ओएमडीसी के अस्पताल में एक महिला मेडिकल ऑफिसर है। यहां पांच स्टाफ नर्स भी हैं।
- बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लि. (बीएसएलसी) बीरमित्रपुर में एम्बुलेंस सुविधा सहित 40 बिस्तरों का एक अस्पताल है। इस अस्पताल में पांच स्टाफ नर्स हैं। आसपास के ग्रामीण नाममात्र की फीस से यहां इलाज करा सकते हैं। इस अस्पताल के इमरजेंसी मामलों में राउरकेला स्थिति राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल में इलाज की संधि है।
- ओएमडीसी द्वारा समय-2 पर एक्स-रे, पेथोलॉजीकल प्रयोगशाला, आडियोमीटरी ईसीजी, लंग फंक्शन जांच, दंत चिकित्सा, ऑपरेशन थियेटर आदि जैसी सुविधाओं द्वारा स्वास्थ्य जांच की जाती है।
- सरकार के आरएनटीपीसी, पल्स पोलियो, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम भी ओएमडीसी तथा बीएसएलसी के अस्पतालों के माध्यम से आयोजित किया जाता है।
- खोदे गए कुओं, ट्यूबवैलों आदि से पीने का पानी मुहैया कराया जाता है। दूरस्थ क्षेत्रों में पीने का पानी ले जाने के लिए कम्पनी के पास एक पानी की लारी है।
- ओ एम डी सी ने जल उपलब्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आसपास के गांवों में अनेक तालाबों की सफाई आदि का प्रबन्ध किया है।
- ओ एम डी सी और बी एस एल सी दोनों आसपास के स्कूलों और कालेजों का भवन निर्माण, अध्ययन सामग्री फर्निचर, स्कूल बसों आदि का प्रबन्धन कर सहायता पहुँचाते हैं। टी एल सी तथा अन्य जागरूकता कार्यक्रमों में बढ़चढ़ कर भाग लिया जाता है।
- ग्रुप के अधीन खनन कम्पनियां विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर बाग, लॉन आदि का विकास कर खनन व अन्य गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर आघात की पूर्ति कर रही हैं।
- सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों में गति लाने के लिए परिचालित कम्पनियों द्वारा रोजगार और ठेके पर कार्य देने में स्थानीय ग्रामीणों को प्राथमिकता दी जाती है।
- बी.एस.एल. सी. खानों में महिलाओं के लिए एक क्लब है जिसकी सदस्य महिला कर्मी और कर्मचारियों की पत्नियां हैं। यह महिला क्लब विभिन्न सामाजिक गतिविधियों की आवश्यकता की पूर्ति करता है।

के आई ओ सी एल

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी ने परियोजना में और उसके आसपास सामुदायिक विकास में बहुत अधिक योगदान दिया है। इस प्रकार के कुछ विकास कार्य निम्न क्षेत्रों में हैं।

- पीने के स्वच्छ पानी की सुविधा
- शैक्षिक संस्थानों के लिए खेल के मैदान, भवन तथा अन्य वित्तीय सहायता
- सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोरंजन सुविधाओं का विकास
- स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाएं
- गरीब, अपंग तथा पिछड़े वर्ग को सहायता
- अस्पतालों के भवनों का निर्माण तथा उपस्करों की व्यवस्था
- पुल व हवा में तैरते पुल
- तटीय क्षेत्र का विकास
- पुर्नवास
- सिंचाई के लिए पानी की सफाई
- सिंचाई के लिए तालाबों का निर्माण
- मंगलूर में पीतीकुला निसारगा धाम की वन्य जीव सफारी में बाघ के रहने के स्थान का निर्माण
- मंगलूर में श्रीगेरी/कावूर में हॉस्टल भवन का निर्माण
- चिकमंगलूर में रत्नगिरी बोर को सुन्दर बनाना
- कलासा में महावीर सार्वजनिक सामुदाय भवन का निर्माण
- मुर्दीगिरी में स्थायी रायता भवन का निर्माण
- नेल्लीबीदू में पानी की सप्लाई पाइप लाइन बदलने में सहायता
- क्लास रूमों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता
- आवासीय स्कूल-सह साई मंदिर में मूल सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता।
- अक्षय पात्र फाउंडेशन को दिन के खाने के कार्यक्रम हेतु वैन खरीदने के वास्ते वित्तीय सहायता।

महिला कर्मी

वेतन अदायगी, कार्य के घण्टे, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा कल्याण पक्षों, जच्चा-बच्चा लाभ आदि सभी मामलों में महिला कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों/सांविधानिक प्रावधानों का पालन किया जाता है।



डब्ल्यूआईपीएस (सार्वजनिक क्षेत्र में महिला), कुंद्रेमुख द्वारा निःशुल्क चिकित्सा सहायता कैम्प।

31-12-05 को कम्पनी में महिला कर्मचारियों की संख्या नीचे दी जा रही है:

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारी	कुल का प्रतिशत
ए	438	24	5.47
बी	183	33	18.03
सी	1129	35	3.10
डी	122	14	11.47
डी(एस)	32	11	34.37
कुल	1904	117	6.14

विशेष श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की संख्या

समूह	अनुजाति	अनुजनजाति	ओ.बी.सी	पी.एच
ए	5	—	2	—
बी	-	—	3	3
सी	3	4	3	4
डी	3	2	2	—
डी(एस)	7	1	2	—
कुल	18	7	12	7



इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन तकनीकी संस्थान

इस्पात मंत्रालय पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कर्मियों का तकनीकी कौशल बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। इसके लिए स्थापित निम्नलिखित संस्थानों का उनकी मूल्यवान भूमिका और योगदान के लिए उल्लेख किया जा रहा है।

बीजू पटनायक राष्ट्रीय इस्पात संस्थान

इस्पात मंत्रालय द्वारा स्थापित टास्क फोर्स के विकसित सिद्धांत के आधार पर पुरी में एक राष्ट्रीय इस्पात इन्स्टीट्यूट वरन् प्रशिक्षण सह आर एंड डी केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा लिया गया। बीजू पटनायक राष्ट्रीय स्टील इन्स्टीट्यूट (बी पी एन एस आई) की आधार शिला 1 जनवरी 2001 को पुरी में रखी गई। यह संस्थान सोसाइटी पंजीयन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत की गई और इसने 1 जनवरी, 2001 को कार्य करना शुरू किया। संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष बीपीएनएसआई के अध्यक्ष भी हैं। यह इस्पात निर्माण के लिए सर्वोत्तम विधाओं से बारे संबंधित पाठ्यक्रम का आयोजन कर रही है। कैबिनेट ने 20 फरवरी, 2004 को पुरी में स्थापना की स्वीकृत प्रदान की। यह जे.पी.सी की पूंजी से पूर्ण रूप से सुसज्जित संस्थान है। जब तक संस्थान अपना खर्च स्वयं उठाने लायक न हो जाए इसका स्थापना व्यय भी जे.पी.सी उठाएगी। जे.पी.सी निधि से बी पी एन एस आई को 10 करोड़ रु. का अग्रिम दिया गया है, जिस पर ब्याज की राशि से अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं हाथ में ली जाएंगी।

वर्ष 2005-06 के दौरान बीपीएनएसआई द्वारा किए गए मुख्य कार्यकलाप निम्नलिखित हैं।

- छात्रों को एच ए एल, एपेक्स आटो, रूंगटा खानों, भूषण स्टील जैसे ख्यति-प्राप्त संगठनों में नौकरी मिली।
- 16 मई 2005 से 15 जून 2005 तक 32 इंजीनियरी छात्रों के लिए पी.एल.सी तथा सिस्टम प्रबन्धक पर ग्रीष्म प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- यू.एन.डी.पी परियोजना की ओर से एस आर आर एम क्षेत्र की 10 चुनी हुई यूनिटों में 12 लाख रु. मूल्य के छह डिजाइन अध्ययन किए गए।
- मैसर्स प्लाटेटेक कं0 जापान से उड़ीसा से ओसीमा सदस्य यूनिटों में सी.डी.एम पहल पर परियोजना डिजाइन दस्तावेज तैयार करने का आर्डर प्राप्त हुआ जिसका मूल्य 60,000 अमरीकी डालर है।
- यू.एन.डी.पी.-जी.इ.एफ से पूर्वी क्षेत्र के उनके भुवनेश्वर स्थित रिहायशी मिशन के प्रबन्धन का आर्डर मिला।
- बी पी एन एस आई ने आर आर एल के साथ मिलकर व्यर्थ से सम्पदा एक परियोजना तैयार की है जिससे लोहे के व्यर्थ जाने वाले अंश (लौह अयस्क चूर्ण तथा तेल में सने मिल स्केल) और कार्बन तथा व्यर्थ कोक जिसमे तारकोल का चूर्ण भी है से उच्च धातुयी स्पंज लोहा तैयार किया जाएगा तथा जो सीधे इन्डक्शन भट्टियों में डाला जा सकेगा।

राष्ट्रीय सेकेन्डरी इस्पात टेक्नॉलोजी संस्थान

राष्ट्रीय सेकेन्डरी इस्पात टेक्नॉलोजी संस्थान (एन आई एस एस टी) एक सोसाइटी के रूप में 18 अगस्त, 1987 को गठित की गई। इसका पंजीकृत कार्यालय चण्डीगढ़ में था और इसे निम्न लक्ष्यों व ध्येय की प्राप्ति के लिए और लोहे तथा इस्पात के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कार्य करना था।

- अल्पकालिक और दीर्घ कालीन पाठ्यक्रम चलाकर सेकेन्डरी इस्पात सेक्टर को प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराना।
- उच्च तकनीक के बारे में सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशालाओं और इन गृह प्रशिक्षण कार्यक्रमों जो सेकेन्डरी इस्पात क्षेत्र के लिए प्रासंगिक हो को आयोजित करके।
- विभिन्न औद्योगिक सेवाएं और जाँच सुविधाएं मुहैया कराना।
- कंसल्टेंसी सेवाएं प्रदान करना, तकनीकी समस्याओं के निराकरण, ऊर्जा क्षमता बढ़ाना और प्रदूषण स्तर घटाने के संदर्भ में सीमा क्षेत्रों में।
- इस क्षेत्र के अद्यतन तकनीक के बारे में अनुसंधान, विकास और डिजाइन कार्य की जानकारी देना।
- उद्योग के बारे में ब्योरा और सूचना पुनर्प्राप्ति की व्यवस्था करना।
- उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों व अनुसंधान संस्थान के बीच आपसी सम्पर्क के लिए एक मंच प्रदान करना।

अधोलिखित सेकेन्डरी इस्पात क्षेत्र जो संस्थान के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है:-

- इलेक्ट्रिक आर्क और इन्डक्शन फर्नेस यूनिट्स
- लैडल रिफाइनिंग सुविधाएं
- रॉलिंग मिल्स (हॉट एण्ड कोल्ड)
- डायरेक्ट रिड्यूसड ऑयरन यूनिट्स

संस्थान का अपना कैम्पस है जो जीटी रोड पर 6 एकड़ भूमि पर मंडी गोविंदगढ़, पंजाब में है- प्रयोगशाला और पुस्तकालय के अतिरिक्त संस्थान में छात्रावास और कर्मचारी आवास सुविधाएं हैं। इसके दो क्षेत्रीय केन्द्र नागपुर और कोलकाता में अवस्थित हैं।

संस्थान का प्रबंधन बोर्ड ऑफ गर्वनरों के द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य उद्योग, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक संगठनों और इस्पात मंत्रालय से आते हैं। इस्पात मंत्रालय का संयुक्त सचिव डी सी आई एण्ड एस संस्थान के अध्यक्ष है और इसका राजस्व व्यय इसकी अपनी गतिविधियों की आय जमा राशि पर ब्याज से पूरा होता है। कमी की पूर्ति जे.पी.सी द्वारा की जाती है।

चालू वर्ष में संस्थान द्वारा की गई विभिन्न पहल तथा प्राप्त मील के पथर इस प्रकार है:

- यह संस्थान गत कई वर्ष से रोलिंग टेक्नॉलोजी और इस्पात निर्माण टेक्नॉलोजी में रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस वर्ष सभी केन्द्रों में रिकार्ड 120 क्षेत्रों ने प्रवेश प्राप्त किया।
- 'निस्ट' (एन आई एस. एस टी) द्वारा विभिन्न केन्द्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाए गए।
- 'निस्ट' ने अपनी अनुसंधान गतिविधि के भाग के रूप में इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रदत्त राशि से "इन्डक्शन भट्टी और नियंत्रित रोलिंग मार्ग से माइक्रो अलॉय इस्पात का उत्पादन" शोधपत्र तैयार किया है।
- एक प्रमुख पहल पर्यावरण नियंत्रण प्रयोगशाला के स्तर में सुधार कर इसे बी-श्रेणी का करना है। यह यू.एन.डी.पी/जी.इ.एफ परियोजना सहायता से किया गया है।
- 'निस्ट' यू.एन.डी.पी/जी.इ.एफ के साथ उनके कुछ कार्यकलापों में सहयोग कर रही है। हाल ही में यू.एन.डी.पी/जी.इ.एफ ने 'निस्ट' के मण्डी गोबिन्दगढ़ काम्पलेक्स में अपना रेजिडेंट मिशन स्थापित किया है।
- संस्थान ने स्थानीय उद्योगों की उनके उत्पादों की क्वालिटी सुधारने, ऊर्जा की खपत घटाने तथा उत्पादकता बढ़ाने में मदद की है।

इस्पात विकास और प्रगति संस्थान (INSDAG)

इस्पात उत्पादकों की पहल से इस संस्थान की स्थापना हुई और यह 26 अगस्त 1996 को एक सोसाइटी के रूप में निबंधित हुआ। संस्थान का मिशन सभी हिस्सेदारों के साथ मिलकर कार्य करना है ताकि वेतन और इस्पात का प्रभावी इस्तेमाल का विकास हो और उपभोक्ताओं को पर्याप्त मूल्य उपलब्ध हो।

संस्थान मुख्य तौर पर इस्पात प्रयोक्ता में तकनीक और इस्पात उपभोक्ताओं के लिए बाजार का विकास करता है। संस्था जॉयंट प्लांट कमेटी (JPC) कलकत्ता के एक हिस्से में अवस्थित है। INSDAG से उम्मीद की गई थी कि वह उद्योग से सहायता प्राप्त कर प्रगति करेगा और चलाया जाएगा। हालांकि सदस्य अंशदान कुल वित्त जरूरत का मात्र 20 प्रतिशत ही है। बाकी का हिस्सा JPC के अनुदान से पूरा किया जाता है।



राष्ट्रीय इस्पात नीति-2005

1. लक्ष्य

महत्वपूर्ण ध्येय

- 1.1 राष्ट्रीय इस्पात नीति की दीर्घकालीन ध्येय है कि भारत में एक आधुनिक तथा कुशल विश्व स्तरीय इस्पात उद्योग हो जो इस्पात की विविध मांग पूरी करने में सक्षम हो। अतः नीति में न केवल लागत, क्वालिटी तथा उत्पाद-मिश्र की दृष्टि से विश्व व्यापी प्रतियोगिता पर बल दिया गया है, बल्कि कुशलता और उत्पादकता में भी विश्व मानक प्राप्त करने पर जोर है। इसके लिए वर्ष 2019-20 तक देश में 1000 लाख टन प्रति वर्ष उत्पादन की आवश्यकता होगी जबकि 2004-05 में उत्पादन 380 लाख टन प्रति वर्ष है। इसका अर्थ है कि लक्ष्य प्राप्त करने हेतु 7.3 प्रतिशत प्रति वर्ष की विकास दर प्राप्त करनी होगी।
- 1.2 उपरोक्त रणनीतिक लक्ष्य इस आधार पर उचित है कि 2004 में पूरी दुनिया में इस्पात की खपत 1000 टन थी और विगत पन्द्रह वर्षों के 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष विकास की तुलना में 2015 तक इसके 3.0 प्रतिशत प्रति वर्ष विकास करते हुए 1395 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। विश्व इस्पात मांग में चीन का वर्चस्व बना रहेगा। अपने देश में विगत 15 वर्षों में इस्पात उत्पादन की विकास दर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। भारत में 7.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर लक्षित राष्ट्रीय आय के विकास दर जो 7-8 प्रतिशत प्रतिवर्ष है के सुसंगत बनाता है, और इस्पात खपत के आय लोचशीलता को 1 के आसपास रखता है।
- 1.3 इस्पात के खपत के संदर्भ में, जो उत्पादन में आयात को जोड़कर लौह निर्यात को घटाकर परिभाषित किया गया है, वर्तमान समीकरण $38+2-4=36$ टन तालिका-1 में 2019-20 के लिए समीकरण दिया गया है और उत्पादन, आयात, निर्यात और खपत की लक्षित वार्षिक विकास दर दर्शाता है।

तालिका 1 : उत्पादन, आयात, निर्यात और स्टील की खपत

(मिलियन टन में)

	उत्पादन	निर्यात	आयात	खपत
2019-20	110	6	26	90
2004-05	38	2	4	36
सीएजीआर*	7.3%	7.1%	13.3 %	6.9 %

टिप्पणी : *मिश्रित वार्षिक बढ़ती दर

2. उद्योग संरचना

- 1.1 भारत में लोहा और इस्पात उद्योग तीन श्रेणियों में संगठित है। अर्थात् मुख्य उत्पादक, अन्य प्रमुख उत्पादक और सेकेन्डरी उत्पादक। मुख्य उत्पादकों और अन्य प्रमुख उत्पादकों के पास एकीकृत इस्पात निर्माण सुविधाएं हैं और इनके कारखानों की उत्पादन क्षमता 5 लाख टन से अधिक है। ये इस्पात उत्पादन के लिए लौह अयस्क और कोयला, गैस का प्रयोग करते हैं। वर्ष 2004-05 में मुख्य उत्पादकों, अर्थात् सेल, टिस्को और आर आई एन एल के पास कुल मिलाकर लगभग 193 लाख टन क्षमता थी तथा इनमें क्षमता उपयोग का प्रतिशत 104 था। अन्य प्रमुख उत्पादकों में एस्सार, इस्पात और जिन्दल विजयनगर स्टील लि. की कुल क्षमता 64 लाख टन थी तथा यहां क्षमता का उपयोग 97 प्रतिशत था। सेकेन्डरी इस्पात जगह-जगह फैला है और इसमें निम्न शामिल हैं :
 - (क) 120 स्पंज लोहा उत्पादक जो लौह अयस्क तथा गैर-कोकिंग कोयला प्रयोग करते हैं। इनकी उत्पादन क्षमता लगभग 130 लाख टन और ये इस्पात उत्पादकों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। वर्ष 2004-05 में इनमें क्षमता का उपयोग 75 प्रतिशत था।
 - (ख) लगभग 650 छोटी धमन भट्टियां, वैद्युत आर्क भट्टियां, इन्डक्शन भट्टियां और पूर्णतः ऊर्जा का उपयोग करने वाली भट्टियां जिनमें लौह अयस्क, स्पंज लोहा और गलनशील स्कैप का प्रयोग कर इस्पात तैयार किया जाता है। इनकी क्षमता लगभग 147 लाख टन है। 2004-05 में इनमें क्षमता का उपयोग 58 प्रतिशत था।
 - (ग) इनमें लगभग 1,200 पुनर्बलनकर्ता है जो अर्ध तैयार इस्पात बनाते हैं। ये छोटे और मझौले उद्यम हैं और इनकी क्षमता लगभग 150 लाख टन बताई जाती है। वर्ष 2004-05 में इनमें क्षमता का उपयोग 55 प्रतिशत रहा।

3. उद्योग का स्वॉट विश्लेषण

- 3.1 भारतीय इस्पात उद्योग के लिए शक्तियां, कमजोरियां, अवसर और खतरे नीचे के तालिका में दिए गए हैं। राष्ट्रीय इस्पात नीति इन सबसे निबटने के लिए मौटे तौर पर मार्ग निर्धारण करेगी।

शक्ति	कमजोरी
<ol style="list-style-type: none"> 1. लौह अयस्क एवं कोयले की उपलब्धता 2. मजदूरों की श्रमिक दरों का कम रहना 3. अच्छे कर्मियों की अधिक उपलब्धि 4. दृढ़ उत्पादन आधार 	<ol style="list-style-type: none"> 1. गैर वैज्ञानिक खुदाई 2. निम्न उत्पादकता 3. कोकिंग कोयले के आयात पर निर्भरता 4. अनुसंधान और विकास पर अल्पनिवेश 5. ऋण की ऊंची कीमतें 6. अपर्याप्त अधः संरचना
अवसर	चुनौतियां
<ol style="list-style-type: none"> 1. शेष ग्रामीण क्षेत्रों का दोहन 2. घरेलू मांग में वृद्धि 3. निर्यात 4. आधार सुदृढ़ करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. चीन शुद्ध निर्यातक बन रहा है 2. पश्चिम देशों के द्वारा सरंक्षणवाद 3. प्रतियोगियों द्वारा डम्पिंग

4. रणनीति

- 4.1 दीर्घकालीन नीतिगत लक्ष्यों तक बढ़ने के लिए एक बहुआयामी नीति अपनाई जाएगी। जहां तक मांग की बात है नीति प्रोत्साहन प्रयासों, जन-चेतना जागृत कर, डिलिवर श्रृंखला, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ कर मांग में वृद्धि लाने की होगी। सप्लाई बढ़ाने के लिए अतिरिक्त क्षमता तैयार की जाएगी, लोहे व कोयले जैसे कच्चे माल की उपलब्धि में नीतिगत व प्रक्रिया में अवरोधों को दूर किया जाएगा, अनुसंधान एवं विकास तथा मानव संसाधन विकास पर निवेश बढ़ाया जाएगा व सड़क, रेलवे और बन्दरगाह जैसी मूल सुविधाएं तैयार की जाएगी।

5. इस्पात मांग

- 5.1 **शहरी इलाके** — भारत में इस समय इस्पात की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खपत लगभग 30 किलो ग्राम है जबकि विश्व में यह 150 किलो ग्रा. तथा विकसित देशों में 350 किलो ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। अनुमान है कि देश के शहरों में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खपत लगभग 77 किलो ग्राम है जो 2019-20 में बढ़कर अनुमानतः 165 किलो ग्राम तक पहुँच जाएगी। इसका अर्थ है कि 5 प्रतिशत की विकास दर बनी रहेगी। निर्माण, मोटर गाड़ी, तेल एवं गैस, यातायात तथा अर्थव्यवस्था के आधार भूत क्षेत्रों में अनुमानित विकास के अलावा इस्पात विकास इस्टीमेट और विकास (इन्सडेग) द्वारा शिल्पियों, इंजीनियरों, तथा छात्रों में इस्पात उपयोग के लिए जागरूकता लाई जाएगी। साथ ही बड़े उत्पादक भी उपयोग बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। पुलों, सड़क पर लगी रूकावटों, प्लाईओवरों तथा भवन निर्माण में इस्पात का प्रयोग बढ़ाने के लिए उपाय किए जाएंगे। देश में तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम में इस्पात के प्रयोग से लाभ की जानकारी जोड़ी जाएगी।
- 5.2 **ग्रामीण क्षेत्र** : भारत में इस्पात की ग्रामीण खपत प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 2 किग्रा. के आसपास बनी हुई है। इसका कारण है कि ग्रामीण लोगों के बीच इस्पात को खर्चीला समझा जाता है। उपरोक्त उल्लिखित प्रोत्साहनात्मक प्रयासों से और सक्रिय नजरिया अपनाकर नए ग्रामीण भण्डार खोले जाएंगे। 2019-20 तक इस्पात की प्रति व्यक्ति ग्रामीण खपत 4 किग्रा. तक करने का लक्ष्य रखा गया है। बढ़ी वृद्धि दर 4.4 प्रतिशत विकास पर आधारित है।
- 5.3 **निर्यात** : यद्यपि भारतीय इस्पात उद्योग का जोर घरेलू बाजार पर है, निर्यात मांग में वृद्धि करने का दूसरा द्वार होगा। विगत दस वर्षों में भारत से इस्पात का निर्यात 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष रहा है। यह इस्पात क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को व्यक्त करता है। निर्यात बाजारों को बनाने और उस पर अपनी पकड़ बनाए रखने में कठिन प्रयास करने होते हैं। जबकि निर्यात करने के करोबारी निर्णय व्याप्त तुलनात्मक कीमतों पर निर्भर करेगा, सरकार समर्पित निर्यात उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी। 2019-20 तक करीब 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धिदर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्यात से संबंधित मुद्दे व्यापार नीति के अध्याय 13 में विस्तार से बताए गए हैं।

6. इस्पात आपूर्ति

- 6.1 देश में लौह-अयस्क और गैर कोकिंग कोयले का प्रचूर भंडार है, और सस्ता श्रम उपलब्ध है फिर भी खराब कच्चे माल और ऊर्जा की कमी, खराब गुणवत्ता, कम उत्पादकता और कोकिंग कोयला, बिजली, ढुलाई और वित्त महंगा होने के कारण प्रभावहीन है। महत्वपूर्ण कच्चे माल की उपलब्धि के बारे में नीति नीचे के पैराग्राफ में है:
- 6.2 **महत्वपूर्ण कच्चा माल** : 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग से 2019-20 तक इस्पात उत्पादन क्षमता 110 मिलियन टन करने के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल यथा लौह अयस्क, कोकिंग और गैर कोकिंग कोयला की आवश्यकता को नीचे टेबल-2 में देखा जा सकता है। लक्षित आवश्यकता इस धारणा पर आधारित है कि नई क्षमता ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा 60 प्रतिशत, स्पॉन्ज आयरन और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के द्वारा 33 प्रतिशत और अन्य तरीकों से 7 प्रतिशत होगी।

तालिका 2 : इस्पात उत्पादन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कच्चा माल

(मिलियन टन में)

	लौह अयस्क	कोकिंग कोल	गैर-कोकिंग कोल
2019-20	190	70	26
2004-05	54	27	13

- 6.2.1.1 **लौह अयस्क** : वर्तमान में भारत में 11.43 बिलियन टन हेमाटाइट और 10.68 बिलियन टन मैग्नाटाइट अयस्कों का भंडार उपलब्ध है। यद्यपि हेमाटाइट अयस्क का भंडार दिखने में विशाल लगता है परन्तु उच्च कोटि का भंडार कुल का केवल 8.7 प्रतिशत ही है। 2004-05 में लौह अयस्क का उत्पादन 145 मिलियन टन था जिसमें 54 मिलियन टन की खपत देश में ही की गई और 78 मिलियन टन का निर्यात किया गया। 600 खनन लीज़ में से 2003-04 में केवल 246 में ही काम किया गया।

- 6.2.1.2 2019-20 तक इस्पात के घरेलू उत्पादन को 190 मिलियन टन सुनिश्चित करने के लिए सरकार 200 मिलियन टन अतिरिक्त खनन क्षमता की स्थापना करने के लिए निवेश को बढ़ावा देगी। निवेश लगभग 20000 करोड़ रुपये का होगा। वर्तमान में निजी क्षेत्रों को पट्टे पर दी जाने वाली खनन संयंत्र से संबंधित नीति जारी रहेगी। लेकिन, यह आवश्यक है कि ठीक तरह से काम न करने वाले खनन पट्टे के लिए निवेश योजनाएं बनाई जाएं। सरकार राज्य सरकारों के लिए प्राथमिकताएं और दिशानिर्देश नियत करेगी जिसके अनुसार



नए खनन पट्टे निश्चित अवधि के लिए विश्वसनीय निवेश योजनाओं को ध्यान में रखकर ही प्रदान की जाएगी। पर्यावरणीय और वन विभाग की सहमति एक पूर्व निर्दिष्ट समयावधि के अन्तर्गत ही प्रदान किए जाएंगे। यद्यपि स्थानीय मूल्य जोड़ की प्राथमिकता बनी रहेगी, साथ ही राज्य से बाहर मूल्य जोड़ समर्थन को बनाए रखने के लिए अंतर्राज्यीय व्यापार जारी रहेगी। सरकार लौह अयस्कों में निवेश को मूल्य योग करने को प्रोत्साहन देगी। अन्य प्रयोक्ताओं के समूह द्वारा वैज्ञानिक खनन को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

- 6.2.2 लौह अयस्क का निर्यात :** लगभग एक दशक (1991-92 से 1999-2000 तक) स्थिर रहने के पश्चात् भारत से लौह अयस्क का निर्यात गत चार वर्ष में बढ़कर 2004-05 में 780 लाख टन हो गया। इसमें चीन को लौह अयस्क चूर्ण की बड़ी मात्रा में निर्यात भी शामिल है। भारत में लौह चूर्ण और कंसन्ट्रेट का प्रयोग बहुत कम है – वे केवल वातावरण पर ही कुप्रभाव डालते हैं। इस समय भारतीय लौह अयस्क का 90% है। अब भारत में अयस्क चूर्ण के विधायन, और उससे सिन्टर तथा पैलेट बनाने पर निवेश होने से लौह अयस्क के निर्यात विकास दर में कमी आने की आशा है। अतः अनुमान है कि 2019-20 में निर्यात लगभग 10 करोड़ टन होगा। जहां तक भावी नीति की बात है लौह अयस्क का निर्यात, विशेष कर उच्च श्रेणी के लक्ष्य का निर्यात कोकिंग कोयले के आयात या देश में निवेश से जोड़ा जाएगा। लौह अयस्क दीर्घकालीन निर्यात के ठेके अधिकतम 5 वर्ष के लिए होंगे। इस अवसर पर समय-समय पर विचार किया जाएगा। लौह अयस्क के निर्यात तथा देश में सप्लाई के बीच न्यायोचित संतुलन बैठाया जाएगा।
- 6.2.3.1 कोकिंग कोयला :** उच्च श्रेणी के कोकिंग कोयले के भण्डार केवल 4.6 बिलियन टन ही हैं। भारतीय कोकिंग कोयले की क्वालिटी भी इस्पात के लिए उपयुक्त नहीं है। वर्ष 2001-02 के दौरान कोयले का उत्पादन 328 मिलियन टन रहा जिसमें कोकिंग कोयला केवल 29 मिलियन टन था। इस्पात निर्माताओं की जरूरत के लिए कम राख वाला कोकिंग कोयला 2001-02 में 10 मिलियन टन था। कोकिंग कोयले का उत्पादन 2001-02 को समाप्त दशक में 4.7% की दर से घटी है।
- 6.2.3.2 घरेलू प्राइम कोकिंग कोल,** जो घटिया गुणवत्ता वाला है को आयातित कोयले के साथ मिलाना पड़ता है। वर्तमान में इस्पात उद्योग करीब 19 मिलियन टन कोकिंग कोल का प्रतिवर्ष आयात करता है और स्वदेशी स्रोतों, जिसमें निजी क्षेत्रों के खनन ईकाई शामिल है, से 7.5 मिलियन टन प्राप्त करता है। 2019-20 तक अतिरिक्त 70 मिलियन टन कोकिंग कोल की जरूरत होगी, जिसमें से 85 प्रतिशत का आयात करना पड़ेगा।
- 6.2.3.3 कोकिंग कोल की उपलब्धि बनाए रखने के लिए नए स्रोतों की तलाश जरूरी है।** इसके अनुरूप, सरकार इस्पात संयंत्रों को कोकिंग कोल ब्लॉक्स मुहैया कराने वाली नीति जारी रखेगी और अतिरिक्त कोकिंग कोल अन्य इस्पात संयंत्रों को दिए जाने की स्वतंत्रता प्रदान करेगी। सरकार संयुक्त उद्यम स्थापित करने और विदेशों में इक्विटी भागीदारी में इस्पात और कोयला कम्पनियों को प्रोत्साहन देगी। इसी तरह अनुकूल टेक्नालॉजी के विकास और उसे अपनाने के लिए प्रयास किये जाएंगे। इस्पात उद्योग को कोयले के धावन व गुण सुधार में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- 6.2.4 गैर कोकिंग कोल :** 74 बिलियन टन के सिद्ध भंडार में, गैर कोकिंग कोल भारत में कुल कोयला भंडार का 82 प्रतिशत है। 2001-02 में गैर-कोकिंग कोयला का उत्पादन 294 मिलियन टन हुआ जो कुल कोयला उत्पादन 328 मिलियन टन का 91 प्रतिशत था। 2004-05 में इस्पात क्षेत्र ने 8 मिलियन टन गैर कोकिंग की खपत की। इसमें अपने बिजली संयंत्रों को जो तापीय कोयला की खपत करते हैं, सप्लाई शामिल नहीं है।
- 6.2.5.1 स्पंज लौह श्रेणी गैर कोकिंग कोयला :** स्पंज लौह उद्योग कच्चे माल के रूप में गैर कोकिंग कोयले का इस्तेमाल करता है। यह कच्चा माल भविष्य में कोक के विकल्प के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्पंज लौह उद्योग की क्षमता वर्तमान 13 मिलियन टन से बढ़कर 2010-11 में 20 मिलियन टन तक पहुँच जाएगी। इसकी विकास दर 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष रहेगी और इसके बाद 2020 तक 38 मिलियन टन हो जाएगी। वर्तमान प्रवृत्ति उड़ीसा और झारखण्ड में स्पंज लौह पर आधारित बड़ी संख्या में इस्पात कारखाने लगने का संकेत दे रही है। वर्ष 2019-20 तक इस्पात उद्योग को उच्च श्रेणी के लगभग 260 लाख टन गैर कोकिंग कोयले की आवश्यकता हो सकती है।
- 6.2.5.2 उपलब्ध आकड़ों के अनुसार** भारत में गैर कोकिंग कोयले की विकास दर में गिरावट होगी। 1980 के वर्षों में विकास दर 6.5% थी जो 1990 के वर्षों में घट कर 3.9% रह गई। गत पांच वर्षों में विकास दर 4.7% रही हैं। अतः बिजलीघर बड़ी मात्रा में ताप-कोयला आयात करने की योजना बना रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारतीय कोयले में राख की मात्रा अधिक है, जिसके कारण गैर कोकिंग कोयले पर आधारित इस्पात उत्पादन के लिए भी कुछ आयात किए जा सकते हैं।
- 6.2.5.3 बाजार के दबाव के कारण** साधनों के प्रयोग से अधिकतम लाभ उठाना होगा। अतः कोयला क्षेत्र को विनियमित करने की आवश्यकता होगी और बीच की अवधि के लिए भी किसी नीति की जरूरत होगी। तदनुसार स्पंज लौह और इस्पात को 12 से कम प्रतिशत राख वाले उच्च श्रेणी के गैर कोकिंग कोयले के आवंटन में प्रथम प्राथमिकता मिलेगी क्योंकि यह उद्योग के लिए कच्चा माल है। अतिरिक्त कोयले, कोल इण्डिया के साथ वर्तमान में प्रयोग न किए गए अवसरों का पुर्नआवंटन, और छोटे उपभोक्ताओं के संघ को आवंटन में अधिक लचीलापन दिखाना होगा। आवश्यक निवेश के लिए धन जमा करने के वास्ते सार्वजनिक उपक्रमों के निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त उद्यमों का भी पता लगाना होगा।

- 6.2.6.1 प्राकृतिक गैस :** प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने की विधि में इस्पात उद्योग की चक्रील स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा, जिसकी बाजार उन्मुख कीमतों की तरफ शनैः-शनैः बढ़ने की जरूरत है। इसके लिए विनियामक ढांचे को बनाया जाना भी वांछनीय है क्योंकि देश में प्राकृतिक गैस का भंडार सीमित है। इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करनी पड़ेगी। उद्योग को व्यवस्थित होने में समय लगता है क्योंकि कीमतों में आए झटकों से कारोबारी विश्वास में कमी आती है।
- 6.2.6.2** गैस आधारित इस्पात संयंत्रों का महत्व इस मायने में है कि (अ) पर्यावरण साफ बना रहता है। (ब) कमी वाला कोकिंग कोयला अन्य निर्माण प्रक्रियाओं के लिए जरूरी है। (स) प्राकृतिक गैस, स्पॉन्ज आयरन संयंत्र को चलाए जाने में फीड स्टॉक का काम करते हैं। इस्पात संयंत्रों को दिए जाने वाले प्राकृतिक गैस आवंटन और कीमतों की वर्तमान व्यवस्था को निरन्तर पुनरीक्षित किया जाएगा।
- 6.2.7 रिफ्रेक्टरीज :** रिफ्रेक्टरीज का उपयोग इस्पात निर्माण प्रक्रिया में उच्च तापक्रम वाले पात्रों में अस्तर लगाने के लिए किया जाता है। भारत में रिफ्रेक्टरीज उद्योग की 80 इकाइयां हैं जिनकी क्षमता 16 लाख टन और 2003-04 में क्षमता उपयोग मात्र 50 प्रतिशत था। इसके आधुनिकीकरण और उन्नयन की आवश्यकता है। सरकार इस्पात उद्योग और रिफ्रेक्टरी उद्योग के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने का प्रयास करेगी जिससे ब्रेकडाउन, काम रुके रहने की अवधि में और तुरंत हॉट रिपेयर्स की जा सके। सरकार बेसिक और अप्लायड अनुसंधान की सहायता करेगी जिससे स्वदेशी फ्रेक्टरी कच्चे मालों का उपयोग इस्पात और रिफ्रेक्टरी उत्पादकों के बीच भागीदारी द्वारा हो।

7. अध: संरचना

7.1 अन्तर्देशीय आवागमन : अनुमानित है कि प्रति टन इस्पात उत्पादन के लिए 4 टन पदार्थों का आवागमन शामिल रहता है। वार्षिक 75 मिलियन टन जोड़ने के प्रावधान को देखते हुए 300 मिलियन टन अतिरिक्त यातायात की आवश्यकता स्पष्ट है। विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था में घरेलू और विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्द्धात्मक में बढ़त कायम रखने के लिए जरूरी है कि माल की दुलाई की कीमत कम बनाई रखी जाए।

7.2 तालिका 3 रेलवे और परिवहन के अन्य साधनों द्वारा वर्ष-दर-वर्ष सकल पूंजी निर्माण को दर्शाता है।

तालिका 3: जीसीएफ अध: संरचना संबंधित परिवहन

(करोड़ रुपये)

	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
रेलवे	5069	5019(-0.99)	5307(5.7)	5491(3.5)	6981(27.1)	8860(26.9)	11609(31.0)
अन्य साधनों द्वारा परिवहन	16460	18153(10.3)	21272(17.2)	25802(21.3)	21117(-18.2)	16476(-22.0)	29872(81.3)

नोट : आंकड़े पेरिन्थेसिस वर्ष-दर-वर्ष अंतर को इंगित करता

स्रोत : राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीय 2004-05

7.3.1 रेलवे : रेलवे खानों और बंदरगाहों से लौह अयस्क और कोयला संयंत्रों तक ले जाने और इस्पात को बंदरगाहों और खपत वाले क्षेत्रों में लाने-ले-जाने का काम करता है। हालांकि विगत दशक में दुलाई रेलवे से हट सड़क परिवहन से की जा रही है। तैयार इस्पात को रेलवे द्वारा दुलाई का हिस्सा 1991-92 के स्तर 71.9 प्रतिशत से घटकर 2001-02 में 34.4 प्रतिशत रह गया। इस गिरावट का कारण रेलवे की प्रतिस्पर्द्धात्मक कमजोरी है। यातायात के अन्य साधनों यथा -सड़क, पाइप लाइन और तटीय शिपिंग रेलवे को कड़ी चुनौती दे रही हैं। 'दुलाई सीलिंग' जिसने 'समान रेलवे दुलाई' को विस्थापित कर दिया यह भी इसके लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार है।


7.3.2 रेलवे और सड़क मार्ग से कच्चे माल और तैयार/बिक्री योग्य इस्पात के आवागमन में वर्तमान के आधार पर 2019-20 अनुमानित परिदृश्य अधोलिखित है:

तालिका 4: 2004-05 और 2019-20 में यातायात का आदर्श मार्ग वितरण

इस्पात क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले प्रत्याशित यातायात की रेलवे द्वारा दुलाई (मिलियन टन)				
	2004-05		2019-20	
	भारतीय रेल	सड़क मार्ग	भारतीय रेल	सड़क मार्ग
कच्चा माल*	80	34	230	100
तैयार इस्पात	11	27	33	77
कुल	91	61	263	177

* लौह अयस्क के निर्यात के कारण दुलाई शामिल नहीं

7.3.3 औसत लीड दूरी के आधार पर, जिस पर इस्पात निर्माण और तैयार उत्पादों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता आंकी जाती है, को देखते हुए कहा जा सकता है कि लौहा और इस्पात उद्योग के लिए रेलवे द्वारा दुलाई 2020 तक लगभग 120 बिलियन टन किलोमीटर होगी। लौह अयस्क के निर्यात को मिलाकर रेलवे से कुल दुलाई लगभग 150 बिलियन टन किलोमीटर होती है।



- 7.3.4** अतः अतिरिक्त इस्पात क्षमता –नए स्थानों पर और पुराने कारखानों के विस्तार दोनों में, स्थापित करने में निवेशकों की रुचि को देखते हुए रेलवे की सुविधाओं का विस्तार किया जाना होगा। कुल योजना बजट का रेलवे के लिए प्रावधान का प्रतिशत 10.3% (चौथी योजना तक) से घटकर 6.8% (दसवी योजना) रह गया है। सांघनों की कमी के कारण रेलवे की आधारभूत सुविधाओं की स्थापना के लिए इस्पात उद्योग की भागीदारी अनिवार्य हो सकती है। विशेषकर पूंजी बाहुल्य पटरियां बिछाने व वैगनों की उपलब्धि के क्षेत्र में। उपलब्धि बनाए रखने के अलावा रेलवे को भाड़े की संरचना की समीक्षा करनी होगी तथा सेवाओं के स्तर में सुधार लाना होगा। नीति क्षेत्र में कार्य विशेष के लिए माल गाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाना होगा।
- 7.4.1 सड़के :** इसी प्रकार वर्तमान सड़क सुविधाओं का विस्तार और उन्हें सुदृढ़ किया जाना होगा जिससे भारतीय उत्पादकों की दुलाई लागत कम की जा सके। इस्पात कारखानों और खानों को चलाए जाने वाले राष्ट्रीय हाईवे विकास कार्यक्रम तथा प्रस्तावित ग्रामीण सड़क योजना के साथ जोड़ा जाना होगा। इससे इस्पात की सप्लाई, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, के लिए व्यवस्था का विस्तार होगा।
- 7.4.2** देश में हाल के वर्षों में सड़को का जाल बढ़ने के बावजूद माल की दुलाई के लिए सड़क मार्ग का अत्यंत आभाव है। भारी गाड़ियों के आवागमन से भारतीय सड़कों की स्थिति खराब है। यह इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस समय सड़को पर 85 प्रतिशत यात्री और 70 प्रतिशत माल की दुलाई है। यही नहीं सड़कों के इस जाल का 40% हाइवे और केवल 2% इस प्रकार की दुलाई के लिए है। इस्पात उद्योग पास के हाइवे से सम्पर्क तैयार करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। लेकिन, हाइवे नेटवर्क में विस्तार सरकारी-निजी भागीदारी में ही रहेगा।
- 7.5.1 बंदरगाह :** अर्थव्यवस्था का बंधनमुक्त होने के पश्चात् भारतीय इस्पात उद्योग गोदी में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं पर बहुत अधिक अश्रित हो गया है। यह स्थिति कोयले और कोक जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल और विक्रेय इस्पात के निर्यात दोनों के बारे में है। वर्ष 2019-20 में उत्पादन लक्ष्य 1100 लाख टन और निर्यात 260 लाख टन की प्राप्ति को देखते हुए बन्दरगाह सुविधाओं का भी काफी विस्तार करना होगा। बंदरगाह में सामान उठाने-रखने के अनुमान नीचे बताए गए हैं:

तालिका 5: बन्दरगाह में दुलाई, 2004-05 से 2019-20 तक वृद्धि

	गाड़ियों में माल उठाना-रखना (मिलियन टन)						सीएजीआर
	2004-05			2019-20			
	आयात	निर्यात	कुल	आयात	निर्यात	कुल	
कच्चा माल*	19.3	78	97.3	85	100	185	4.4%
इस्पात	2	4	6	6	26	32	11.8%
कुल	21.3	82	103.3	91	126	217	5.1%

*लौह अयस्क सहित

- 7.5.2** सरकार की वर्तमान नीति बन्दरगाह विकास में निजी पूंजी की आज्ञा देती है। इस्पात उत्पादक बन्दरगाहों का विकास करने को प्रोत्साहित किए जाएंगे, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो, गाड़ियां माल लेकर/उतार के समय पर वापस लौट सकें तथा बड़े वैसलों का प्रयोग करना सम्भव हो तथा परिचालन में कार्य कुशलता के अन्य मानदण्ड पाए जा सकें।
- 7.6 बिजली :** वर्ष 2019-20 में इस्पात उद्योग को 7000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता होगी और इस पर 24,500 करोड़ रु. का नवेश जरूरी होगा। वैद्युत अधिनियम, 2003 और राष्ट्रीय वैद्युत नीति निजी बिजली उत्पादन तथा अतिरिक्त बिजली के व्यापार की आज्ञा देते हैं। इससे निजी बिजली घरों में इस्पात उद्योग द्वारा निवेश में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही सरकार उद्योग और विशेषकर सेकेन्डरी सेक्टर को बिजली की खपत में कमी लाने को प्रोत्साहित करेगी।
- 7.7.1 वित्तीय संसाधन :** वर्ष 2019-20 में 1100 लाख टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उद्योग को 2,30,000 करोड़ रु. की अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त वर्तमान सुविधाओं की टेक्नॉलोजी के उन्नयन के लिए भी पैसे की जरूरत होगी। लेकिन उद्योग को बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम का बकाया 2003-04 में केवल 26,295 करोड़ रु. ही था। भारत में पूंजी की लागत सबसे अधिक वाले देश में आती है। यह तालिका 6 में दिखाया गया है:

तालिका 6: पूंजी की लागत (% प्रतिवर्ष)

जापान	यूएसए	जर्मनी	चीन	द. कोरिया	ब्राजील	भारत	विश्व
1.4	4.1	4.2	5-6	6	9.75	11	5

स्रोत विश्व बैंक रिपोर्ट, 2004

7.7.2 इनकी अधिक मात्रा में संसाधनों को जुटाने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त विदेशी वाणिज्यिक पृष्ठ के मानकों की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी, जिससे उधार आसानी से मिल सके और पूंजी की लागत कम की जा सके। इस्पात उन छह सेक्टरों में है जो आधारभूत सुविधाओं की मदद मानी जाती है परन्तु आधारभूत परियोजनाओं के लिए उपलब्ध प्रोत्साहन इस्पात को उपलब्ध नहीं है। अतः इस्पात उद्योग के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन तैयार किए जाने चाहिए।

8. इस्पात मूल्य

8.1 इस्पात कारखानों के लिए 1991-92 में की कीमतों के विनियमन के बाद घरेलू कीमतें बाजार निर्धारित करते हैं। आमतौर पर बाजार भाव अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप, कुछ कम, रहते हैं। मन्दी के समय कीमतों में गिरावट आती है और तेजी के समय कीमतें बढ़ जाती हैं। जहां तटकर तथा सीमा शुल्क को युक्ति संगत बनाने का उद्देश्य वित्तीय तथा राजस्व घाटा कम करना है, वहीं दूसरी ओर इसका उपभोक्ता के लिए कीमतों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इस समय लगभग 3000 कारखानों में इस्पात अथवा इस्पात उत्पादन तैयार किए जा रहे हैं और ये 100,000 व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुँचाए जाते हैं। वितरण की इस व्यवस्था के कारण इस्पात की कीमतों पर कभी नियंत्रण नहीं किया जा सका है। सरकार ने हाल ही में एकाधिकार की कीमतों की शिकायतों पर विचार करने के लिए एक प्रतियोगिता आयोग का गठन किया है।

8.2 **इस्पात का भविष्य** : इस्पात में उतार-चढ़ाव का चक्र बना रहता है। इसलिए निवेशक जोखिम से बचना चाहते हैं। हाल में मांग और सप्लाई में अन्तर के कारण भी कीमतों में तेजी देखने में आई है। काफी समय तक इस्पात की कीमतों में ठहराव और फिर इसके बाद तेजी से वृद्धि का उपभोक्ता और उद्योग दोनों पर प्रभाव पड़ता है। अतः विभिन्न स्टेकहोल्डरों के जोखिम से बचने के प्रयासों का समर्थन किया जाना चाहिए।

9. मानव संसाधन

9.1 2020 तक अनुमानित 1100 लाख टन उत्पादन प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त 2,20,000 कार्य बल की जरूरत होगी जो अनुमानित उत्पादकता बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखकर किया गया है। आगे अतिरिक्त 1 व्यक्ति रोजगार वर्ष (इस्पात उद्योग में) का बनाया जाना अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों में अतिरिक्त 3.5 व्यक्ति रोजगार वर्ष उत्पन्न करता है, क्योंकि इसके अन्य क्षेत्रों यथा परिवहन, खनन, निर्माण, मशीनरी और स्टील फ़ैब्रिकेशन से आबद्ध है। 2020 तक अर्थव्यवस्था में 1100 लाख टन इस्पात उत्पादन से कुल अतिरिक्त रोजगार करीब 10 लाख होगा।

9.2 वांछित मानव संसाधन के बड़े हिस्से में कुशल और अर्द्ध-कुशल श्रम बल होंगे। यह चिंतनीय विषय है कि वैज्ञानिकों, अभियंताओं और टेक्नीशियनों की उपलब्धता भारत में प्रति हजार जनसंख्या में केवल 7.05 है जबकि जापान में 113, ब्रिटेन में 90, कोरिया में 53, आस्ट्रेलिया में 51 और जर्मनी में 85 है। आगे, जिम्मा सिर्फ तकनीकी मानव शक्ति को बढ़ाए जाने तक ही सीमित नहीं है। देश के तकनीकी और पेशेवर संसाधनों को नई क्षमताएं और योग्यताएं-टेक्नालॉजी में आए बदलावों और वैश्वीकरण को ध्यान में रखकर प्रदान करनी होगी। वर्तमान में इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों को एक व्यापक संगठन के अधीन लाया जाएगा जिसमें उद्योग के सभी हिस्सों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस संगठन का कार्य (अ) उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, खासकर द्वितीय लघु उद्योग इकाईयों के लिए होगा। (ब) इस्पात का विभिन्न अनुप्रयोग इसकी उपलब्धता और उपयुक्तता के बारे में सूचना दिया जाना जिससे इस्पात खपत को बढ़ावा मिले और (स) उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतिमानों के बारे में डाटा का संग्रह और विश्लेषण।

10. टेक्नॉलोजियां, अनुसंधान एवं विकास

10.1 यद्यपि टेक्नॉलोजी का चयन तकनीकी-आर्थिक कारणों से उद्यमी स्वयं करेंगे फिर भी सरकार उन टेक्नॉलोजियों को अपना देने को प्रोत्साहन देगी जो :-

- देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं।
- अधुनातन औद्योगिक तथा वैज्ञानिक उपयोगों के लिए आवश्यक उच्च कोटि के विशेष इस्पात का उत्पादन करने में समर्थ हो।
- इस्पात निर्माण व खनन के विभिन्न चरणों में पर्यावरण को कम से कम दुषित करे।



- संसाधन का उपयोग अधिकतम सुनिश्चित करे।
- इस्पात उद्योग के आधुनिकीकरण में सहायक हो जिससे उत्पादकता और कार्य कुशलता के विश्व मानक प्राप्त किए जा सकें।
- नीति सम्मत व प्रगामी उपयोग का सामान तैयार कर सके।

- 10.2 अनुसंधान और विकास में भारत का खर्च बेहद कम जी एन पी का 0.86 प्रतिशत रहा है। विकसित देशों से इसकी तुलना किए जाने पर औसत अनुपात 2.5 प्रतिशत का सिर्फ 0.26 प्रतिशत रहा है।
- 10.3 स्वदेशी अनुसंधान और विकास को कमतर प्राथमिकता दिए जाने से ऐसी तकनीकों को बढ़ावा मिला जो विकसित देशों की परिस्थितियों के ज्यादा अनुकूल थीं। उदाहरण के तौर पर कच्चे माल की संसाधन स्थिति में तकनीकों के विकास की जरूरत है, जिसमें स्वदेशी कोयला और गैर कोकिंग कोल का उपयोग हो सकता है। लेकिन नवप्रवर्तन के अभाव और आयातित कोकिंग कोल जो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप है, के कारण ही बड़े पैमाने पर इसके आयात को मौका मिला है। इसलिए आक्रामक अनुसंधान और विकास प्रयासों से लौह अयस्क के प्रयोग से कोकिंग कोल विस्थापित क्षेत्र और ग्रामीण जरूरतों के उपयुक्त नए उत्पादों का विकास माल और ऊर्जा क्षमता को बढ़ाएगा, बेकार जाने वाले सामान का उपयोग सुनिश्चित करेगा और पर्यावरणीय क्षरण रोकेगा। सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कम्पनियां आंतरिक अनुसंधान और विकास प्रयासों के पोषण के लिए आने वाले वर्षों में अनुसंधान और विकास के कार्य बढ़ाएंगी और बाह्य अनुसंधान प्रायोजित करेगी जो विभिन्न इकाइयों में सहयोग के लिए ढांचा देश की सरहदों में निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर प्रदान करे।

11. पर्यावरणीय चिंताएं

- 11.1 इस्पात निर्माण पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए वर्तमान कारखानों को पर्यावरण पर प्रभाव व उनके जीवनकाल (स्पंज लोहा सहित) की समीक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा जिससे व्यर्थ जाने वाले तथा धूँए के साथ निकलने वाली गैस का प्रभाव कम किया जा सके। कुछ कारखाने पर्यावरण की दृष्टि से उत्तम कार्य कर रहे हैं। लेकिन इस्पात क्षेत्र को अन्य के साथ मिल कर पर्यावरण संबंधी निष्पादन बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सेकेन्डरी उत्पादकों को पर्यावरण उपाय करने को कहा जाएगा। इसी तरह की नीति प्राकृतिक संसाधन वाले उद्योगों में अजमाई जाएगी यथा लौह अयस्क और कोयला खनन, में वैज्ञानिक खनन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

12. सेकेन्डरी तथा लघु उद्योग क्षेत्र

- 12.1 सेकेन्डरी सेक्टर में मूल रूप से गैर एकीकृत तथा अपेक्षाकृत छोटे इस्पात उत्पादक हैं। परन्तु विभिन्न कारखानों में परिचालन मानकों, उत्पाद-मिश्र तथा टेक्नॉलोजी में बहुत अधिक भिन्नता है। सेकेन्डरी सेक्टर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, ग्रामीण तथा अर्ध नगरीय क्षेत्रों में इस्पात की स्थानीय मांग पूरी करने तथा कम मात्रा में आवश्यक विशेष उत्पादों की देश की मांग पूरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
- 12.2 सरकार इन यूनिटों को एकीकृत कारखानों से उचित कीमतों पर आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। इसके लिए राज्य लघु उद्योग निगमों की वर्तमान व्यवस्था का उपयोग किया जाता रहेगा।

13. व्यापार नीति

- 13.1 **निर्यात:** अनुमान है कि देश 2019-20 तक कुल उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत निर्यात करेगा जबकि 2004-05 में यह 11 प्रतिशत था। यह विश्व में 30 प्रतिशत के निर्यात से मुकाबला कर सकता है। सरकार निर्यात क्रेडिट, व्यापार सूचना उपलब्ध कराने के सभी प्रयासों का समर्थन करेगी और आमतौर पर लेनदेन पर लागत में कटौती करेगी। बहुपक्षीय बातचीत में धीमी प्रगति को देखते हुए सरकारी क्षेत्रीय व्यापार समझौतों पर ध्यान केन्द्रित करेगी। अधिक मूल्य के उत्पादों और इस्पात उत्पादों के निर्यातकों, जिसमें परियोजना निर्यात के अधीन अप्रत्यक्ष निर्यात भी शामिल है, को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- 13.2 **आयात:** उत्तरोत्तर विनियमन अवधि के दौरान आयात शुल्क दरों में क्रमशः कमी लाई गई है। भारतीय इस्पात उद्योग विदेशी उत्पादकों के प्रतिस्पर्धात्मक दबावों को सफलतापूर्वक सामना कर सका है। हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव के लिए उद्योग को अनुचित व्यापार गतिविधियों से बचाए जाने की जरूरत है जो कि खासकर मंदी की अवधि में सामान्य बात हो जाती है। इसलिए सरकार आयात पर निगहबानी के लिए आवश्यक व्यवस्था कायम करेगी और दूसरे देशों में दिए जाने वाले निर्यात सब्सिडी पर नजर रखेगी।

14. निवेश संवर्द्धन और नीति क्रियान्वयन

- 14.1 इस्पात उत्पादन का निराला ढंग, खासकर समन्वित रास्ते द्वारा करने में, इस्पात क्षेत्र में निवेश के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों से कई सारे क्लियरेंस लेने पड़ते हैं। विभिन्न स्तरों पर होने वाली यह देरी न केवल परियोजना लागत को बढ़ाती है बल्कि नए निवेश को हतोत्साहित भी करती है। अतः निम्न कार्यों के लिए एक उपयुक्त कार्यकारी व्यवस्था तैयार की जाएगी :

वार्षिक रिपोर्ट : 2005-2006

- बड़े परियोजनाओं के लिए एकल खिड़की अनुमति मुहैया कराना और तत्पश्चात् संबंध मंत्रालयों से सांवैधानिक अनुमति।
- 2019-20 के 1100 लाख टन इस्पात उत्पादन के नीतिगत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना तैयार और लागू करना जिसके अन्तर्गत सपाट और लम्बे उत्पादों के लिए अलग से योजनाएं हों।
- टेक्नोलॉजी और उत्पादकता सुधार कर इन्हें विश्व स्तर पर लाने की राह तैयार की जाएगी।



सेल के बोकारो स्टील प्लांट में ट्विन स्लैब कास्टर्स।

- राष्ट्रीय इस्पात नीति के क्रियान्वयन पर चौकस निगाह रखना।
- अधःसंरचनात्मक, प्रक्रियात्मक और संस्थात्मक अवरोधों को हटाने और केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच नीति समन्वय प्राप्त करने के लिए पुनर्समीक्षाओं का संचालन करना।



सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रस्तावना

भारत सरकार ने कार्यों में खुलापन लाने तथा प्रशासन में उत्तरदायित्व निश्चित करने और अच्छे प्रशासन को प्रोत्साहन देने के लिए 23 दिसम्बर, 2004 को लोक सभा में सूचना के अधिकार का बिल लोक सभा में पेश किया। यह बिल 11 मई, 2005 को लोक सभा और 12 मई, 2005 को राज्य सभा द्वारा पारित हुआ। राष्ट्रपति ने 15 जून, 2005 को इसे अपनी स्वीकृत प्रदान कर दी और यह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 बन आम जनता के लिए प्रकाशित कर दिया गया। यह भारतीय लोकतंत्र में एक मील का पत्थर है। अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (i), धारा 5 की उप धारा (1) और (2) तथा धारा 12, 13, 15, 16, 24, 27 और 28 15 जून, 2005 से प्रभावी हुई और अधिनियम के बाकी प्रावधान 12 अक्टूबर, 2005 से लागू हुए।

उद्देश्य

अधिनियम का उद्देश्य खुलापन बढ़ाना, पारदर्शिता तथा प्रशासन में उत्तरदायित्व लाना तथा देश में बेहतर प्रशासन है। इसके साथ ही, अधिनियम नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान कर सार्वजनिक प्राधिकारियों के नियंत्रण में सूचनाओं को उपलब्ध कराता है। इसी प्रकार, सभी सरकारी प्राधिकारियों के लिए इस प्रकार की सूचना उपलब्ध कराना जरूरी हो गया है।

इस्पात मंत्रालय में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करना

संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पारित करने और राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् सभी सरकारी प्राधिकारियों (विभागों/मंत्रालयों/राज्य सरकारों आदि) को इस अधिनियम को लागू करने के लिए तंत्र स्थापित करना है। इस्पात मंत्रालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन से सम्बद्ध कार्य के लिए अलग से इस्पात मंत्रालय में एक कक्ष खोला है जो आदेश संख्या 1(3)/2005 प्रशा:- दिनांक 6 जुलाई, 2005 के अनुसार अपने अधीन सार्वजनिक उद्यमों तथा अन्य कार्यालयों में अधिनियम के कार्यान्वयन को मानिटर करेगा। सूचना का अधिकार कक्ष बन जाने पर 15 जून, 2005 को प्रावधानों का क्रियान्वयन प्रारम्भ हो गया है। 17 मर्दों का एक मैनुअल तैयार किया गया है और पब्लिक इन्फार्मेशन आफिसर/असिस्टेंट पब्लिक इन्फार्मेशन आफिसर नियुक्त किए गए हैं तथा सूचना मंत्रालय की वेबसाइट www.steel.gov.in पर नियत समय में डाल दी गई। इस्पात मंत्रालय के अधीन सभी सार्वजनिक उद्यम और सरकार के प्रबन्धन में कम्पनियों को तुरन्त ऐसी कारवाई कर अधिनियम लागू करने का निर्देश दिया गया। अधिनियम की व्यवस्थाओं पर विचार करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की गईं। सार्वजनिक उपक्रमों के, सरकार के प्रबन्धन में कम्पनियों सहित, अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की गईं। सार्वजनिक उपक्रमों में हो रही प्रगति को मानिटर किया गया। इसके परिणामस्वरूप 17 मैनुअल तैयार करने, पब्लिक इन्फार्मेशन आफिसर/असिस्टेंट पब्लिक इन्फार्मेशन आफिसरों की नियुक्ति तथा सूचनाओं को वेबसाइट पर डालने के बारे में सभी सार्वजनिक उपक्रम/सरकार के प्रबन्ध में कम्पनियों से रिपोर्ट नियत समय में प्राप्त की गईं। 12 अक्टूबर, 2005, जब अधिनियम के सभी प्रावधान लागू हो गये, सूचना के लिए प्रार्थना प्राप्त हुई तथा प्रार्थियों को सूचना उपलब्ध कराई गई। क्योंकि यह सतत् प्रक्रिया है। इस्पात मंत्रालय सूचना के अधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार नागरिकों द्वारा सूचना की मांग पूरी करता रहेगा।

